द्वितीय माला, खण्ड ५५—अंक ५४

बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१
६ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५५ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

द्वितीय माला, खंड ५५—अंक ५१ से ६१—२२ अप्रैल से ५ मई, १९६१/२ से १५ वैशाख १८८३ (शक) पृष्ठ

अंक ५१—शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१/२ वैशाख, १८८३ (शक)

वित्त विधेयक

खण्ड २ से १७, १ तथा प्रथम और द्वितीय अनुसूची . ५९९९–६००३

पारित करने का प्रस्ताव . . ५९८३–६००३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरासीवां प्रतिवेदन . . . ६००४

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—

विचार करने का प्रस्ताव —अस्वीकृत . . ६००४

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम का) ६००४

विचार करने का प्रस्ताव

परिचालित करने का संशोधन—स्वीकृत . . . ६००४–६००६

अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण, विनियमन तथा नियंत्रण) विधेयक (श्री नारायणन कुट्टि मेनन का) ६००७-१९

विचार करने का प्रस्ताव —अस्वीकृत . ६००७–१९

अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बालमीकी का)

विचार करने का प्रस्ताव ६०१९

दैनिक संक्षेपिका . . . ६०२०–२१

अंक—५२ सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१
४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४, १६८५, १६८७, १६८९, १६९१, १६९२, १६९५ से १६९८, १७००, १७०२ से १७०५ और १७०७, १७०८, १७१०, १७०९ और १६९० ६०२३–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८६, १६८८, १६९३, १६९४, १६९९, १७०१ और १७०६ . . ६०४८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७२६ से ३७५४, ३७५६ से ३७७३ और ३७७५ से ३७८२ . . . ६०५२–७४

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	
१. पूर्व कजोरा कोयला खान में दुर्घटना . .	६०७४–७५
२. रूरकेला में आदिवासी कर्मचारियों की कथित गिरफ्तारी	६०७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
बिलासपुर में चावल के लाने ले जाने के लिए वैगन	६०७७–७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६०७८
कलकत्ता क्षेत्र में बिजली के बारे में वक्तव्य	६०७८
आय-कर विधेयक ––पुरस्थापित .	६०७९
तार विधियां (संशोधन) विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन अस्वीकृत हुए.	६०७९–८०
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत हुए . .	६०८०–८१
दण्ड विधि संशोधन विधेयक .	६०८१—६०१३
विचार करने का प्रस्ताव .	६०८१––६१०१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६१०१—६१०३
भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों के बारे में प्रस्ताव	६१०३––०८
दैनिक संक्षेपिका . .	६१०९––१४

अंक ५३ मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१/
५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७११, १७१२, १७१४ से १७१६, १७१९ से १७२१, १७२३ और १७२५ से १७३० .	६११५—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७१३, १७१७, १७१८, १७२२ और १७२४	६१३९—४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८३ से ३८४५ और ३८४७ से ३८६०	६१४१—७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१७८–७९
भाखड़ा बांध के बिजली घर में दुर्घटना––	
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	६१७९–८०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य–	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवेज) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य––	
लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति	६१८०
तीसरा प्रतिवेदन––	

विषय	पृष्ठ
उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	६१८१—८५
राज्य-सभा द्वारा पास किया गया विचार के रूप में	६१८०—८४
खंड २, ३, और १	६१८४
पारित करने का प्रस्ताव	१६८४—८५
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक	६१८५—९७
विचार प्रस्ताव	६१८५—९१
खंड २, ३ और १	६१९२
पारित करने का प्रस्ताव	६१९२—९७
उड़ीसा अनुदानों की मांगें १९६१–६२	६१९७—६२०८
इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर-इंडिया इंटरनैशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	६२०८—२१
उड़ीसा की अनुदान की मांगों के बारे में	
दैनिक संक्षेपिका	६२२२—२७

अंक ५४—बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१/
६ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३१, १७३२, १७३७ से १७४३ और १७४५ से १७५०	६२२९—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३३ से १७३६, १७४४ और १७५१ से १७५३	६२५४—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६१ से ३९६६, ३९६८ से ३९७१ और ३९७३ से ३९७९	६२६०—६३०८
दिनांक २८–३–१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ के उत्तर में शुद्धि	६३०८
स्थगन प्रस्ताव—	
कुछ डाक तथा तार यूनियनों को शिकायतें पेश करने से रोकना	६३०८—११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी से निकालना	६३११–१२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३१२–१३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौरासीवां प्रतिवेदन	६३१३
समिति के द्वारा द्वारा निर्वाचन	६३१३–१४

विषय	पृष्ठ
१. भारतीय खान स्कूल की प्रशासक परिषद् . . .	६३१३–१४
२. राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिए सलाहकार समिति बोर्ड	६३१४
उड़ीसा की अनुदानों की मांगें––१९६१–६२ . .	६३१४–१६
अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक	६३१९–२६
विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	६३१९–२५
खण्ड १ और २ .	६३२५
पारित करने का प्रस्ताव .	६३२५–२६
विधि व्यवसायी विधेयक––	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६३२६–३९
दैनिक संक्षेपिका	६३४०–४७

गुरुवार, २७ अप्रैल, १९६१

अंक ५५–– ——————————

७ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५४ से १७५८, १७६० से १७६३ और १७६६ से १७६९ . .	६३४९–७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५९, १७६४ और १७७० से १७७६ .	६३७१–७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८० से ५०२६ और ४०२८ से ४०४७	६३७६–६४०२
स्थगन प्रस्ताव––	
कलकत्ता में बिजली का बन्द होना	६४०२–०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६४०३–०४
प्राक्कलन समिति ––	
कार्यवाही का सारांश	६४०४
२२ अप्रैल, १९६१ को पूर्व कजोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	६४०४–०५
सभा का कार्य	६४०५–०६
उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१––पुरस्थापित	६४०६
विधि व्यवसाई विधेयक	६४०६–३३
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६४०६–२०
खंड २, ४ से २३, २५ से २८, ३१ से ५७, ३, २४, २९, ३०, अनुसूची तथा खंड १ .	६४२०–३३
पारित करने का प्रस्ताव .	६४३३–३४

विषय	पृष्ठ
आयकर विधेयक, १९६१ .	६४३४--३९
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	६४३४--३९
अशोक होटल में गो मांस परोसे जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६४४०--४६
दैनिक संक्षेपिका	६४४७--५१

अंक ५६--शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१/८ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७७७, १७७८, १७८३ से १७८७, १७८९ से १७९१, १७९३, १७९४ और १७९६ से १७९८ ६४५३--७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १७८२, १७८८, १७९२ और १७९५ . ६४७५--७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४८ से ४१२९, ४१३१ और ४१३२ ६४७८--६५१५

अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

बैसाखी के अवसर पर जमना में डूब कर मरने की घटनायें ६५१५---१६

प्राक्कलन-समिति . . ६५१६--१७

(१) कार्यवाही सारांश

(२) एक सौ अठतीसवां प्रतिवेदन

राज्य सभा से संदेश ६५१६

विशेषाधिकार समिति--

बारहवां प्रतिवेदन . ६५१७

सभा का कार्य . . . ६५१७--१८

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक---पुरस्थापित ६५१८

उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१--पारित ६५१८--१९

आयकर विधेयक ६५१९---३१

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ६ १९--३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

चौरास्सीवां प्रतिवेदन . . ६५३१

धर्म परिवर्तन कर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प---अस्वीकृत ६५३१--४३

व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प ६५४३---४५

दैनिक संक्षेपिका ६५४६--५१

विषय पृष्ठ

अंक ५७—सोमवार, १ मई, १९६१/११ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९९, १८००, १८०२, १८०३, १८०५ से १८०८, १८१०, १८११, १८१३ और १८२० ६५५३—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१०, १८०४, १८०९, १८१२, १८१४ से १८१९ और १८२१ से १८३२ . . . . ६५७६—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३३ से ४२४० और ४२४२ से ४२४९ ६५८५—६६३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हावड़ा पुरी एक्सप्रेस की दुर्घटना . ६६३४–३५

कलकत्ते में बिजली की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में ६६३५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६६३५–३६

राज्य-सभा से सन्देश ६६३६–३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ६६३७

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में ६६३७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन ६६३७–३८

विशेषाधिकार समिति—

बारहवां प्रतिवेदन ६६३८–३९

आयकर विधेयक, १९६१ ६६३९—४३

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव ६६३९—४३

दिल्ली नगरीय क्षेत्र काश्तकार सहायता विधेयक ६६४३—६५

विचार करने का प्रस्ताव ६६४३—६२

खंड २ और तीन २६६३—६५

दैनिक संक्षेपिका ६६६६—७३

अंक ५८—मंगलवार, २ मई, १९६१/१२ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३ से १८३६, १८३८, १८४० से १८४४ और १८४६ से १८५० ६६७५—९७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ ६६९८—६७०२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३९, १८४५ और १८५१ से १८५९ .	६७०२--०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६० से ४३२६	६७०७--४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अंगुल परगने के लोगों से "वैद्यकरण शुल्क" की वसूली	६७४१--४२
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में--	
न्यू एज में प्रकाशित कुछ बातें	६७४२-४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	६७४३--४५
भारती रेलवे (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . .	६७४५
दिल्ली (नगरीय-क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक	६७४६--४९
खंड ३ से ९ और १	६७४६-४७
पारित करने का प्रस्ताव . .	६७४७--४९
भारतीय बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक .	६७४९-५०
विचार करने का प्रस्ताव	६७४९-५०
खंड १ और २	६७४९-५०
पारित करने का प्रस्ताव .	६७५०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५८-५९	६७५०--५८
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६१--पारित	६७५८-५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५८-५९	६७५९-६०
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६१--पारित	६७६१--६३
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६७६३--६७
भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रवें और अठारहवें अधिवेशन के बारे में प्रस्ताव .	६७६८--७५
दैनिक संक्षेपिका	६७७६--८२

अंक ५९--बुधवार, ३ मई, १९६१/१३ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६० से १८६४, १८६६, १८६८, १८७१ से १८७४, १८७६ से १८७९ और १८८२ .	६७८४--६८०७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७, १८६९, १८७०, १८७५, १८८०, १८८१ और १८८३ से १८९८ . .	६८०७–१६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३२७ से ४३३५, ४३३७ से ४४६५, ४४६५-क, ४४६५-ख, ४४६५-ग और ४४६५-घ . . .	६८१७–७८
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान का लापता होना . .	६८७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय ब्रिटिश और यूरोपीय नौवहन समवायों के बीच मिल जुल कर काम करने की व्यवस्था .	६८७९–८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६८८०—८४
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	६८८४–८५
सदस्य की गिरफ्तारी	६८८५
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक . .	६८८५–९७
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६८८५—९३
खंड २ से ५ तथा १	६८९३–९४
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६८९४—९७
दिल्ली दुकान तथा संस्थान (संशोधन) विधेयक . . .	६८९७—९१९
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६८९७—९१७
खंड २ से ५ तथा १ .	६९१७—१९
पारित करने का प्रस्ताव .	६९१९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक . . .	६९१९–२०
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
भाखरा नंगल परियोजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	६९२०–२१
दैनिक संक्षेपिका	६९२२—३०

अंक ६० गरुवार, ४ मई, १९६१/१४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८९९, १९०४, १९०५, १९०७ से १९११, १९१४ और १९१५	६९३१—५७

विषय	पृष्ठ
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १६	६९५७—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९००, १९०१, १९०३, १९०६, १९१२, १९१३, १९१६, १९१६-क और १९१७ से १९२५ . .	६९५९—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४४६६ से ४५७३, ४५७५ से ५४८७, ४५८९ से ४५९२, ४५९४ से ४६०६, ४६०६-क और ४६०६-ख .	६९७६—७०२४
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान के लापता होने के बारे में वक्तव्य	७०२४—२५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
यू० पी० के एक गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में आग लगाने की कथित घटना . .	७०२५—२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७०२६—२८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश . . .	७०२८
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
कर्यवाही सारांश	७०२८
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
कार्यवाही सारांश	७०२८
राज्य-सभा से सन्देश . . .	७०२९
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	७०२९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	७०२९—५३
खंड २ से २८ और खंड १	७०४९—५३
पारित करने का प्रस्ताव .	७०५३
सदस्य को सजा	७०४३
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार . . .	७०५४—५६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	७०५६—६३
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा	७०६३—६५
दैनिक संक्षेपिका	७०६६—७५

विषय	पृष्ठ

अंक ६१—शुक्रवार, ५ मई, १९६१/१५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२६, १९२९, १९३३ से १९४०, १९४२, १९४३ से १९४५, १९४७, १९४६ और १९४६-क १९४२-क, . ७०७७—९७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ से २१ . . . ७०९८—७१०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२७, १९२८, १९३० से १९३२ और १९४१ ७१०४—०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६०७ से ४६२६, ४६२८ से ४६९४ और ४६९६ से ४७०३ . . . . . ७१०७—४६

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ७१४६—४८

स्वदेशी काटन मिल्स में ताला बन्दी

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ७१४८–४९

१. दिल्ली में मकान बनाने वाले मजदूरों की हड़ताल ।
२. पाकिस्तानी पानी संसाधन विशेषज्ञों द्वारा कलकत्ता पत्तन की यात्रा ।
३. रानीगंज की कोयले की पट्टी क्षेत्र की कुछ कोयला खानों की घटनायें ।
४. व्यापारियों और उत्पादकों के पास रूई का बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाना ।
५. पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण के सीमांत डिवीज़न में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शस्त्रागार से कुछ शस्त्राशत्रों का कथित गायब हो जाना ।
६. अलीपुर में खंड क्षेत्र में बाढ़ आने का खतरा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ७१४९—५१

राउरकेला में आदिवासी विस्थापित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य ७१५१

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति ७१५२

कार्यवाही सारांश

याचिका संबंधी ७१५२

कार्यवाही सारांश

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश ७१५२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ७१५२

प्राक्कलन समिति ७१५२

एक-सौ पैंतीसवां, एक-सौ छतीसवां और एक-सौ सैंतिसवां प्रतिवेदन

विषय	पृष्ठ
लोक लेखा समिति . .	७१५३
सैंतीसवां प्रतिवेदन ।	
याचिका समिति	७१५३
बारहवां प्रतिवेदन ।	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर की शुद्धि .	७१५३
पूंजीकुन्नू नैमांम, जिला त्रिवेन्द्रम में हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य	७१५३–५४
विधेयक–पुरस्थापित	७१५४
१. काफी (संशोधन) विधेयक	
२. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	
भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक .	७१५४––६०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में .	७१५६
संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक १९६१–पुरस्थापित	७१६१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	७१६१––६५
वृद्धावस्था पेंशन विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का)–पुरस्थापित .	७१६५
अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बाल्मीकी का)–वापिस विचार करने का प्रस्ताव	७१६५––९३
संविधान (संशोधन) विधेयक . . .	७१९३
(धारा २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् का) विचार करने का प्रस्ताव	
पंजाब में सेवाओं के एकीकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	७१९४––९९
बिदाई संबंधी उल्लेख . . .	७१९९
दैनिक संक्षेपिका	७२००––०९
तेरहवां सत्र के कार्यवाही सारांश . . .	७२१०––१२

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न के किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—586 (Ai) LSD—8-7 61—125.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१

६ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अखिल भारतीय तालिका

+

†*१७३१ **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हेम राज :
श्री नाथ पाई :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर :
श्री रामी रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २९ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त समझे जाने वाले व्यक्तियों की अखिल भारतीय तालिका बनाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** २९ नवम्बर, १९६० को अतारांकित प्रश्न संख्या ६५१ का उत्तर दिये जाने के बाद से एक और राज्य---आसाम---से एक तालिका प्राप्त हुई है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने अभी तक तालिका नहीं भेजी है और उसके क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

567(Ai) LSD—1

†**श्री दातार :** कुल मिलाकर दस राज्यों ने अपनी तालिकायें भेज दी हैं। अन्य राज्यों से भी हमें प्राप्त होने की आशा है ?

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर राजनीतिक, साम्प्रदायिक, प्रादेशिक और कार्यकारी प्रभावों का प्रभाव पड़ता है। इस विवरण को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मामले में शीघ्रता करने के लिये क्या पग उठा रही है ?

†**श्री दातार :** राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद हमने सभा को सूचित किया कि सिद्धांत रूप से सरकार अन्य राज्यों से एक तिहाई न्यायाधीशों की नियुक्ति के पक्ष में है। हमने यह बात राज्यों को भी बता दी थी। कुछ मामलों में कार्यवाही की गयी है और विभिन्न राज्यों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में लगभग १२ व्यक्ति नियुक्त किये जा चुके हैं। हम इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि हमने जो कुछ वायदा किया वह पूरा किया जाये।

†**श्री जगन्नाथ राव :** अखिल भारतीय तालिका के संबंध में राज्यों की क्या आपत्तियां हैं ?

†**श्री दातार :** मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया। तालिका में कुछ मामलों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति पर उनको आपत्ति है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिला न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की तालिका के बजाय अखिल भारत न्यायिक सेवा के सदस्यों की एक पदाली बनाना अधिक अच्छा होगा।

†**श्री अमजद अली :** मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्हें आसाम से तालिका प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने यह भेजने से इन्कार कर दिया है या वे भेज रहे हैं।

†**श्री दातार :** आसाम ने भेज दिया है। अभी मैंने बताया है कि एक और राज्य—आसाम से अभ्यावेदन आया है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या उच्च न्यायालयों के लिये न्यायाधीशों की एक अखिल भारत पदालि बनाने में क्या उन राज्यों को अधिप्रतिनिधित्व दिया जायेगा जो अभी भी शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं ?

†**श्री दातार :** यह अधिकांश विभिन्न राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्य मंत्रियों पर निर्भर है। हम जो कुछ कर सकते थे वह विभिन्न राज्य सरकारों और उनके जरिये मुख्य न्यायाधीशों को यह बताना था कि जहां तक हो सके, जहां तक बाहर के न्यायाधीशों का संबंध है, हमें उन्हें एक तिहाई करने चाहियें।

†**श्री हेडा :** उन राज्यों की क्या संख्या है जिन्होंने या तो उस सिफारिश को नहीं माना अथवा अपनी राय देने में विलम्ब किया ? उन मामलों में सरकार और क्या पग उठायेगी ?

†**श्री दातार :** सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है। स्वर्गीय गृह-मंत्री जी ने मुख्य मंत्री सम्मेलन में यह बात उठायी थी और वे इस बात से सहमत हो गये कि प्रथम तौर पर हमें कार्य कर रहे न्यायाधीशों की एक पदाली बनानी चाहिये।

†**श्री नारायणन कुट्टिमेनन :** क्या यह पदाली अधिवक्ताओं और न्यायिक सेवा के सदस्यों—दोनों के बारे में है और यदि हां, तो नियुक्ति के लिये उस पदाली में न्यायिक सेवा और अधिवक्ताओं के बीच क्या अनुपात है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : ऐसा कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया यह है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अधिवक्ताओं अथवा कार्य कर रहे जजों के नामों पर विचार करते हैं और फिर वे नाम हमें भेजे जाते हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न में सभी माननीय सदस्यों की अभिरुचि हो सकती है; परन्तु मैं सबको तो अवसर नहीं दे सकता।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इसमें हम सबकी अभिरुचि है।

हिमाचल प्रदेश में राजनैतिक पीड़ित

+
*१७३२. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के राजनैतिक पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने का जो प्रश्न विचाराधीन था उसके बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उन राजनैतिक पीड़ितों में आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश राजनैतिक पीड़ित समिति ने राजनैतिक पीड़ितों के ४३७ मामलों की देख भाल कर ली है, जिन में आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिक भी सम्मिलित हैं तथा समिति की सिफारिशें शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। ५८ मामले और समिति के विचाराधीन हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, इस कार्य के लिये जो समिति बनाई गई है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसमें वहां के प्रमुख गैर सरकारी लोगों को भी लिया गया है या नहीं ?

†**श्री दातार** : मेरे पास इस समय गठन संबंधी जानकारी नहीं है। परन्तु मुझे विश्वास है कि समिति में सरकरी और गैर-सरकारी दोनों सदस्य हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, आजाद हिन्द फौज के लोगों की यह शिकायत रही है पिछले दिनों तक कि उनको राजनीतिक पीड़ित नहीं माना जा रहा है तो क्या इस संबंध में केवल हिमाचल प्रदेश सरकार से, या और राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि राजनीतिक पीड़ितों को सहायता देते समय उनका भी ख्याल रक्खा जाय ?

†**श्री दातार** : भारत सरकार द्वारा निकाली गयी "राजनीतिक पीड़ितों" की परिभाषा के अनुसार, भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिक उस परिभाषा में नहीं आते। अतः यह मामला संबंधित मंत्रालय को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को भी राजनीतिक पीड़ित समझा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह :** बड़ी अच्छी बात है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, चूंकि इस सम्बन्ध में अभी तक थोड़ी बहुत गलतफहमी राज्य सरकारों के दिमागों में है तो क्या केन्द्रीय सरकार यह उचित समझती है कि इसको पूरी तरह स्पष्ट कर दिया जाये और इस तरह के स्मरण पत्र राज्य सरकारों को दुबारा भेज दिये जायें ?

†**श्री दातार :** सरकार ऐसा करेगी।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लेने वाले व्यक्तियों का त्याग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लाभांश के हक के लिये देश-भक्ति में विनिधान नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस भेद को दूर करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं।

†**श्री दातार :** उनकी प्रस्तावना का प्रथम भाग बहुत बड़ा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। खूनी लड़ाई में लड़ने वालों तक को इनाम दिया जाता है। इस अहिंसक संघर्ष में कितने ही व्यक्ति पीड़ित हुए हैं। अतः यह अजीब रवैया है। खैर, यह एक सुझाव है। इसमें नीति-परिवर्तन भी है। दोनों ही आधार पर इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

लुधियाना के निकट भारतीय वायुसेना के विमान का उतरना

+

†*१७३७. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री तंगामणि :
श्री धर्मलिंगम : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के एक विमान को २९ मार्च, १९६१ को लुधियाना से २० मील दूर, हलवारा हवाई अड्डे के निकट एक खेत में मजबूर हो कर उतरना पड़ा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विमान ध्वस्त हो गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी, नहीं। भारतीय वायु सेना के एक विमान को २८ मार्च, १९६१ को हलवाडा हवाई अडडे के समीप उतरना पड़ा।

(ख) विमान में आग लगने से वह ध्वस्त हो गया था।

(ग) वायु बल नियमों के अनुसार जांच न्यायालय को आदेश दे दिया गया है। कार्यवाहियों को अन्तिम रूप देने तक दुर्घटना का वास्तविक कारण नहीं बताया जा सकता।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** चालक अथवा यात्रियों को आई चोट का क्या स्वरूप और ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार मजीठिया :** इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई।

†**श्री नारायणन कुट्टिमेनन :** पिछले एक वर्ष में भारतीय वायु सेना के जहाजों की कई दुर्घटनाओं की रिपोर्टें की गयी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गीयसामान्य विभागीय जांच के आदेशों के अतिरिक्त इन मामलों में मंत्रालय द्वारा इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

पंजाब में तेल सर्वेक्षण

+
†*१७३८ { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्हौत्रा }

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिरोजपुर जिले की जीरा तहसील में सतलुज नदी के साथ नदी-क्षेत्र में एक तेल क्षेत्र के सिलसिले में एक रूसी दल के अधीक्षण में सर्वेक्षण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में क्या सम्भावना है और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, हां।

(ख) जीरे के दक्षिण-पश्चिम में लगभग २$^{1}/_{2}$ मील पर एक संरचना कुआं खोदा जा रहा है। इस कुएं के पूरा हो जाने पर और उपलब्ध आंकड़ों का मूल्यांकन किये जाने के बाद क्षेत्र की संभावनाओं का पता चलेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस संरचना कुए के निर्माण पर कितना समय लगेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस कुऐं की परियोजनात्मक गहराई १२०० मीटर अर्थात ३८०० फुट है जिसमें से हमने अभी तक दो-तिहाई याने ७०० मीटर खुदाई की है। यह एक संरचनात्मक कुआ है जो नीचे स्थित विभिन्न चट्टानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये है। उसके बाद हम इसका मूल्यांकन करेंगे और फिर कोई निर्णय करने से पूर्व हमें ऐसे कई छिद्र करने पड़ेंगे।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** अब तक क्या पता चला है—क्या तेल मिलने की कोई संभावना है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** नीचे जो कुछ है उसके बारे में निश्चित रूप से पतमा लगाने के लिये ७०० मीटर कुछ भी नहीं है। अभी तो वहां केवल मिट्टी, रेत और चूना पत्थर है।

†**श्री बहादुर सिंह :** यह सर्वेक्षण कितने समय से किया जा रहा है और इसमें कितना क्षेत्र शामिल किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री के० दे० मालवीय :** खोज का क्षेत्र हिमालय प्रदेश सहित समूचा पंजाब है । यह क्षेत्र जीरा के आसपास है और सर्वेक्षण कार्य में प्राथमिक जांच भी शामिल है । इस क्षेत्र में छिद्रण-कार्य पर अन्तिम रूप से आर्थिक निर्णय कर लिया गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मंत्री महोदय ने बताया कि संरचनात्मक कुंआ खुद जाने के बाद वे आंकड़े एकत्र करेंगे। कुंआ खुदा जाने के पार किस प्रकार के आंकड़े एकत्र किये जायेंगे? मंत्रालय के पास इस समय कौन से आंकड़े हैं जिससे उन्होंने यह कार्य आरम्भ किया ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस बात का पता लगाने के लिये प्राथमिक सर्वेक्षण किये जाते हैं कि जहां छिद्रण किया जायेगा, वहां कुछ उपयुक्त संरचना है । वह आंकड़े एकत्र हो जाने पर हम, छिद्रण-कार्य आरम्भ करते हैं । छिद्रण से सामुद्रिक उद्भव अथवा गैर-सामुद्रिक उद्भव के चट्टानों का पता चलता है । आंकड़े एकत्र करने पर हम इनका मूल्यांकन करते हैं और फिर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मंत्रालय द्वारा आरम्भ किये गये कार्य में सफलता की प्रतिशतता क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** पंजाब में अधिक सफलता नहीं मिली है । हमने कई छिद्रों का छिद्रण किया है परन्तु दुर्भाग्यवश हमें इनमें से अधिकांश में असफलता ही मिली है परन्तु हम छिद्रण-कार्य जारी रखेंगे ।

श्री त्यागी : इन तिलों में तेल नहीं है ।

कांगों में मोटरकार दुर्घटना में ग्रस्त भारतीय सैनिक

†

†*१७३९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्रीमती इलापाल चौधरी ;
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लियोपोल्डवील में एक मोटरकार दुर्घटना होने के परिणाम-स्वरूप कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ सेना के कुछ भारतीय सैनिक अभी हाल में गम्भीर रूप से घायल हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का पूरा ब्यौरा और कारण क्या था ; और

(ग) इस सिलिसिले में भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) से (ग). ७ अप्रैल, १९६१ को संख्या २ बटालियन, जाट रेजिमेंट की एक जीप लियोपोल्डवील में एन० डी० जीली पुल के समीप एक असैनिक ट्रक से आगे निकलने का प्रयत्न करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गयी । परिणाम-

†मूल अंग्रेजी में

स्वरूप, जीप में यात्रा कर रहे आठ भारतीय सिपाही घायल हो गये जिनमें से दो को गंभीर चोट आयी। इन दो में से एक की बाद में अस्पतालय में मृत्यु हो गयी। दूसरे की हालत सुधर रही है। दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिये एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : गल्ती किस की थी जीप की या ट्रक की ?

†**श्री रघुरामैया** : दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया है। परन्तु वर्तमान जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना तब हुई जब जीप एक असैनिक ट्रक से आगे निकलने का प्रयत्न कर रही थी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कांगो में हमारी सेना जाने के बाद से अब तक कितनी दुर्घटनायें हुई हैं और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय करेगी ?

†**श्री रघुरामैया** : जहां तक मेरी जानकारी है, हमें केवल इसका पता है। परन्तु यदि मेरे साथी एक पृथक प्रश्न पूछें, तो मैं आवश्यक जानकरी दूंगा। जहां तक उपायों का सम्बन्ध है, हमारी सशस्त्र सेनायें अपनी सुरक्षा के लिये आवश्यक उपाय कर सकती हैं।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या कांगो में भी हमारे सैनिक इस देश में लागू अधिकतम रफ्तार सम्बन्धी नियमों का पालन करते हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : इस बारे में मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है परन्तु मैं समझता हूं कि यदि वहां ऐसा कोई प्रतिबन्ध है, तो हमारी सेनायें उनका पालन करेंगी।

ग्राम्य सेवाओं का डिप्लोमा

†*१७४०. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **शिक्षा मंत्री** १० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा धारवाड़ में अभी हाल में हुई अपनी बैठक में ग्राम्य संस्थाओं के डिप्लोमों को विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान करने के बारे में की गयी सिफारिशों पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : भारत में विश्वविद्यालयों से १-३-१९६१ को यह कहा गया कि वे स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रवेश के लिये ग्राम्य सेवाओं के डिप्लोमा को आवश्यक मान्यता प्रदान करें। इस मामले पर जोर दिया जा रहा है।

†**श्री बै० च० मलिक** : कितनी राज्य सरकारों ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिये इस डिप्लोमा को मान्यता दी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : गुजरात, जम्मू और काश्मीर और उड़ीसा को छोड़कर सभी लोक सेवा आयोगों ने डिप्लोमा को बी० ए० के बराबर माना है। हमने भी विश्वविद्यालय को लिख दिया है और इलाहाबाद, बिहार, बम्बई, दिल्ली, कुरूक्षेत्र, मराठवाडा, नागपुर, पूना, सागर और श्री वैंकटेश्वर विश्वविद्यालयों ने हमको लिख दिया है कि वे अगली बैठक में इस मामले को उचित प्राधिकार के समक्ष रखेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री बासप्पा : क्या इन संस्थाओं के सर्वोत्तम विद्यार्थियों को दाखिल करने में भी विश्वविद्यालयों को कोई आपत्ति है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इसमें कोई आपत्ति नहीं है । अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की पिछली बेठक में इस मामले पर विचार किया गया था और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने इन संस्थाओं के अच्छे कार्य की सराहना की है और उनके पाठयक्रमों को मान्यता दी है । इसका मतलब यह होगा कि जो विद्यार्थी यहां से बाहर जायेंगे उन्हें विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के लिये प्रवेश मिल सकेगा।

†श्री बासप्पा : सभी विषयों में या केवल कुछ विषयों में ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : ग्रामीण संस्थाओं में पाठयक्रमों से सम्बन्धित मानव-शास्त्र के कुछ विषयों में।

डा० गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितने विद्यार्थियों को यह ग्रामीण सेवाओं का डिप्लोमा दिया जा चुका है और क्या यह कार्य सब के लिये एक सा ही है, या अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : इन इंस्टीट्यूट्स में भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सिज हैं—रूरल सर्विसिज के लिये डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग और सैनिटरी इंस्पैक्टर्ज के लिये कोर्सिज हैं, इत्यादि। जहां तक विद्यार्थियों की संख्या का सम्बन्ध है, वह अभी मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य नोटिस देंगे, तो बता दूंगा ।

†श्री बलराज मधोक : देश में ऐसी कितनी संस्थायें हैं और राज्य वार उनका विभाजन किस प्रकार है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : उस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये । मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि देश भर में ऐसी दस या ग्यारह संस्थायें हैं। उनकी परीक्षायें राष्ट्रीय ग्राम्य शिक्षा परिषद द्वारा की जाती हैं और फिर डिप्लोमा दिये जाते हैं ।

ईस्ट पटेल नगर में धुंआं

†*१७४१. { †श्री बलराज मधोक :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि १० अप्रैल, १९६१ की शाम को दिल्ली की ईस्ट पटेल नगर नामक बस्ती घने और तीखी गन्ध वाले धुंए से भर गयी थी जिस के परिणामस्वरूप उस इलाके के निवासियों में घबड़ाहट फैल गई थी; और

(ख) क्या यह सच है कि यह धुंआ इस इलाके के निकट सैनिक कर्मचारियों द्वारा धुंये के बम जलाने के कारण हुआ था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार देखे हैं कि एक सैनिक संस्थान से आ रहे धुंए के कारण ईस्ट पटेल नगर के रिहायशी इलाके में कुछ चिन्ता फैल गयी थी ।

(ख) यह धुंआ सैनिक प्रशिक्षण के दौरान सैनिक अधिकारियों द्वारा धुएं की बत्ती जलाने के कारण हुआ ।

यह धुंआं हानिकारक नहीं है ।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या सरकार सैनिक संस्थान को वहां से हटाने के लिये पग उठायेगी क्योंकि इस के चारों ओर घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : सैनिक संस्थान को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा । सामान्यत: यह कार्य खुले क्षेत्र, तुगलकाबाद रेंज, में किया जाता है परन्तु क्योंकि उस समय वह क्षेत्र उपलब्ध नहीं था इसलिये यह कार्य यहां पर करना पड़ा ।

†**श्री बलराज मधोक** : पहले भी ऐसा हुआ है, यह प्रथम अवसर नहीं है ।

†**सरदार मजीठिया** : यह प्रथम अवसर है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है कि यह प्रथम अवसर है ।

श्री ब्रजराज सिंह : इस बात को देखते हुए कि इस मिलिटरी संस्थान से वहां आस पास के लोगों को ऐसे धुएं से परेशानी हो सकती है, क्या भविष्य में इस बात का अहतियात रखा जाएगा कि जब इस तरह का कोई काम हो तो आसपास के निवासियों को पूर्व सूचना दे दी जाए कि इस तरह का काम होने को है, जिस से कि वे उस के बारे में सावधान हो जाएं ?

†**सरदार मजीठिया** : यह एक सुझाव है । जैसा मैं बता चुका हूं कि क्योंकि तुगलकाबाद रेंज उपलब्ध नहीं था, इसलिये यह यहा किया गया । सामान्यत: यह कार्य खुली जगह पर किया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ वह चाहते हैं, वह यह है । वह ऐसा किये जाने पर आपत्ति नहीं करते । परन्तु उनका कहना है कि निवासियों को पूर्व सूचना दे दी जाये ताकि उन में गलतफहमी और घबराहट न फैले ।

†**सरदार मजीठिया** : वह एक सुझाव है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा ।

कटनी में बाक्साइट के निक्षेप

†*१७४२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी कुछ समय पहले कटनी (भोपाल) में बाक्साइट के निक्षेपों की मात्रा का जो अनुमान लगाया गया है, क्या वह भारत के भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा १९४८ में लगाये गये अनुमान से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो यह कितना अधिक है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन निक्षेपों के खनन की कोई योजना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने कटनी में वर्ष १९४८ में बॉक्साइट के निक्षेपो का सर्वेक्षण किया था और उन्होंने सका मूल्यांकन ५,२०,००० टन किया। इस के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अपने भूतत्वीय और खान विभाग द्वारा निक्षेपो का पुनर्मूल्यांकन कराया जिस ने बताया कि इन निक्षेपों का मूल्यांकन ४६ लाख टन किया गया है। तथापि, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा यह पुनर्मूल्यांकन ऊपरी जांच द्वारा किया गया है और परीक्षणात्मक छिद्रण द्वारा नहीं, ये आकड़े मंजूर करने से पहले वास्तविक भंडार का पता लगाना पड़ेगा ।

(ग) और (घ). जी, नहीं ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : इस बात को देखते हुए कि इस क्षेत्र में बौकसाइट के निक्षेप बहुत हैं, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार वहां पर एक अल्युमीनियम संयंत्र लगायेगी और यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जावेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, नहीं । खनन के लिये किसी योजना के बारे में निर्णय कर ने से पूर्व प्राक्कलनो की और विस्तृत रूप से जांच की जाये गी।

काल्टेक्स (इंडिया)

†*१७४३. **श्री हेम बरूआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काल्टेक्स (इंडिया) लिमिटेड में काम करने वाले उन भारतीयों की, जिन्हें "निकल जाने" के नोटिस दिये गये हैं, कुल संख्या का पता लगाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार दिये गये नोटिसों में "छंटनी" शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता और यदि हां, तो इन नोटिसों को देने का मुख्य कारण क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि काल्टेक्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा इन नोटिसों को देने के मामले में किसी मूल सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता; और

(घ) क्या सरकार का इस मामले में कोई कदम उठाने का विचार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) इस कम्पनी से प्राप्त की गयी जानकारी के अनुसार वहां पर कुल ३८०८ कर्मचारी हैं जिन में से सभी ३७ गैर-भारतीय और ६०६ भारतीय सुपरवाइजरी और प्रशासनिक पदों पर हैं। उन पदों पर भारतीयों में से कम्पनी ने १३ व्यक्तियों को समय से पूर्व सेवा-निवृत्ति के नोटिस देकर सेवा-मुक्त कर दिया है ।

(ख) और (ग). नोटिस में 'छंटनी' शब्द प्रयोग नहीं किया गया। कम्पनी ने बताया है कि योग्यता और उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिये कर्मचारियों के बारे में पूरा सर्वेक्षण

---

†मूल अंग्रेजी में

किये जाने के बाद इन में से प्रत्येक व्यक्ति को उन के अपने कर्तव्य को निभाने के अयोग्य पाया गया और न ही वह किसी अन्य रिक्त स्थान पर उपयुक्त रह सकते थे । कम्पनी का दावा है कि इन कर्मचारियों को नोटिस देने में उन्होंने इसी मूल सिद्धांत का पालन किया ।

(घ) कर्मचारियों और मालिकों के बीच विवादों को सुलझाने के लिये वर्तमान प्रक्रियाओं के अधीन कोई भी क्षुब्ध कर्मचारी कार्यवाही कर सकता है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या कालटेक्स द्वारा भारतीय व्यक्तियों की अवांछित सेवा मुक्ति किये जाने का संबंध किसी प्रकार सरकार द्वारा कम्पनी पर पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को घटाने का दबाव डालने से है। और यदि हां, तो क्या यह काल्टेक्स द्वारा की गयी प्रतिकारात्मक कार्यवाही नहीं है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यह अपनी अपनी राय है और इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता ।

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमान् जी एक पूर्व अवसर पर मंत्री महोदय ने बताया था कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी होने से वे यह सोच सकते हैं कि वे इन व्यक्तियों को अधिक समय तक नहीं रख सकते। और इसीलिये मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस तथ्य का पता लगायें क्योंकि इसको इस प्रकार कहा जा सकता है । और यदि कोई इसकी इस प्रकार व्याख्या करता है कि यह प्रतिकारात्मक उपाय है तो उनको निकालना कठिन है ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** जो कुछ मैं पिछले उत्तर में कह चुका हूं, उस पर और आगे मैं क्या कह सकता हूं ? यदि यह एक सुझाव है कि मैं कम्पनी से पूछताछ करूं, तो वह सुझाव है ।

†**श्री हेम बरुआ :** विदेशी फर्में, विशेषत: काल्टेक्स जिस रोजगार नीति को अपना रहे हैं, क्या वह इस कम्पनी के साथ किये गये करार का एक भाग है और यदि हां, तो यह क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इसका मुझे पता नहीं है कि यह करार का एक भाग है क्योंकि इस समय मेरे पास करार का ब्योरा नहीं है । परन्तु यह भावना सदैव रही है कि धीरे धीरे कर्मचारियों का भारतीयकरण कर दिया जायेगा। और इस में कोई संदेह नहीं है कि इस समवाय द्वारा रखे गये भारतीयों की संख्या म धीरे धीरे वृद्धि हुई है। जहां तक वेतन की निम्नलिखित श्रेणियों का संबंध है, भारतीय बहुत बड़ी संख्या में हैं। परन्तु जहां तक १००० रुपये और इस से अधिक का सम्बन्ध है, यह संख्या कम कर दी गयी है । पिछले साढ़े तीन वर्षों में यह संख्या २९७ से घटा कर १८३ कर दी गयी है । अत: मैं समझता हूं कि धीरे धीरे भारतीयकरण चल रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमें श्रम सम्बन्धी नियम, काल्टेक्स समेत विदेशी सार्थों पर भी लागू होते हैं और यदि हां, तो क्या काल्टेक्स ने इन लोगों को बता दिया है कि उत्पादकता बढ़ाने के लिये उन्होंने इन व्यक्तियों की सेवायें समाप्त कर दी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस में कुछ बल है और इन व्यक्तियों को, जो कठिनाई में हैं, सरकार क्या सहायता देगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जो कुछ उन्होंने कहा है उस के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। वे अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। इस पर सरकार ने अपना कोई विचार नहीं रखा है। श्रम मंत्रालय कालटेक्स द्वारा बतायी गयी बातों पर विचार कर रहा होगा।

†**श्री हेम बरुआ :** औचित्य प्रश्न पर। कालटेक्स के साथ इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ने समझौता किया है। अतः यह कृत्य इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का भी है। अब वे महाकाव्य संबंधी अशक्त पाण्डु की तरह जिम्मेवारी अन्य मंत्रालय पर डाल रहे हैं। यह बात जंचती नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति।

†**श्री हेम बरूआ :** मैं कहता हूं कि यह जिम्मेवारी इस्पात, खान और ईंधन मंत्री मंत्रालय की भी है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** इस में औचित्य प्रश्न क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** औचित्य प्रश्न में माननीय सदस्य एक अन्य औचित्य प्रश्न उठा रहे हैं। माननीय सदस्य सदैव कठोर बात कहते हैं। यह अनावश्यक है । वह कहते हैं कि "अवांछित सेवामुक्ति"। मंत्री महोदय ने कहा है कि कम्पनी के अनुसार उन्होंने उन व्यक्तियों को अयोग्य पाया। अतः वे कह सकते थे, 'यह सेवामुक्ति' और फिर वे कहते चले जाते हैं "यह शोभा नहीं देता" । मैं नहीं समझता कि विद्यार्थियों के इन्चार्ज एक प्रोफेसर साहब से बार बार कहा जाये कि वह सुन्दर भाषा का प्रयोग करें। मैं माननीय सदस्य को परामर्श देता हूं कि वह सुन्दर भाषा का प्रयोग करें और समय समय पर उचित जानकारी प्राप्त करें।

जहां तक औचित्य प्रश्न का सम्बन्ध है, क्या इस बारे में ऐसा कोई समझौता है जो मंत्री महोदय काल्टेक्स के विरुद्ध लागू कर सकते हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस समय मेरे पास समझौता नहीं है। परन्तु मैं नहीं समझता कि इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय और किसी विशिष्टि कम्पनी के बीच हुए समझौते में संरक्षण आदि देने सम्बन्धी व्यवस्था है क्यों कि वह श्रम मंत्रालय की विशेष जिम्मेवारी है। इसीलिये मैंने कहा था कि संभवतः श्रम मंत्रालय इस पर विचार कर रहा होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा। मैं समझौता देखूंगा और फिर यह निर्णय करूंगा कि इस इस के लिये कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है ।

†**श्री हेम बरूआ :** श्रीमान जी, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण केहेतु। हम अपने महाकाव्यों को भूल गये हैं और इसी लिये मैंने महाकाव्य संबंधी प्रसंग का उल्लेख कया। यदि आप किसी आधुनिक व्यक्ति से कनाट प्लेस में एक आधुनिक लड़की से, पूछें कि जरासंध कौन है तो वह बतायेगी कि वह किसी 'होट प्रग' अथवा 'हैम्बर्ग' का नाम होगा।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन :** क्या मंत्री महोदय को पता है कि कम्पनियां लागत लेखापाल द्वारा की गयी सिफारिशों का लाभ उठा रही हैं कि कार्य की लागत बहुत अधिक है और इसलिये इस में कमी करनी चाहिये और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय को यह भी पता है कि जो व्यक्ति

---

†मूल अंग्रेजी में

निकाले जा रहे हैं उन्हें विपणन का बहुत पुराना अनुभव है और क्या सरकार इन अनुभवी व्यक्तियों को भारतीय तेल समवाय में खपाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: सरकार यह बात देखने के लिये कुछ पग उठा रही है कि अन्य समवायों से निकाले गये व्यक्तियों को हम रख लें यदि वे काम करने के योग्य हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार को वर्ष प्रति वर्ष प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है और क्या सरकार को इन पदों पर और विशेषतः इस कम्पनी के जन-सम्पर्क विभाग में नियुक्त भारतीयों के आचार और संख्या की परिनिरीक्षा करने का अधिकार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि वे समझौता देखेंगे।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, हां। इस के अतिरिक्त कि हम कर्मचारियों का भारतीयकरण करने के लिये समवायों पर जोर डालने के लिये पग उठा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हमने किसी व्यक्ति की, जहां तक वहां पर उसकी काम करने की क्षमता का सम्बन्ध है, व्यक्तिगत योग्यता की जांच करने के लिये समझौता किया है।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : श्रीमान जी, जब आप औचित्य प्रश्न पर अपना निर्णय दे रहे थे तो आपने यह बात कही थी कि इन व्यक्तियों को अयोग्यता के कारण निकाला गया है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मेरा दृष्टिकोण नहीं है। जो कुछ हो रहा है, माननीय सदस्य उसे ध्यान से नहीं सुनते। एक प्रश्न पूछा गया था और मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि काल्टेक्स कम्पनी का दावा है कि उन्होंने कई बार इन व्यक्तियों को परखा है और अन्त में यह निष्कर्ष निकाला कि वे उस पद के योग्य नहीं हैं, जिस पर वे लगे हैं और इसलिये वे उन्हें निकाल रहे हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि क्या यह प्रतिकारात्मक उपाय है। मंत्री महोदय ने बताया कि वह नहीं कह सकते परन्तु उन के पास यही जानकारी है। मैं ने केवल मंत्री महोदय के उत्तर को ही दोहराया। इस मामले में मेरे कोई विचार नहीं हैं।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : जो कुछ मैं कह रहा था, वह यह है कि मंत्री महोदय ने भी यह बताया कि इन्डियन आयल कम्पनी के लिये उन के आवेदन-पत्रों पर विचार किया जायेगा। मेरा अगला प्रश्न यह है। अब यह कहा गया है कि इन व्यक्तियों को अकुशलता के कारण निकाला गया है। क्या मंत्री महोदय ने इस मामले की जांच कर ली है कि क्या वास्तव में यह अकुशलता का मामला है क्योंकि हम यह कह सकते हैं कि इन व्यक्तियों को मितव्ययता के कारण निकाला गया है क्योंकि सरकार ने उन्हें लागत में कमी करने के आदेश दिये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय ने इन मामलों की जांच कर ली है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, नहीं।

†**श्री हेम बरुआ** : एक पूर्व अवसर पर मंत्री महोदय ने कहा था कि इन व्यक्तियों को मितव्ययता के कारण निकाला गया है।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जब कुछ दिन पहले यह प्रश्न पूछा गया था तो मुझे काल्टेक्स कम्पनी से कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। उस समय जो कुछ मैंने अन्दाजा लगाया, वह बता दिया। इन

†मूल अंग्रेजी में

मामलों में अभी भी मेरे अपने विचार हैं। परन्तु अब जब कि मुझे काल्टेक्स कम्पनी से कुछ रिपोर्टें मिली हैं, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं ये सब बातें बता दूं कि इस के बारे में उन का क्या कहना है।

†**श्री हेम बरुआ** : वे विचार क्या हैं ?

श्री ब्रजराज सिंह : क्या सरकार का ध्यान उन कर्मचारियों द्वारा भेजी गई कुछ ऐसी सूचनाओं की तरफ दिलाया गया है जिस में कहा गया है कि यह कार्यक्षमता और दक्षता का प्रश्न नहीं है बल्कि सिर्फ बदले की भावना से उनके खिलाफ यह कार्यवाही की गई है। एकोनामी करने अर्थात खच में कमी करने का भी कोई सवाल नहीं है क्योंकि एक अफसर को जितनी तन्ख्वाह मिलती है उतनी ३० कर्मचारियों को भी नहीं मिलती है ? यदि ऐसा है तो सरकार इस बात को देखते हुए कि काल्टैक्स कम्पनी का तेल वितरण हिन्दुस्तान में सरकार की मर्जी से हो रहा है, क्या सरकार इस में दखल देगी और फिर से ऐसे लोगों को नौकरी दिलवायेगी ?

श्री के० दे० मालवीय : मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इसमें समझ लेने की बात है। जो ३७ आदमी निकाले गये हैं अलग किये गये हैं उन में केवल हिन्दुस्तानी ही नहीं हैं बल्कि विदेशी भी हैं, कोई ३, ४ विदेशी हैं और ९ हिन्दुस्तानी हैं, ऐसा लगभग है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस में हिन्दुस्तानी और गैर हिन्दुस्तानी दोनों ही हैं जिनको कि उनकी राय में नाकाबिल समझा गया और उन को नौकरी से निकाल दिया गया।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं आपका ध्यान उस ओर दिला सकता हूं जो आपने एक पूर्व अवसर पर कहा था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इससे क्या अन्तर पड़ेगा ?

†**श्री हेम बरुआ** : : एक पूर्व अवसर पर आपने कहा था कि :

> "प्रत्येक अन्य देश अपने देश में बाहर से चल रहे विदेशी समवायों का आभार मानता है और उन से इन समवायों में रोजगार पर उन के राष्ट्रजनों को रखने पर जोर देता है।"

अतः इन समवायों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी इच्छानुसार व्यक्तियों को न निकाले। उन्होंने ही यह कहा है कि वे अकुशल हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: शांति, शांति। माननीय सदस्य दिये गये उत्तर को न समझते हुए इस पर आग्रह कर रहे हैं। यदि उन लोगों ने यह कहा है कि उन्होंने इन व्यक्तियों की मितव्ययता या अन्य कारणों से छंटनी की है, तो हम यह पता लगा सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है और क्या यह प्रतिकारत्मक उपाय है। उन्होंने यह कारण दिये हैं कि वे व्यक्ति अकुशल हैं। यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मंत्री महोदय इस की जांच करें तो उनको किये गये समझौते के अनुसार चलना है। यदि ऐसा है, तो मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे, यदि वे मुझे एक प्रति दे दें तो मैं भी इस को देखूंगा और फिर यह पता लगाऊंगा कि यह उन का क्षेत्राधिकार है या श्रम मंत्रालय का अथवा इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और जैसा चाहें कर सकते हैं।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : वह ठीक है। केवल प्रश्न यह है कि इन कर्मचारियों को दिये गये छंटनी के आदेशों से पता चलता है कि वे मितव्ययता उपायों के कारण फालतू हो गये हैं। हमें आश्चर्य

---

†मूल अंग्रेज़ी में

है और खेद है कि यह मंत्री महोदय, तेल समवायों में अपने दीर्घ-कालीन अनुभवों के बाद भी यह बता रहे हैं जो कुछ कम्पनियों ने उन्हें कहा है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । मैं इस प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति नहीं दूंगा । अब अगला प्रश्न ।

पंजाब में निर्वाचन व्यवस्था

*१७४५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२ के सामान्य निर्वाचनों के लिये तथाकथित पंजाबी क्षेत्र में मतदान पत्र और निर्वाचक नामावलियां केवल पंजाबी भाषा (गुरुमुखी लिपि) में ही छापी जायेंगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्वाचन सम्बन्धी अन्य साहित्य भी उस क्षेत्र में केवल पंजाबी में ही छापा जायेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्वाचन आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय किया है और कुछ और निर्णय करने वाला है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस कारण पंजाबी क्षेत्र के बहुत से मतादाताओं को बहुत कठिनाई अनुभव होगी ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या निर्णय करना चाहती है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) निर्वाचन आयोग ने हिदायत दी है कि (चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र के सिवाय) पंजाबी क्षेत्र के सभी निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये निर्वाचक नामावलियां पंजाबी में छापी जायें और चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावालियां हिन्दी और पंजाबी दोनों भाषाओं में साथ साथ छापी जायें

(ख) से (ङ) निर्वाचन आयोग ने आम हिदायत दी है कि मतपत्र पर दी जाने वाली कैफियत निर्वाचन क्षेत्र में या उसके बड़े भाग में प्रचलित प्रादेशिक भाषा में छापी जायें । निर्वाचन क्षेत्र का नाम अंग्रेजी में छापा जायेगा । जहां तक संसदीय और विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उम्मीदवार के लिये नियत प्रतीक भी मतपत्र पर छापा जायेगा । इसलिये अगर पंजाबी क्षेत्र में मतपत्र के विवरण केवल पंजाबी में छापे जाते हैं तो उससे किसी भी पढ़े-लिखे वर्ग के मतदाता को किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा ।

चाहे क्षेत्र में प्रचलित भाषा कोई भी हो फार्म और अन्य निर्वाचन सम्बन्धी पुस्तिकायें जनता को पंजाबी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध होंगी । चूंकि ये सभी पुस्तिकायें और फार्म थोड़े मूल्य पर उपलब्ध होंगी, अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में इन में से उस भाषा वाली प्रति खरीद सकेगा जिस भाषा वाली प्रति को वह खरीदना चाहता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह उत्तर लम्बा था, तो मंत्री महोदय उसको सभा पटल पर रख सकते थे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन, क्या मैं यह जान सकता हूं कि जैसे कि माननीय मंत्री ने बतलाया कि चंडीगढ़ के अतिरिक्त तथाकथित पंजाब क्षेत्र में चुनाव सम्बन्धी मतपत्र

---

†मूल अंग्रेज़ी में

और दूसरे चुनाव सम्बन्धी प्रकाशन सब पंजाबी भाषा के अन्दर होंगे तो क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि उस भाषा की लिपि गुरुमुखी होगी और यदि हां तो क्या आपने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि उस क्षेत्र में अधिकांश व्यक्तियों की संख्या ऐसी भी है जो कि गुरुमुखी लिपि से सर्वथा अपरिचित हैं और इस कारण क्या उनको अपना मतपत्र आदि देने में असुविधिओं का सामना नहीं करना पड़ेगा ?

श्री हजरनवीस : अब अगर कोई भाषा नहीं जानते और पढ़ नहीं सकते तब तो उनके लिए कोई सवाल नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि जब निर्वाचन आयोग ने यह आम हिदायत दी है कि मतपत्र पर दी जाने वाली कैफियत निर्वाचन क्षेत्र में या उसके बड़े भाग में प्रचलित प्रादेशिक भाषा में छापी जायें तो उन्होंने जरूर सब बातों पर गौर कर लिया होगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न यह था कि तथाकथित पंजाबी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जोकि गुरुमुखी लिपि से अपरिचित हैं और इसलिए निर्वाचन आयोग को अपना निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जितने भी व्यक्ति इस प्रकार के हैं जो कि हिन्दी पढ़ सकते हैं उनको हिन्दी में मतपत्र दिये जायें और जो गुरुमुखी पढ़े हुए हैं उनको गुरुमुखी में मतपत्र दिये जायें, दोनों प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए थीं। निर्वाचन आयोग ने क्या इस प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व इस सम्बन्ध में कोई जानकारी ले ली थी कि उनको इन असुविधाओं का सामना करना हीं पड़ेगा ?

श्री हजरनवीस : मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग ने ऐसी आम हिदायत दने से पूर्व सब चीजों पर सोच विचार कर लिया होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय ने क्या उत्तर दिया ? हम उसे सुन नहीं सके।

†**श्री हजरनवीस :** मैं यह कह रहा था कि निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश किये जाने से पूर्व उन्होंने इन सब मामलों पर विचार किया होगा।

†**श्री त्यागी :** निर्वाचन प्रक्रिया के मामले में, वे ही अन्तिम रूप से प्राधिकारी नहीं हैं। मैंने सोचा कि उन्होंने, विशेषत: जब वे केवल एक ही भाषा में मतपत्र का नमूना बना रहे हैं, विधि मंत्रालय से परामर्श लेना चाहिये। अब मतपत्र चिन्हों के आधार पर मत पेटी में नहीं डाले जाते हैं। एक काटे का निशान लगाया जाना है और फिर यह पेटी में डाला जाना है। अत: प्रत्येक मतदाता को उसका नाम जानना चाहिये जिसके सामने वह काटे का निशान लगा रहा है।

†**श्री हजरनवीस :** जहां जनता एक से अधिक भाषा बोलती है, भाषा का चुनाव किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि एक क्षेत्र में दो से अधिक भाषायें बोली जायें। यह संभव नहीं है कि मतपत्र एक स्थान पर प्रत्येक मतदाता द्वारा बोली जाने वाली भाषा में बनायें जायें।

कुछ माननीय सदस्य उठे--

†**श्री त्यागी :** वह चंजोगढ़ में किस प्रकार कर रहे हैं ?

†**श्री रघुनाथ सिंह :** चंडीगढ़ में दो लैंगुएजिज होंगी, वहां पर क्या होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजरनवीस**: जहां तक कागजात का सवाल है, ये दोनों भाषाओं में छापे जाते हैं।

†**श्री त्यागी**: वह सारहीन बात है। कागजात उतने महत्वपूर्ण नहीं है, जितने कि मतपत्र।

†**श्री अ० चं० गुह**: और मतदाता सूची।

†**अध्यक्ष महोदय**: कठिनाई क्या है? किसी भाषा अथवा लिपि को लागू करना ताकि प्रत्येक नागरिक को, जो मत डालने का अधिकारी है, मत डालने की सुविधायें दी जायें, इतना महत्वपूर्ण नहीं है जब तक कि मांगी गयी सुविधायें बिल्कुल अनुचित न हों। यदि पंजाब में कोई व्यक्ति यह चाहे कि मत पत्र तेलुगु भाषा में हों, तो इस से इन्कार किया जा सकता है। परन्तु अधिक संख्या में व्यक्ति एक भाषा बोलते हैं, दो भाषायें नहीं। एक विवाद सा चल रहा है। इसको यह या वह छापने से नहीं सुलझाया जा सकता। इसका निर्णय इस प्रकार किया जाना है ताकि किसी भी व्यक्ति को मतदान विशेषाधिकार से वंचित न रखा जा सके। मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे।

†**श्री हजरनवीस**: मैं ये विचार निर्वाचन आयोग को बता दूंगा।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: जो कुछ आपने सुझाव दिया है, वह इतना उचित है कि मुझे उसमें किसी विचार की गुंजाइश ही नजर नहीं आती। इसको माना जाना है।

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

†

श्री ब्रजराज सिंह:
श्री राधा चन्द्र माथुर:
मोहन सिंह:
श्रीमती मैमूना सुल्ताना:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अगले दस वर्षों में चार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या इनमें से एक विश्वविद्यालय तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) इस योजना पर किये जाने वाला व्यय, वित्त के संसाधन, पाठयक्रम, प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या, शिक्षा का माध्यम, विश्वविद्यालय की इमारत और 'कैम्पस' के मुकाम आदि का ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या इस प्रस्थापना को दृष्टि में रखते हुए, दिल्ली में दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना को स्थगित कर दिया गया है;

(ङ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना की ब्योरेवार जांच कर ली है; और

(च) नई दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सम्बन्धी कार्य लगभग कब शुरू होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के समाचारपत्रों में प्रकाशित इस तरह के समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा था कि दिल्ली में अगले पांच साल के अन्दर तीसरी पन्च वर्षीय योजना के अन्दर इस तरह के विश्वविद्यालय को स्थापित करने की योजना है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था और कुछ बातचीत फोर्ड फाउन्डेशन से इस सम्बन्ध में हुई थी। फोर्ड फाउन्डेशन ने पहले एक यह प्रस्ताव रखा था कि जो दिल्ली यूनिवर्स्टी है उसका विकास किया जाए, कुछ वह मदद देना चाहता है, उसके लिए। बाद में उनका यह ख्याल था कि एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने दूसरा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अगर दिल्ली यूनिवर्स्टी के लिए फोर्ड फाउंडेशन सहायता दे तो उसको स्वीकार कर लिया जाए, ऐसा इरादा है। लेकिन अलग विश्वविद्यालय फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

श्री ब्रजराज सिंह : इससे पूर्व यह भी प्रस्ताव था कि दिल्ली में एक दूसरे विश्वविद्यालय की, नई दिल्ली क्षेत्र में स्थापना की जाए। इस बात को देखते हुए कि दिल्ली में विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कालेजों में प्रवेश नहीं मिलता है, क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि या तो कोई दूसरा विश्वविद्यालय नई दिल्ली क्षेत्र में स्थापित हो या अन्य कालेज स्थापित हों ताकि दिल्ली में निकलने वाले उन सभी विद्यार्थियों को जिन्हें प्रवेश की आवश्यकता है, प्रवेश मिल सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह सच है कि प्रस्ताव सरकार के सामने है और यूनिवर्स्टी ग्रांटस कमिशन के सामने रहा है और उस पर विचार भी किया गया है और मैं समझता हूं कि एक दूसरे विश्वविद्यालय की दिल्ली में आवश्यकता है क्योंकि जो लड़कों की तादाद है वह निरंतर बढ़ती जा रही है। अनुमान यह है कि २१,००० से वह संख्या अगले चार पांच सालों में बढ़ कर ३०,००० हो जाएगी। इसमें सन्देह नहीं कि एक दूसरे विश्वविद्यालय

†मूल अंग्रजी में।

की आवश्यकता है। लेकिन जो धनराशि इस समय रखी गई है मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन के लिए वह इतनी कम है कि यूनिवर्स्टी ग्रांटस कमिशन नहीं समझता है कि वह आसानी से एक नया विश्वविद्यालय तृतीय पंच वर्षीय योजना में स्थापित कर सकेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोशिश हमारी यह होगी कि अगर कुछ धनराशि हमको मिल सके तो यह नई यूनिवर्स्टी स्थापित कर दी जाए।

श्री ब्रजराज सिंह उठे—

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं समझता हूं कि इस विषय पर हम सम्भाषण देने लगे हैं, प्रश्न और उत्तर नहीं। अगला प्रश्न।

†**श्री ब्रजराज सिंह**: प्रश्न केवल यह है। द्वितीय विवविद्यालय में न मेरी रुचि है और न दिल्ली के लोगों की रुचि है। हम तो केवल यह चाहते हैं कि शिक्षा के लिये जो भी विद्यार्थी प्रवेश चाहे, उसे प्रवेश मिल सके। हमें यह आश्वासन दिया जाना चाहिये।

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: माननीय सदस्य को पता है कि सरकार यथा संभव अधिकाधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये विभिन्न उपाय कर रही हैं। हमरे संसाधन सीमित हैं। उसी समय हमने अब चार सायंकालीन कालिजों की व्यवस्था कर दी है और हम पत्र-व्यवहार द्वारा अध्ययन के लिये भी व्यवस्था कर रहे हैं। अतः सरकर सुविधायें देने के लिये भरसक प्रयत्न करेगी। परन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि निधि सीमित है। हमारे पास असीमित संसाधन नहीं हैं। माननीय सदस्य इस बात को भी ध्यान में रखें।

मद्रास में इस्पात कारखाना

+

†*१७४७. **श्री रामकृष्ण गुप्त**:
श्री रघुनाथ सिंह:
श्री उस्मान अली खां:
श्री प्रकाशवीर शास्त्री:
श्रीमती कृष्ण मेहता:
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री सुब्बय्या अम्बलम:
सरदार इकबाल सिंह:
श्री कोरटकर:
श्री वी० चं० शर्मा:

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २९ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में इस्पात कारखाना स्थापित करने की संभावना की जांच करने और उसके बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिये इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय तथा मद्रास राज्य के पदाधिकारियों की जो समिति नियुक्त की गयी थी, उसने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब पेश करेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) जैसा मैंने २९ नवम्बर, १९६० के प्रश्न के उत्तर में बताया था, समिति तभी प्रतिवेदन दे सकती है जब इसके द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाये और लिग्नाइट, लौह-अयस्क तथा चूने का पत्थर की प्रतिनिधि मात्राओं के साथ बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक प्रयोग किये जायें । नवीनतम रिपोर्टों से पता चला है कि लिग्नाइट केवल सितम्बर, १९६१ तक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा । उसके बाद बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक प्रयोग किये जायेंगे ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस क्षेत्र में लौह-अयस्क की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : लौह-अयस्क सलेम क्षेत्र में उपलब्ध है और किस्म के तौर पर और मात्रा के तौर पर निक्षेप नियत करने के लिये कार्य आरम्भ किया जा चुका है ।

†**श्री तंगामणि**: इस उच्च स्तरीय समिति को स्थापित किये ८ महीनों से अधिक हो गये हैं । क्या मैं यह समझूं कि इस समिति ने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है ? क्या यह सच है कि इस समिति ने सिफारिश की है कि लिग्नाइट को परीक्षण के लिये पूर्व जर्मनी या किसी अन्य देश में भेजा जाय । यदि हां, तो क्या परीक्षण के लिये अपेक्षित मात्रा में लिग्नाइट भेज दिया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : संक्षेप में मैंने यही उत्तर दिया है । समिति की बैठक हुई थी । इसने सिफारिश की कि सितम्बर, १९६१ से पहले अपेक्षित मात्रा में लिग्नाइट नहीं निकाला जा सकता ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : मद्रास में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की क्या क्षमता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस समय इस बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता ।

†**श्री बासप्पा** : मैसूर में भी इस्पात संयंत्र के लिये कुछ कच्चे माल पाये जाते हैं । क्या दक्षिण में इस्पात संयंत्र चालू करने के मामले में मैसूर राज्य से परामर्श लिया जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैसूर राज्य में पहले ही एक इस्पात संयंत्र है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मंत्रालय इस इस्पात संयंत्र को चौथी अथवा तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में स्थापित करने के लिये विचार कर रहा है ? यदि यह तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में है, तो इन सब सर्वेक्षणों पर इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सर्वेक्षण में कोई विलम्ब नहीं किया जा रहा है । मैंने कहा है कि वाणिज्यिय स्तर पर परीक्षण किया जाना है जिसका मतलब है कि लिग्नाइट का कुछ न्यूनतम मात्रा में खनन किया जाना है और परीक्षण किया जाना है । कई कारणों से यह मात्रा सितम्बर, १९६१ से पूर्व नहीं निकाली जा सकती । उनमें सर्व प्रमुख नीवेली में खनन की कठिन परिस्थितियां हैं । जल का स्तर ऊंचा होने से, खनन का काम धीरे धीरे किया जाना है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिरुमल राव :** मंत्री महोदय द्वारा दिये गये हाल के वक्तव्य को देखते हुये कि आंध्र प्रदेश में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की संभावना पर विचार करेंगे क्योंकि इस्पात संयंत्र के लिये अपेक्षित लोह-अयस्क, कोयला और अन्य सामान आंध्र में उपलब्ध है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस मामले की जांच के लिये भी एक समिति नियुक्त की जायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं समझता हूं कि इस मामले पर आंध्र प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों में बातचीत चल रही है। मुझे पूरा विश्वास नहीं है। मैं समझता हूं कि एक समिति भी है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि यह तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया जायेगा या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं बता चुका हूं कि अन्तिम निर्णय वाणिज्यिक प्रयोग किये जाने के बाद ही किया जायेगा। वाणिज्यिक प्रयोग तब किया जायगा जब लिग्नाइट उपलब्ध होगा, अर्थात् सितम्बर के बाद। उसके परिणामों पर निर्भर करने पर अन्तिम निर्णय किया जा सकता है। यह मैं नहीं कह सकता कि इस्पात संयंत्र स्थापित किया जायेगा या नहीं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि कि यह तृतीय योजना में होगा या चतुर्थ योजना में।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** क्या इसके साथ साथ नीवेली से सलेम तक रेलवे लाइन और अन्य परिवहन मार्गों पर भी विचार किया जायेगा अथवा वे सर्वेक्षण की प्रतीक्षा करेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह एक सुझाव है ।

श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या जम्मू और काश्मीर रियासत में भी कोई इस्पात कारखाना खोलने का विचार है क्योंकि जम्मू के इलाके में काला कोट में कोयला वगैरह बहुत पाया जाता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अगर कच्चा माल वहां ज्यादा होगा तो उस पर भी विचार किया जा सकता है ।

†**श्री नरसिंहन् :** प्रयोग के लिये केवल थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता है। लिग्नाइट की इस थोड़ी सी मात्रा निकालने के लिये इतने महीने क्यों चाहियें ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हम विस्तार में जा रहे हे ।

†**श्री नरसिंहन् :** श्रीमान् जी जो कारण बताया गया वह यह है कि यह लिग्नाइट के आवश्यक मात्रा में इकट्ठा करने के लिये लम्बित है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि थोड़ीसी मात्रा में लिग्नाइट प्राप्त करने में क्या कठिनाई है। थोड़ी सी मात्रा प्राप्त करने में जल के ऊंचे स्तर पर होने से बाधा नहीं आनी चाहिये ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** अपेक्षित मात्रा थोड़ी नहीं है। दूसरे, एक थोड़ी मात्रा निकालने में भी पानी के ऊपरी दबाव को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले भी ऐसे प्रश्न पूछे गये थे और उत्तर था कि लगभग दस हजार टन का निर्यात किया जाना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री तंगामणि:** एक हजार टन ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बताया गया था कि १००० टन आवश्यक है । मंत्री महोदय ने बताया कि यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या यह वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है । माननीय सदस्य किसी दिन उपस्थित रहते हैं और किसी दिन नहीं । अत: वे एक ही प्रश्न को बार बार पूछते हैं ।

पंजाब के लिए कोयला और इस्पात

†

†*१७४८ { **श्री राम शंकर लाल :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेमराज :
श्री पांगरकर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने यह अनुरोध किया है कि छोटे पैमाने के उद्योगो के लिये कोयला और इस्पात का कोटा १९६१ के लिये बढ़ा दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो कोयले और इस्पात की कितनी मांग की गई है ;

(ग) भारत सरकार ने इस बारे में क्या निश्चय किया है ; और

(घ) क्या भारत सरकार पंजाब में भारी उद्योगों के अभाव के कारण कोटे में वृद्धि करने का विचार कर रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (घ) वास्तव में पंजाब सरकार ने वर्ष १९६१ में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये इस्पात और कोयले का बढ़ा हुआ कोटा नहीं मांगा है परन्तु उन्होंने वर्तमान आवंटनों पर अधिक संभरण के लिये जोर दिया है । क्योंकि वास्तविक संभरण पूरे कोटे के बराबर नहीं हुआ है । छोटे पैमाने के उद्योगों को किये गये आवंटन के एक तिहाई भाग को प्राथमिकता देकर और आयात से अधिक संभरण की व्यवस्था करके इस्पात के संभरण में वृद्धि करने के लिये पग उठाये गये हैं । कोयले के बारे में परिवहन ब्लाक रेकों में किया जायेगा और इससे संभरण में सुधार होने की आशा है । यह प्रस्थापना है कि पंजाब में फाउन्डरीज और इंजीनियरिंग कम्पनियो के लिए हार्ड कोक की आवश्यकता का उनके कोटे पर पूरा संभरण किया जाए ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या मंत्री महोदय ने दिल्ली में पंजाब राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये भाषण को पढ़ा है जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि पंजाब में उद्योग कोयला और इस्पात की कमी के कारण ठीक से काम नहीं कर रहे हैं ? यदि ऐसा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब सरकार ने कितना अतिरिक्त इस्पात और कोयला मांगा है और कितना संभरण किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं उतने उत्तर में सब बातें बता चुक हूं । कोटा निर्धारित है । संभरण उस कोटे के अनुसार नहीं हो रहा है । अब आवंटन के विरुद्ध अधिक संभरण करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मंत्री महोदय ने एक बड़ा ग्रस्त उत्तर दिया है और मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या मैं जान सकता हूं कि कोयले का कितना आवंटन किया गया है और अब तक उस कोटे में से कितना संभरण किया गया है । इस्पात का कितना कोटा आवंटित किया गया है और अब तक उसमें से कितना संभरण किया गया है ? कोटे के परिवहन के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** ग्रस्त प्रश्न क उत्तर ग्रस्त उत्तर से ही दिया जा सकता है । अच्छा तो यह हो कि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न पूछें । कोटा के बारे में मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस कार्य के लिये मांग को पूरा करने के लिये लोहा तथा इस्पात के स्टाकिस्टों की संख्या पर्याप्त है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं नहीं समझता कि स्टाकिस्टों की संख्या में कमी का कोई ऐसा मामला है जिसके बारे में शिकायतें आयी हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जा सनकता हूं कि जब सरकार की नीति छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित देने की है, और पंजाब में छोटे उद्योगों की बहुतायात है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये जो कोयला और इस्पात आपने उनको दिया है क्या वह बहुत थोड़ा नहीं है ? और इसको भविष्य में बढ़ाने के लिये आपने क्या निश्चय किया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यही तो मैंने अपने जवाब में कहा है कि उसके बढ़ाने का यत्न किया जा रहा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि इन फैक्ट्रियों में जो छोटे उद्योग चल रहे हैं उनको देखते हुये आपने कितने प्रतिशत बढ़ाने का निश्चय किया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : बढ़ाने का सवाल नहीं है क्योंकि शिकायत कोटा कम होने के मुताल्लिक नहीं है । जितना कोटा उनको दिया गया था उस कदर माल उन को नहीं पहुंचा पाया है, यह शिकायत है, और उस के मुताल्लिक मैं ने अपने जबाब में जो लेटस्ट पोजीशन है उसक जिक्र किया है ।

श्री अजराज सिंह : जूलाई के बाद जो कोयले के २०० वैगन प्रतिदिन के हिसाब से मोगलसराय के उत्तरी हिस्से में अधिक आयेंगे उन में से कितने सरकार पंजाब के लिय देने को को तैयार है, और क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंग कि कौन से आधार है जिन के अनुसार विभिन्न स्थानों में, विभिन्न राज्यों में स्टील और कोयले के कोटे निश्चित किये जाते हैं, या सिर्फ प्रान्तीय सरकारों की सिफारिश पर ही विचार किया जाता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जो २०० कोयले के डिब्ब जूलाई के बाद मोगलसराय से ऊपर जाने वाले हैं उन के मुताल्लिक अभी निश्चय नहीं किया गया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गजरात या शुमाली हिस्से, महाराष्ट्र वैगरह में किस हिस्से में कितना कोयला और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जायगा । जो दूसरा सवाल माननीय मेम्बर ने पूछा है उस के मुताल्लिक प्रान्तीय सरकारों की सिफारिशें भी ली जाती हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज हैं उन के मुताल्लिक सेंटर की इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की सिफारिशात का भी ख्याल रक्खा जाता है ।

जिला सैनिक नौसैनिक और वायु बोर्ड

†१७४९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में जो जिला सैनिक, नौसनिक व वायु बोर्ड कई वर्षों से अस्थायी रूप से कार्य करते आ रहे हैं, उन के स्थायीकरण के प्रश्न पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ग) वह निश्चय कब से लागू किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह मामला बहुत दिनों से विचाराधीन है और पिछले साल इस बारे में जो बड़ी भारी कांफरेंस की गई थी उस में भी इस संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था । तो इस बारे में इतनी देरी होने का क्या कारण है ?

सरदार मजीठिया : चूंकि इन बोर्डों को चलाने के लिये ५० फी सदी रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है और ५० फी सदी स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है इसलिये इस मामले को तय करने में जितनी देर स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ सहमत नहीं होती उतनी देर तक इसका फैसला नहीं किया जा सकता ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या गवर्नमेंट को इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि वर्षों से कई कई महीनों तक इन कर्मचारियों को वतन भी नहीं मिलता है, और इस गड़बड़ी का कारण यह है कि उन को अभी तक परमनेन्ट नहीं किया गया है ? तो क्या गवर्नमेंट इस बारे में शीघ्रता करेगी कि उन के वेतन को अदा करेगी नियमित रूप से की जाये ?

सरदार मजीठिया : जी हां, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टट गवर्नमेंट्स हमारे साथ सहमत हो जाये ताकि हम इस मामले में आग बढ़ सकें ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, राज्य सरकारों से अब तक जो पत्र व्यवहार किया गया है उस के फलस्वरूप क्या राज्य सरकारों ने कोई राय दी है ? जहां तक मुझे मालूम है वे इस से सहमत हैं ।

सरदार मजीठिया : कोई आधी सरकारों ने राय दी है । वे आधी सरकारें सहमत हैं । लेकिन दूसरी आधी सरकारों के जबाब नहीं आय हैं । हम उनका इन्तजार कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैस टर्बाइन इंजन

+

†*१७५०. { श्री दी० चं०. शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्ताना :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में भारतीय वायुसेना के संधारण कमान के मुख्य कार्यालय, चकेरी में पहला गेस टर्बाइन इंजन बन कर पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इंजन का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इंजन के निर्माण का क्या कार्यक्रम है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, हां ।

(ख) यह बिल्कुल जेट इंजन है जिस में सिंगल स्टेज सेन्ट्रीफ्यूगल कम्प्रेशर है और सिंगल फेज़ एक्सियल फ्लो टर्बाइन है । यह कन्नूलर कम्बशन सिस्टम पर कार्य करता है और २२०० पौंड के लिये बनाया गया है ।

(ग) यह गवेषणात्मक और विकासात्मक परियोजना है । इस इंजन को बनाने का प्रश्न केवल तभी उठ सकता है जब विकास-कार्य पूरा हो जायेगा और वह भारतीय वायु बल और प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान संघ द्वारा वज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् की सहायता से संयुक्त रूप से किये जा रहे मान्यीकृत विश्वस्तर के अनुसार साबित हो ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस टर्बन इंजन के विकास के अन्तिम प्रावस्था में पहुंचने तक मंत्रालय को कितना समय लगेगा ?

†सरदार मजीठिया : प्रथम बार यह इंजन हाल ही में ८ अप्रैल को चलाया गया। यह कहने से पूर्व की इसका विकास किया जा चुका है, इसको कई घंटों पर विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न दबाव में और विभिन्न तापमान में काम करना है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : मंत्री महोदय ने कुछ संगठनों का जिक्र किया जिन से इंजन के अन्तिम प्रावस्था पर पहुंचने से पूर्व परामर्श किया जायगा । ये सब संगठन किस प्रकार सामने आते हैं। जहां तक इस इंजन के विकास का सम्बन्ध है, इन संगठनों के विशेष कृत्य क्या हैं ?

†सरदार मजीठिया : जैसा मैं ने बताया, यह इन सभी संगठनों का संयुक्त उपक्रम है । इस में प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसन्धान संगठन और भारतीय वायुबल और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् भी इस में आते हैं और इस इंजन के कार्यकरण की बड़ी ध्यानपूर्वक जांच की जाती ह । आंकड़े इकट्ठे किय जाते हैं और उनकी तालिका बनायी जाती है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो उन्हें किया जायगा और फिर उस के बाद ही इसको अन्तिम रूप दिया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती मैमूमा सुल्तान** : क्या ऐसा कोई अन्य देश है जहां इस प्रकार के इंजन का नमूना बनाया गया है और उसका निर्माण किया गया है और यदि हां, तो इन देशों के क्या नाम हैं ?

†**सरदार मजीठिया:** यह जेट इंजन है और सभी देश, जहां विमान उद्योग है, जेट विमान बना रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इस्पात कारखानों के लिए लौह-अयस्क

†*१७३३. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षत्र के इस्पात कारखानों के लिए लौह-अयस्क प्राप्त करने के बारे में सरकार की दीर्घकालीन नीति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि घटिया किस्म का लौह अयस्क, जिसका उत्पादन साथ साथ होता है, बेकार न जाय ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) विस्तार के बाद भी रूरकेला और भिलाई के इस्पात संयंत्र अयस्क की अपनी मात्रा बरसुआ और राझाड़ा खानों से लेते हैं। दुर्गापुर में संयंत्र, विस्तार के बाद, बोलानी लगभग २० लाख टन अयस्क और लगभग १५ लाख टन अन्य अयस्क गुआ प्रदेश की बाजार खानों से अथवा उस प्रदेश में विकास की जा रही एक नई खान से लेगा। इस बारे में निर्णय गुआ प्रदेश के चुने हुए क्षेत्रों में भंडार की विस्तृत संभावना के परिणामों पर निर्भर करता है। बोकारों में इस्पात संयंत्र को बोनई रेंज के सासांगदा क्षत्र में विकास की जा रही एक नई खान से संभरण किये जाने की योजना है। सामान्यत: इरादा यह है कि समेकित इस्पात कारखाने एकसम किस्म के अयस्क के अबाध रूप से संभरण की निश्चिति के लिये लौह-अयस्क के संभरण के लिये अपने संसाधन रखें।

(ख) संभवत: माननीय सदस्य यंत्रीकृत साधनों द्वारा लौह-अयस्क का उत्पादन में उत्पन्न होने वाली बारीक अयस्क की बात सोच रहे हैं। यह प्रस्थापना है कि इसको संपुज्जित किया जाये और इस्पात संयंत्रों के धमन भट्टियों में बड़े आकार के अयस्क के साथ उनका इस्तेमाल किया जाय।

---

†भूल अंग्रेजी में

इस्पात उद्योग में कोयले के स्थान पर प्रयोग किये जाने के लिये किसी अन्य पदार्थ की खोज

†*१७३४. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लौह अयस्क की सम्भाव्य मात्रा और कोकिंग कोयले के भंडार के बीच के असन्तुलन को दूर करने के लिए कोई दीर्घ-कालीन नीति निर्धारित की जा रही है; और

(ख) क्या विशेषत: इस्पात उद्योग में कोयले के स्थान पर प्रयोग किये जाने के प्रयोजन से कोई अन्य पदार्थ ढूंडने के लिए अनुसन्धान किया जा रहा है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). कोकिंग कोयले के वर्तमान भंडार से ५० वर्षों तक या इससे अधिक तक वर्तमान इस्पात उद्योग और अगले कुछ वर्षों में बनाये जाने वाले उद्योगों का संभरण हो सकेगा। कोकिंग कोयले के हमारे अनुसन्धान से नये भंडारों का भी पता चल सकता है। लौह अयस्क के भंडार और कोकिंग कोयले के भंडार के बीच गणित कै हिसाब से सन्तुलन से इस्पात उद्योग के बढ़ने पर आघात नहीं पहुंचेगा। एसे देश हैं जहां बड़े और बढ़ने वाले इस्पात उद्योग हैं जो एक या अधिक प्रमुख कच्चे माल के आयात पर निर्भर हैं। जैसे ही देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है, तो अगर यह किसी कच्चे माल के लिये आवश्यक है, तो वह आयात कर सकेगा। तथापि, यदि किये जा रहे प्रौद्योगिकीय विकास के परिणामस्वरूप कोकिंग कोयले के इस्तमाल के बगैर बड़े पैमाने पर लौह तथा इस्पात का आर्थिक रूप से उत्पादन हो सकता है, तो वह आवश्यक नहीं है।

जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात है भारत में स्थापना के लिये कुछ छोटे एककों को लाइसेंस दिये गये हैं जो इस्पात के निर्माण के लिये बिजली की भट्टियों से चलने पर आधारित हैं। गैर-कोकिंग कोयला इस्तेमाल करके कच्चे लोहे के संयंत्रों को भी अनुमति दी गई है। इनके परिणाम अभी देखे जायेंगे।

विदेशी फिल्म

†*१७३५. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फिल्म सोाइटियों द्वारा निजी रूप से दिखाई जाने के लिए और विशेष फिल्म समारोहों के अवसर पर प्रदर्शन के लिये देश में लायी जाने वाली महत्वपूर्ण विदेशी फिल्मों पर सीमा शुल्क में रियायत करने के लिए कोई कदम उठाय हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसम अपेक्षित जानकारी दी हुई ह।

---

†मूल अंग्रजी में

विवरण

सरकार फिल्म सोसायटियों द्वारा फिल्मों के आयात के बारे में निम्नलिखित शर्तों पर वार्षिक १२ विदेशी फिल्मों पर (प्रत्येक का केवल एक प्रिन्ट) शुल्क में छूट देने को राजी हो गयी है;

(क) फिल्में केवल सोसायटी के सदस्यों को दिखाई जायें और कोई फीस न ली जाये और प्रत्येक स्थान पर केवल एक शो किया जाये;

(ख) फिल्मों का आयात की तिथि से छः महीने के भीतर फिर निर्यात कर दिया जाये; और

(ग) केवल वही फिल्में आयात की जायें जो देश में प्रदर्शन के लिये सामान्य वाणिज्यिक स्तर पर न दिखाई जायें।

जहां तक फिल्म समारोहों में प्रदर्शन के लिये आयात की गयी फिल्मों का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि ये समारोह या तो पूर्ण रूप से या गैर-सरकारी सांस्कृतिक निकायों के सहयोग से गैर-सरकारी निकायों अथवा भारत में विदेशी मशीनों अथवा सरकार द्वारा किये जाते हैं। यद्यपि जब गैर-सरकारी निकायों द्वारा संगठित समारोहों के लिय फिल्मों का आयात किया जाता है तो उन्हें शुल्क में कोई रियायत नहीं दी जाती, विदशी मिशनों द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से अथवा गैर-सरकारी सांस्कृतिक निकायों को सहयोग से आयोजित समारोहों के मामलों पर तदर्थ आधार पर विचार किया जाता है। तथापि, सरकार द्वारा आयोजित समारोहों में प्रदर्शन के लिय आयात की गयी और चुनी गयी फिल्मों पर सीमा-शुल्क नहीं लगता, यदि प्रदर्शन से कमायी गयी रकम सरकार को दी जाये। यह रियायत भी इस शर्त पर है कि समारोह समाप्त होने पर फिल्म को तत्काल पुनर्निर्यात कर दिया जाय। यदि प्रदर्शन की रकम सरकार को नहीं दी जानी है, तो श्रेणीबद्ध स्तर पर, प्रदर्शनों की संख्या के अनुसार, पुनर्निर्यात पर शुल्क की छूट दी जाती है। यद्यपि सामान्यतः उन फिल्मों पर छूट नहीं दी जाती जिनका एक बार प्रदर्शन किया जा चुका हो। निम्नलिखित स्तर निर्धारित किया गया है।

प्रदर्शनों की संख्या	शुल्क में छूट का स्तर
१२ अथवा कम	शुल्क का ७।८
१३ से ३६	शुल्क का ३।४
३६ से ऊपर	शून्य

जब सरकार द्वारा आयोजित समारोहों के लिये आयातित फिल्मों का प्रदर्शन के लिये चुनाव नहीं किया जाता, यदि उन्हें सीधे पुनर्निर्यात कर दिया जाय तो उनको भी शुल्क में छूट दी जाती है।

दूर पूर्व में राष्ट्रमंडलीय समुद्रीय अभ्यास

†*१७३६. **श्री कालिका सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरवरी और मार्च, १९६१ में दूर पूर्व में वार्षिक राष्ट्र मंडलीय समुद्रीय अभ्यास का निर्देशन करन वाले सैनिक अधिकारी का नाम और पद क्या है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस अभ्यास में भारतीय जल सेना ने क्या भाग अदा किया;

(ग) इस अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय जहाजों और विमानों का ब्योरा क्या है ;

(घ) इस अभ्यास में शाही वायु सेना, शाही आस्ट्रेलियन वायु सेना और शाही लंका वायु सेना ने क्या भाग लिया;

(ङ) विभिन्न दशों द्वारा समुद्र की सतह पर, जल के भीतर और आकाश में किये गये युद्ध के समान कार्यों का संक्षिप्त विवरण क्या है; और

(च) इन अभ्यासों की क्या उपादयता है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता रहें।

विवरण

कोचीन में प्रथम अभ्यास भारतीय सना के फ्लैगे आफिसर कमांडिग (रीयर-एडमिरल बी० एस० सुमन) द्वारा किये गये और बाकी अभ्यास सुदूर पूर्व केन्द्र के कमान्डर-इन-चीफ, एडमिरल सर डेविड ल्यूस के सम्पूर्ण नियंत्रण में किये गये। इन अभ्यासों के दौरान प्रत्यक राष्ट्र के नैवल कमान्डरों को बारी बारी से धरातल की सेना के कुशल नियंत्रण का अभ्यास करने का अवसर प्रदान किया गया।

इन अभ्यासों में भारतीय नौसना के जहाजों, मैसूर, ब्रह्मपुत्र, कुठार, कृपाण, कुकरी, तलवार, त्रिशूल, गोदावरी कावेरी, कोंकण, धारिणी और शक्ति' ने भाग लिया। तथापि, भारतीय नौसेना अथवा भारतीय वायु सेना के किसी विमान ने इन अभ्यासों में भाग नहीं लिया।

भारतीय युद्धपोतों और ध्वंसकों ने पनडुब्बी विरोधी और विमान-विरोधी कार्य किये जबकि लड़ाकू जहाजने भारी बन्दूकों का समर्थन दिया।

गैर-सामुद्रिक गश्त और प्रावेक्षण की व्यवस्था के लिय रायल वायु सना और रायल आस्ट्रलियाइ वाय बल के लोंग रेंज सामुद्रिक विमान श्री लंका और मलाया भेजे गये। सूदूरपूर्व वायूबल के बमबारी करने वाले विमान 'कैनबरा' ने भी सेना पर हवाई आक्रमण किये। रायल सीलोन वायु सैना के विमान ने उस क्षत्र में आने वाल जहाजों के विरुद्ध लड़ाई करी।

ये अभ्यास युद्ध खेलों के रूप में किय गये जिनमें सभी जहाज और विमान युद्ध के लिये तत्पर थे। एसे प्रसंग भी इसमें शामिल किये गये जहां वायु, सामुद्रिक और धरातल के आक्रमणों के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अभ्यास किया गया। इस सेना ने संभावित शत्रुओं के विरुद्ध भी आक्रमण किया। समुद्र में टैंकरों से और स्टोशिप्स से ईंधन, रसद, और भंडार के पूर्ण रूप से संभरण का भी अभ्यास किया गया।

इन अभ्यासों से भारतीय टुकड़ी को फ्लैग अफिसर कमांडिग, भारतीय टुकड़ी और उनके कर्मचारियों और भारतीय नौसना को—

(क) समुद्र में कई श्रेणियों के जहाजों पर जो उनको उपलब्ध नहीं है और न उपलब्ध किये जा सकते, कमान संभालने;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(स) सामुद्रिक और केरियर बोर्न विमानों के विरुद्ध रक्षा में जहाज लगाने में, और

(ग) अन्य राष्ट्रमंडलीय नौसेनाओं में अभ्यास किये जा रही कुशलता पर विचार करने--

का अवसर प्राप्त हुआ ।

पलाई बैंक के खातेदारों को अदायेगी

†*१७४४. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या वित्त मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५०० के उत्तर के सम्मन्ध में यह बतान की कृपा करेंग कि:

(क) पलाई बैंक के कितने खातेदारों को प्रारम्भिक अधिमान्य अदायगी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना धन दिया गया है; और

(ग) क्या निदेशकों के आचरण के सम्बन्ध में बैंक के मामलों की जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री० ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). १९ अप्रैल, १९६१ तक प्राथमिक भुगतान के तौर पर ४३४३ खातेदारों को ६,८८,५६२ रुपये के चैक जारी किये जा चके हैं।

(ग) जी, नहीं।

संयुक्त अरब गणराज्य को इंडियन आयल कम्पनी का प्रतिनिधिमंडल

†*१७५१. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या इसरात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कम्पनी के एक प्रतिनिधि मंडल को संयुक्त अरब गणराज्य में, मिस्र के सहकारी विपणन और वितरण प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भेजने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) और (ख). इंडियन आयल कम्पनी ऐसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है । पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन और वितरण में संयुक्त अरब गणराज्य में सहकारी तरीकों का गहन रूप से अनुसरण किया जा रहा है । उन संगठनों का एक प्रतिनिधि नवम्बर में, इण्डियन आयल कम्पनी के साथ आपसी हितों के मामलों पर विचार के लिये भारत आयल था । कम्पनी की यथासंभव शीघ्र संयुक्त अरब गणराज्य को अपने अफसरों का एक छोटा दल भेजने की योजना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी

†*१७५२ {श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उनका दर्जा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आचरण नियम उन पर लागू कर दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) वे केन्द्रीय सरकारी उपक्रम के कर्मचारी हैं परन्तु उनकी स्थिति के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मोहिन्द्र गढ़ जिले में लोह-अयस्क

†*१७५३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के मोहिन्द्र गढ़ जिले में लौह-अयस्क का कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ख) क्या कच्चे पदार्थ को उसी स्थान पर इस्तेमाल करने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) पत्री वर्ष १९६० में १३,०६५ टन ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार महेन्द्र गढ़ जिले में स्थापित किये जाने वाली निम्न शाफ्ट भट्टी में लोह-अयस्क के इस्तेमाल करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है । अयस्क की उपयुक्तता के बारे में राष्ट्रीय धातुर्कामिक प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा रहा है और यदि यह ठीक हुआ तो राज्य सरकार एक योजना बनायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जामा मस्जिद, दिल्ली

†३८६१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में जामा मस्जिद, दिल्ली की देखभाल पर कितना धन व्यय किया गया था ; और

(ख) १९६१–६२ में जामा मजिस्द, दिल्ली की देखभाल पर कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** (क) १८,०८७.०४ रुपये ।

(ख) ३२.००० रुपये ।

बम्बई विश्वविद्यालय को अनुदान

†३८६२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बम्बई विश्वविद्यालय को कितना धन अनुदान में दिया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** १३,६६,५४९ रुपये ८१ नये पैसे ।

मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक-संगठनों को सहायता

†३८६३. **श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक-कार्यों की उन्नति के लिए किन संगठनों को अनुदान दिए गए थे ; और

(ख) उपरिलिखित अवधि में उनमें से प्रत्येक के लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख)

संगठन का नाम	धन राशि
१. कालीदास समारोह समिति	७,५०० रुपये
२. माणिक्य स्मारक वाचनालय	३,००० रुपये
३. सागर विश्वविद्यालय, सागर	१०,००० रुपये
४. इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़	५,००० रुपये
५. आदिम जाति सांस्कृतिक संग्रहालय जगदलपुर	१,००० रुपये
६. स्थानीय आदिमजाति स्कूल, जगदलपुर	५०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में ।

पंजाब में टेक्नीकल शिक्षा

†३८६४ { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेक्नीकल शिक्षा के विकास के लिए पंजाब में संस्थाओं (संस्था-वार) को कितना धन अनुदान में दिया गया ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :

संस्थाओं के नाम	स्वीकृत अनुदान
	रुपये
(क) गैर सरकारी संस्थाओं का अनुदान	
१. गुरु नानक इंजीनियरिंग कालिज, लुधियाना	५,६६,४६५
२. मेहरचन्द पालीटेक्निक, जालन्धर	२,६६,५६७
३. थापर इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नालाजी, पटियाला	५,२०,०००
४. रामगढ़िया पालिटैक्नीक, फगवाड़ा,	१,००,०००
५. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ़ इंजीनियरिंग, होशियारपुर	५,०००
जोड़ : रुपये	१२,८८,०३२
(ख) राज्य सरकारों को उनकी संस्थाओं के लिए सहायता	
१. पंजाब इंजीनियरिंग कालेग, चण्डीगढ़	रुपये १२,११,००० (१ से १२ तक)
२. गवर्नमेंट पालीटैक्नीक, अम्बाला	
३. पंजाब पालीटैक्निक, नीलोखेड़ी	
४. सेंट्रल पालीटैक्नीक, चण्डीगढ़	
५. बटाला पालीटैक्नीक	
६. सिरसा पालीटैक्नीक	
७. गुरू तेग बहादुर गढ़ पालीटैक्नीक	
८. झंजर पालीटैक्नीक	
९. गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जालन्धर	
१०. जूनियर टैक्नीकल स्कूल कांगड़ा	
११. जूनियर टैक्नीकल स्कूल, कपूरथला	
१२. जूनियर टैक्नीकल स्कूल गुड़गांव	
(ग) विश्वविद्यालय विभागों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदान	
	रुपये नये पैसे
१. डिपार्टमेंट आफ फार्मेसी, पंजाब विश्वविद्यालय	२०,१८३·६०
२. डिपार्टमेंट आफ कैमीकल टैक्नालाजी, पंजाब विश्वविद्यालय	१,४३,६६५·४८
जोड़	१,६३,८४९·०८

†मूल अंग्रेजी में ।

पंजाब में अनुसूचित जाति के किसान

†३८६५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में पंजाब में अनुसूचित जातियों के किसानों पर कुल कितना धन व्यय किया गया ; और

(ख) उससे कितने किसानों को लाभ हुआ है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) ६·२८ लाख रुपये (जनवरी १९६१ तक) ।

(ख) ३१४ ।

इंडियन नेवल कैन्टीन सेवा, बम्बई

†३८६६. **श्री त० ब० विठ्ठल राव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इंडियन नैवल कैन्टीन' सेवा, बम्बई के कर्मचारियों से कोई याचिका सरकार को मिली है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ;

(ग) क्या कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) इंडियन नेवल कैंटीन सेवा, बम्बई के कर्मचारियों से सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उड़ीसा में आत्म-सहायता आवास योजना

†३८६७. **श्री बै० च० मल्लिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६०–६१ में बाढ़ क्षेत्रों के निवासियों को मकान बनाने के लिये 'आत्म सहायता आवास योजना' के अधीन उड़ीसा को राज्य सरकार ने धन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना किस प्रकार की है ;

(ग) कटक, पुरी तथा बालासोर जिलों के कितने गांवों ने योजना का लाभ उठाया है ; और

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के लिये कोई धनराशि आवंटित की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) बाढ़ क्षेत्रों के निवासियों को मकान बनाने के लिये आत्म सहायता आवास योजना के अधीन उड़ीसा राज्य सरकार ने कोई धन-राशि नहीं दी है । किसान ऋण अधिनियम के अधीन मकान बनाने के लिये जनता को अग्रिम धन दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) योजना की मुख्य बात यह है कि मकान बनाने में जनता की आत्म-सहायता पर जोर दिया गया है। योजना में शामिल होने वाले लोगों की साधन बढ़ाने में सहायता की जाती है। भूमिहीन लोगों को ७५० रुपये का अनुदान दिया जाता है। ३ एकड़ भूमि वाले लोगों को ४५० रुपये का अनुदान तथा ३०० रुपये ऋण दिया जाता है तथा ३ एकड़ से अधिक भूमि वाले लोगों को ६०० रुपये का बिना सूद का ऋण दिया गया है।

(ग) आत्म सहायता योजना की क्रियान्विति के लिये कटक में चौदह गांवों को चुना गया है।

(घ) अभी नहीं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर

†३८६८. **श्री बै० च० मलिक :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० तथा १९६०–६१ के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर में प्रवेश के लिये विभिन्न राज्यों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी चुने गये ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२**]

पंजाब के छावनी बोर्डों को अनुदान

†३८६९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में पंजाब के छावनी बोर्डों के लिये कौन कौन सी विकास योजनायें बनाई गई तथा उनको पूरा करने के लिये कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) प्रत्येक छावनी बोर्डों की प्रत्येक विकास योजना के लिये कितनी धनराशि अन्तिम रूप से स्वीकार की गई ;

(ग) इन विकास कार्यों को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) १९६१–६२ में उपरिलिखित छावनी बोर्डों को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी के विवरण 'क' तथा 'ख' संबद्ध है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०––२८९९/६१]

(ग) सुबाचू छावनी में विकास कार्य पूरा हो चुका है तथा अन्य छावनी बोर्डों में काम पूरा होने के निकट हैं।

(घ) १९६१–६२ में भारत की सभी छावनियों में वितरण के लिये ४५ लाख रुपया दिया गया है परन्तु अभी तक अलग अलग छावनियों की आवंटन नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूस में भारतीय विद्यार्थी

†३८७०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० तथा १९६०–६१ में अध्ययन के लिये रूस कितने विद्यार्थी गये ;

(ख) कितने विद्यार्थियों को भारतीय तथा विदेशी छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं ;

(ग) कितने विद्यार्थियों को अपरेंटिशिप तथा लैक्चरशिप मिल गई हैं ;

(घ) कितने विद्यार्थी स्वयं गये हैं तथा कितने भारत सरकार द्वारा गये हैं ;

(ङ) कितने विद्यार्थियों की सरकार ने जांच की है ; और

(च) क्या सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों की जांच के लिये कोई आधार बनाया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (च). जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में साइकिल सवार

†३८७१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर १९६० से मार्च १९६१ तक दिल्ली संघ क्षेत्र में विभिन्न यातायात अपराधों के लिये कितने साइकिल सवारों पर अभियोग लगाये गये तथा जुर्माने लिये गये ;

(ख) इसी अवधि में विभिन्न यातायात दुर्घटनाओं में कितने साइकिल सवार घायल हुये तथा कितने मरे ; और

(ग) दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क)

नवम्बर '६० से मार्च, ६१ महीनों में अभियोग लगाये गये साइकिल सवारों की संख्या	नवम्बर '६० से मार्च, १९६१ के महीनों में दण्ड दिये गये तथा जुर्माना किये गये साइकिल सवारों की संख्या	
	दण्ड दिये गये जुर्माना किये गये	जुर्माना किये गये
१३,२२२	३४८	११९० रुपये

(ख) (१) नवम्बर १९६० से मार्च, १९६१ तक घायल हुये साइकिल सवार . . . २१४

(२) नवम्बर १९६० से मार्च, १९६१ तक हत साइकिल सवार १७

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं: —

१. पांच बड़ी सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है (जैसे फैंजरोड, सिकन्दरा रोड, ओल्ड रोहतक रोड, माल रोड, तथा रिंग रोड) ।

२. राज पथ तथा ओल्ड मिल रोड, चैम्सफोर्ड सर्कस, लेडी हार्डिंग सर्कस तथा कर्जन रोड तथा हैक्सागन रोड के चौराहे पर चार ओर बिजली के सिग्नल लगाये जा रहे हैं ।

३. छः सिनेमाओं में यातायात सुरक्षा स्लोगन स्लाइडें सभी शो में दिखाई जाती हैं ।

४. चौराहे पर रूकने का सिग्नल होने पर बाईं ओर रुकना रोक दिया गया है ।

५. कनाट प्लेस में 'वन-वे ट्रैफिक' लागू कर दिया गया है ।

६. साइकिल सवारों की सुरक्षा के लिये नई-दिल्ली नगरपालिका समिति तथा नगर-निगम दिल्ली से और साइकिल के मार्ग बनाने के लिये कहा गया है ।

७. मोटर साइकिलों पर ट्रैफिक पैट्रोल साइकिल सवारों द्वारा याता का उल्लधन रोकने के लिये बनाये गये हैं ।

तेल की पाइप लाइन के साथ साथ रेडियो-फोन पद्धति

†३८७२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर भारत में ७२० मील लम्बी तेल की पाइप लाइन के साथ साथ रेडियो-फोन पद्धति स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** टेलीमीट्री/टेलीकंट्रोल पद्धतिओं के ब्योरेवार डिजाइन पूरे हो चुके हैं और यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है । पाइपलाइन के सारे रास्ते पर रेडियो सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और १६ माध्यमिक रेडियो रिपोर्टर स्टेशनों की स्थापना तथा टावरों की ऊंचाई निश्चित कर ली गई है । टेलीकमुनिकेशन यंत्रों को रखने के लिये भवन का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा । आयात किये गये यंत्र भारत में जुलाई तथा अगस्त १९६१ में आने लगेंगे तथा उसके तुरन्त बाद इनको स्थापित किया जाने लगेगा ।

हरिजन कल्याण बोर्ड

†३८७३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में हरिजनों को कानूनी सहायता देने के लिये हरिजन कल्याण बोर्ड भारत के लिये कितनी धनराशि निश्चित कर ली गई है ;

(ख) क्या सारा धन व्यय कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) से (ग). १९६०–६१ में भारत सरकार ने किसी गैर-सरकारी संगठन के द्वारा हरिजनों को कानूनी सहायता देने के लिये कोई धनराशि निश्चित नहीं की है । अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजनाओं के लिये राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों ने सहायता दी है । इन योजनाओं को पूरा करने के लिये भारत सरकार ने भी वित्तीय सहायता दी है । श्री कुम्भार के दिनांक १० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४०८ के उत्तर में बताये गये अनुसार पूरी जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों के भंगियों तथा मेहतरों के लिए मकान

†३८७४. **श्री कुन्हन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार मल उठाने तथा कूड़ा उठाने में लगे हुए अनुसूचित जाति के परिवारों के लिये कितने मकान बनाये गये हैं ; और

(ख) इस काम के लिये कितनी धनराशि स्वीकार की गई थी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री आल्वा) :** (क) और (ख). राज्य सरकारों से जानकारी मंगाई गई है तथा मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिए मकान

†३८७५. **श्री कुन्हन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजनावधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने मकान बनाये गये हैं ;

(ख) कितनी धनराशि स्वीकार की गई थी ;

(ग) क्या कोई धनराशि व्यगत हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) से (घ). जानकारी राज्य सरकारों से मंगाई गई है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशों में गये मंत्रियों के लिए विदेशी मुद्रा

†३८७६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में कौन कौन से मंत्री तथा उपमंत्री विदेश गये थे ;

(ख) उनके विदेशों में जाने के क्या उद्देश्य थे तथा उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). जनकारी इकट्ठी की रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय में पद

†३८७७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ को इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय में प्रत्येक श्रणी में कितने पद हैं ; और

(ख) उनमें से कितने स्थायी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४]

रेलवे बुकिंग एजेंसी, दिल्ली, में चौकीदार की हत्या

†३८७८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री २६ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेंट्रल बुकिंग एजेन्सी, दिल्ली में मरे पाय गये दो चौकीदारों की हत्या के बारे में जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जी हां। मामले का पता न लगने की रिपोर्ट १० अक्तूबर १९६० को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की गई थी जिस को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है।

न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करना

†३८७९ { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की दिशा में और क्या प्रगति की गई है ; और

(ख) किन राज्यों में ऐसा कर दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). कार्य पालिका से न्यायपालिका को अलग करने के मामले में राज्य सरकारों द्वारा की गई और प्रगति का विवरण सम्बद्ध है।

विवरण

कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना

१ फरवरी, १९६१ को राज्य सरकारों द्वारा बताई गई प्रगति नीचे बताई जाती है :—

१. **आसाम** :—प्रस्ताव की जांच करने के लिय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

२. **बिहार** : योजना १७ जिलों में से १२ में लागू है। राज्य सरकारों ने मुंसिफ के पद बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर ली है जिससे और जिलों में कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग हो जाये।

३. **मध्य प्रदेश** :—महाकोशल क्षेत्र में अभी इनका अलग अलग होना बाकी है। योजना को इस क्षेत्र में लागू करने के सभी आरंभिक काम पूरे हो रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

४. **उड़ीसा** :—१ मई, १९६१ से पांच और जिलों में योजना बढ़ाने के प्रस्ताव तथा उसके पश्चात् समस्त राज्य में इसको लागू करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

५. **पंजाब** :—१९ जिलों में से १० जिलों में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है। पहले के पेप्सू राज्य में यह पूरी तरह से अलग अलग हैं। पहले के पंजाब राज्य में इसमें रूपभेद करके ५ जिलों, गुड़गांव, अम्बाला, शिमला, जालन्धर तथा होशियारपुर में इसको अलग अलग कर दिया गया हैं। इन दोनों स्थानों पर अनुभव के आधार पर शेष ९ जिलों के बारे में निर्णय किया जायेगा।

६. **राजस्थान** :—न्यायाधीश के० एल० बपना के सभापतित्व में समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

७. **उत्तर प्रदेश** :—वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में १३ और जिलों में राज्य सरकार योजना को लागू करने के बारे में विचार कर रही है।

औद्योगिक वित्त निगम से ऋण

†३८८० { **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :
श्री पुन्नूस : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में गैर-सरकारी उद्योगों अथवा सहकारी उद्योगों से औद्योगिक वित्त निगम से ऋण लेने के अभ्यावेदन मिले थे ; और

(ख) यदि हां, तो कितने स्वीकार किये गये (प्रत्येक में राशि बताते हुए) तथा कितने अस्वीकार किए गए।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां, सरकारी लिमिटेड समवायों तथा सहकारी समितियों से।

(ख) जुलाई १, १९६० से मार्च, ३१, १९६१ की अवधि की जानकारी नीचे दी जाती है:—

	स्वीकृत आवेदन पत्र		अस्वीकृत आवेदन पत्र	
	संख्या	धनराशि (रुपये लाखों में)	संख्या	धन राशि (रुपये लाखों में)
१. सरकारी लिमिटड समवाय	३८	१२,१३	१	३.५
२ सहकारी समितियां	५	२,९३	—	—
	४३	१५.०६	१	३.५

ताम्बे के अयस्क

†**३८८१. श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९-६० की तुलना में १९६०-६१ में तांबे के अयस्क का उत्पादन बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके आंकड़े क्या क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) १९५९–६० ४११,२२२ टन

१९६०–६१ ४२२,९६२ टन

महाराष्ट्र को इस्पात का संभरण

†३८८२. श्री पांगरकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में महाराष्ट्र को इस्पात का लदान सन्तोषजनक नहीं रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात के लदान की असन्तोष स्थिति को सुधारने के लिये क्या दम उठाये गये हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सितम्बर १९६० से जनवरी १९६१ तक महाराष्ट्र राज्य को लगभग ६४,००० टन इस्पात (राज्य के नियंत्रित भंडार कारियों समेत) संभरित किया गया था। महाराष्ट्र राज्य बनने से पहले अप्रैल से अगस्त १९६० में महाराष्ट्र समेत बम्बई राज्य को लगभग ६३,००० टन इस्पात का संभरण किया गया था। इन को हम असन्तोषजनक नहीं कह सकते हैं। देसी उत्पादन बढ़ जाने से देश की संभरण की स्थिति और सुधर जायगी ।

पंजाब में स्कूल होस्टल

†३८८३. श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दलजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार के लिए १९६०–६१ में स्कूल होस्टल बनाने के लिए कोई ऋण स्वीकार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब राज्य में प्रत्येक संस्था के लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई थी ;

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) १. खालसा बेसिक ट्रेनिंग कालिज सिंधवांखुर्द, लुधियाना १६,५०० रुपये
छोटूराम बसिक ट्रेनिंग कालिज, रोहतक . . ७०,००० रुपये

२. माध्यमिक स्कूलों तथा ट्रेनिंग कालिजों को १९६०–६१ में ऋण दिए जाने के लिए पंजाब सरकार को ४०,००० रुपये की राशि दी गई है । राज्य सरकार ने इस धनराशि के व्यय तथा ऋण दी जाने वाली संस्थाओं के ब्यौरे अभी नहीं बताये हैं

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पंजाब में खुले रंगमंच

†३८८४. **श्री अजित सिह सरहदी** : क्या **वैज्ञानिक, अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य सरकार ने १९५९–६० और १९६०–६१ में पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले रंगमंच चालू करने की कोई योजना प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार की थी उसका क्या ब्यौरा है और भारत सरकार से कितनी सहायता मांगी गयी है ; और

(ग) भारत सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर)** : (क) और (ख). जी हां। निम्नलिखित दस स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले रंग च स्थापित करने की हमारी योजना के अधीन वित्तीय सहायता की मांगें पंजाब राज्य सरकार ने प्रस्तुत की थीं :—

१९५९–६०

१. गांव नौरा, तहसील नवां शहर, जिला जालन्धर

२. गांव सैदपुर, तसहसील पानीपत, जिला करनाल

१९६०–६१

३. कैरो, जिला अमृतसर

४. ढूडेके, जिला फिरोजपुर

५ सिधवां खुर्द, जिला लुधियाना

६. छनरथाल, जिला पटियाला

७. कमला नेहरू पंचायत शिक्षा केन्द्र और प्रताप स्टेडियम, जिला रोहतक

८. रकंडा खेरी, जिला हिसार

९. रामपुर, जिला गुड़गांव

१०. रूपगढ़' जिला मोहिन्दरगढ़

(ग) ये रंगमंच स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को ११,५००रुपये मंजूर किये गये हैं ।

धुला हुआ कोयला

†३८८५. **श्री अजित सिह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(घ) कारगली, दुर्गापुर और अन्य वर्तमान कारखानों से कितना प्रतिशत धोया कोयला प्राप्त हुआ और धुलाई की लागत क्या पड़ी ; और

(ख) क्या वह प्रतिशत बढ़ाये जाने की कोई संभावनाएं हैं ?

---

†भूल अंग्रजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) कारगली, दुर्गापुर और अन्य वर्तमानों कारखानों से प्राप्त धोय कोयले की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

कोयला धोने के कारखाने का नाम	कच्चे कोयले में धोये कोयले की प्राप्ति की प्रतिशतता
१. कारगली	७० से ७३
२. दुर्गापुर	५० से ६०
३. पश्चिम बोकारो	८७
४. जमादोबा . . .	७०
५. लोदना	७०
६. नौराजाबाद	६७

लगभग एक साल तक इन कारखानों में पूरा पूरा उत्पादन होने के बाद ही कारगली और दुर्गापुर में कोयला धुलाई की लागत मालूम की जा सकती है । दूसरे चार कारखानों में जो गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं, कोयला धुलाई की लागत मालू नहीं है ।

(ख) धोये कोयले की प्राप्ति की प्रतिशतता कच्चे कोयले की किस्म पर मुख्यतः निर्भर होती है ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

†३८८६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास वित्त प्रशासन की कितनी रकम बकाया पड़ी हुई है और कितना प्रतिशत ऋण बट्टे खाते डाला जा चुका है ; और

(ख) जब ऋण देते समय उचित जमानतें दी गयी थीं तब ऋण वसूल न हो सकने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ब्याज सहित ५२८ लाख रुपये की रकम में से जो २१ दिसम्बर, १९६० को पुनर्वास वित्त प्रशासन की बकाया पड़ी हुई थी, ९,४१५ रुपये अर्थात ०.१८ प्रतिशत बट्टे खाते अब तक डाला जा चुका है ।

(ख) अशोध्य ऋण के अधिकार मामलों में जमानत देने वाले स्वतः विस्थापित व्यक्ति थे जिनकी वित्तीय स्थिति समय के साथ बिगड़ती गयी ।

'अदृश्य आयात'

†३८८७. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री १९५९–६० और १९६०–६१ में अदृश्य आयात के ब्यौरे बताने की कृपा करेंगे ?

†मूल अंग्रेजी में

[1] Invisible imports.

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : निम्नलिखित विवरण में १९५९–६० और १९६०–६१ (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान अदृश्य आयात के लिए भुगतान का ब्यौरा दिया हुआ है :—

	१९५९–६०*	१९६०–६१* (अप्रैल-सितम्बर)
	(करोड़ रुपयों में)	
विदेशी यात्रा . . .	९.५	६.६
परिवहन . . .	२०.३	११.१
बीमा	५.४	३.१
विदेश आय . . .	३८.४	२४.५
सरकार जो अन्यत्र शामिल नहीं की गयी दान	१४.०	४.८
(क) सरकारी . .	..	..
(ख) गैर-सरकारी . .	१६.१	८.५
विविध . . .	२३.६	१५.०
कुल . .	१२७.३	७३.६

*प्रारंभिक

इंडियन गारंटी एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड

†३८८८. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चलायी गयी इंडियन गारन्टी एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड ने अपना काम शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह अपने काम में कहां तक सफल हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) इंडियन गारण्टी एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी ने जो भारतीय जीवन बीमा निगम की सहायक है, काम शुरु कर दिया है।

(ख) उसने केवल १९६० में व्यापार शुरू किया है और उसके काम का पूरा पूरा ब्यौरा अभी तक उपलब्ध नहीं है। उसके आरंभ से अबतक की थोड़ी अवधि में उसका व्यापार संतोषजनक रहा ।

†अंग्रेजी में

जम्मू और काश्मीर में खनिज सम्पत्ति

†३८८९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा की गयी छानबीन के फल-स्वरूप वहां पाये गये लिग्नाइट, कोयला और जिप्सम के व्यापारिक रूप से खुदाई के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) क्या यह खुदाई सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा की जायगी और उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) और (ख): राज्य में लिग्नाइट कोयला और जिप्सम जैसे खनिज पदार्थों की खुदाई के लिए जम्मू और काश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर माइनिंग एण्ड मिनरल प्रोडक्टस कारपोरेशन लिमिटेड नामक एक निगम स्थापित किया है ।

विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां

†३८९०. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न विदेशों में भारतीय छात्रों को कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गयीं ;

(ख) कितने छात्रों को ने इन अवसरों से लाभ उठाया और वे अध्ययन के लिए विदेश गये ; और

(ग) इन छात्रवृत्तियों के लिए छात्रों को चुनने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). जानकारी इकटठी की जा रही है और वह यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

नागार्जुनसागर परियोजना

†३८९१. { **श्री बाली रेड्डी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पांगरकर :
श्री रामी रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने नागार्जुनसागर परियोजना की कार्य प्रणाली के बारे में गाडगील समिति की सिफारिशें मान ली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). उस दल को आन्ध्र प्रदेश और मैसूर की राय प्राप्त होने के बाद उस ने अभी हाल में अपनी रिपोर्ट अंतिम रूप से तैयार की है । योजना आयोग शीघ्र ही उस पर विचार करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोट माने का पुनर्वेलन (री-रोलिंग) उद्योग

†३८९२. **श्री अजित सिह सरहदी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में छोटे पैमाने का पुनर्वेलन उद्योग रद्दी लोहे को कच्चे माल के तौर पर काम में लाने में कहां तक सफल हुआ है ;

(ख) नियंत्रित स्रोतों से प्रत्येक राज्य को कितना रद्दी या कतरन लोहा (बिल्लटस) सप्लाई किया गया है; और

(ग) इस छोटे पैमाने के पुनर्वेलन उद्योग के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिह)** : (क) से (ग). ये छोटे कारखाने स्थापित करने की अनुमति केवल इसी शर्त पर दी गयी है कि वे सिर्फ स्थानीय रद्दी लोहे का इस्तेमाल करेंगे । इसलिए इन कारखानों को नियंत्रित स्रोतों से रद्दी लोहा या कतरनें नहीं दी जा सकतीं । फिर भी कुछ कारखाने बिल्लटस की सप्लाई के लिए मांग कर रहे हैं । अभी फिलहाल सप्लाई की परिस्थिति अनुकूल होने के कारण, विभिन्न राज्यों में छोटे पैमाने के री-रोलर्स को निम्नलिखित मात्रा में दिये जाने के लिए १५,००० टन बिल्लटस विकास आयुक्त, लघु उद्योग को दिये गये हैं :—

राज्य	मेट्रिक टनों में नियतन
असम	६५०
आन्ध्र प्रदेश	१,०४२
बिहार	१,०८०
गुजरात	६०४
मध्य प्रदेश	७६२
मद्रास	८४३
महाराष्ट्र	८३५
मैसूर	७०५
उड़ीसा	६०३
पंजाब	२,०८६
राजस्थान	७९८
उत्तर प्रदेश	१,४५८
पश्चिम बंगाल	१,९६८
दिल्ली	१,०००
पांडिचेरी	२२६
जम्मू और कश्मीर	३४०

छोटे पैमाने के री रोलर्स को, जिन्हें स्थानीय रद्दी लोहे पर निर्भर रहना चाहिये, नियमित रूप से कोई नियतन करने का सरकार का विचार नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में बुनियादी शिक्षा

†३८९३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी शिक्षा के विकास के लिये पंजाब सरकार को कुल कितना अनुदान दिया गया; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये दूसरी योजना की अवधि में कुल कितनी रकम काम में लायी गयी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन पंजाब सरकार को १९५६–५७ में ५.९९४ लाख रुपये और १९५७–५८ में ५.०२० लाख रुपये का अनुदान दिया गया था । १९५८–५९ और १९५९–६० में अनुदान प्रत्येक क्षेत्र के लिए अर्थात 'प्रारंभिक शिक्षा' 'माध्यमिक शिक्षा' और 'विश्वविद्यालय शिक्षा' तथा 'अन्य योजनाएं' के लिए दिये गये थे, न कि अलग अलग योजनाओं के लिए। १९६०–६१ में सम्पूर्ण 'शिक्षा' के लिए अनुदान दिये जा रहे हैं। इसलिए १९५८–५९ से आगे 'बुनियादी शिक्षा" के लिए अलग अलग आंकड़े देना संभव नहीं है ।

(ख)

१९५६–५७ : ५.९९४ लाख रुपये

१९५७–५८ : ५.०२० लाख रुपये

जैसा कि ऊपर बताया गया है, दूसरी योजना के शेष वर्षों के संबंध में यह जानकारी देन संभव नहीं है ।

कैन्टीन स्टोर्स विभाग

†३८९४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) व्यापारिक आधारा पर चलाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितना मुनाफा हुआ ;

(ग) क्या कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है ;

(घ) यदि नहीं तो क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उसके कर्मचारियों को प्रतिनिधि पदाधिकार देने की कोई योजना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) १९५७–५८ . . १८,०२,८३० रुपये

१९५८–५९ . २२,४७,८२२ रुपये

१९५९–६० . २६,१०,६०५ रुपये

(ग) जी नहीं १९५०–५१ में एक बार को छोड़कर ।

(घ) यद्यपि कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाता है फिर भी गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्य वाणिज्यिक उपक्रमों क प्रतिकूल, मुनाफा कमाना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है । व्यापार से जो भी अतिरिक्त लाभ होता है वह तीनों सेवाओं क कर्मचारियों को कल्याण तथा सामान्य भलाई के लिये अंशदान के रूप में दे दिया जाता है ।

(ङ) कर्मचारियों का पद विभाग के पद के साथ संबद्ध है जो अभी विचाराधीन है ।

कैन्टीन स्टोर्स विभाग

†३८९५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग की प्रतिकूल सिफारिशों जैसे आकस्मिक छुट्टी, सरकारी छुट्टी में कमी और शनिवार को पूरा दिन काम करना आदि कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) के कर्मचारियों पर लागू की गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य अनुकूल सिफारिशें जैसे वेतनक्रम आदि भी उन पर लागू की गयी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** (क) से (ग). वेतन आयोग की सिफारिशें कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) के कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होती। फिर भी, १९५५ में कैन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में यह तय हुआ था कि उन कर्मचारियों की सेवा की शर्तें सेना के आयुध कारखानों में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों की तत्सम श्रेणियों पर लागू होने वाली शर्तों के बराबर कर दी जायें। इसलिए आयुध डीपों में प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों के संबंध में किये गये सरकारी निश्चयों के आधार पर आदेश जारी किये गये कि आकस्मिक छुट्टी, शनिवार और सरकारी छुट्टी संबंधी वेतन आयोग की सिफारिशें इस विभाग के कर्मचारियों पर लागू की जायें। वेतन क्रम बढ़ाने के संबंध में इस विभाग के कर्मचारियों को किस प्रकार की सहायता दी जाये इस बारे में जांच पड़ताल करने और एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने एक अध्ययन दल स्थापित किया है। इस दल की रिपोर्ट संभवतः अगले महीने में मिल जायगी और अनुमान है कि उससे वेतन क्रम के बारे में सरकार उचित आदेश जारी कर सकेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में इस्पात पुनर्वेलन मिल

†३८९६. **श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य में इस्पात पुनर्वेलन मिल के लिए कोई लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस मिल में काम शुरू हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी हां।

(ख) और (ग). जी नहीं। योजना के लिए जरूरी संयंत्र और साज सामान अभी आयात नहीं किया गया है। इस संबंध में पार्टी से प्राप्त प्रस्तावों पर अभी बिचार हो रहा है।

त्रिपुरा में आदिम जाति झूमिया

†३८९७. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलियामूरा क्षेत्र (त्रिपुरा) के बैरागीडेपा के आदिम जाति झूमिया लोगों ने चकमुघाट सहकारी समिति द्वारा उस जमीन को ले लेने के विरुद्ध जिसे उन्होंने खेती योग्य बनाया था और जिस पर उनका कब्जा था, कोई अभ्यावेदन सरकार के पास भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बैरागीडेपा के आदिम जातियों के साथ उस जमीन का फैसला करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी हाँ। बैरागीडेपा के कुल ३७.४ एकड़ क्षेत्रफ से १२.५८ एकड़ १९५७ में ८ आदिम जातियों को दी गयी थी और २४.८० एकड़ जमीन चकपुघाट सरबस्था साधक समाहाय समिति को दी गयी थी। शेष ·०२ एकड़ जमीन किसी के पास नहीं थी और वह समिति को दी गयी है। समिति ने आदिम जातियों की कोई जमीन नहीं ली है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में जमीन सम्बन्धी झगड़े

†३८९८. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा में बेलोनिया सब डिविजन में कलासी मौजा में जमीन पर जिन गैर-आदिम जातियों ने कब्जा जमाया है क्या उनके तथा सरकार द्वारा बसाये गये आदिम जातियों के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो झगड़ा निबटाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) आदिम जाति के जिन लोगों को उस जमीन पर बसाया गया है उन्हें व्यवसाय देने के लिए क्या अंतरिम व्यवस्था की गयी है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

जमा बीमा निगम

†३८९९. **श्री बिभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बैंक खातेदारों के हितों की रक्षा के लिए 'जमा बीमा निगम' (डिपाजिट इन्शोरेन्स कारपोरेशन) स्थापित कर रही है;

(ख) उसकी लागत और प्रारंभिक पूंजी क्या होगी और केन्द्रीय सरकार वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक और खातेदारों के साथ उस निगम का क्या संबंध होगा;

(ग) क्या बैंक खातेदारों को भी उसमें कुछ अंशदान देना होगा और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (घ). यह विषय विचाराधीन है।

उड़ीसा में मैंगनीज की खानें

†३९००. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन परिस्थितियों में और किन शर्तों पर श्री बिजयानन्द पटनायक को १ नवम्बर, १९५२ से क्योनझर जिले में ३००० एकड़ क्षेत्रफल में मैंगनीज खानों से खनिज निकालने की अनुमति दी गयी थी;

(ख) क्या कलेक्टर ने जुलाई, १९५३ से जून, १९५९ तक सरकारी बकाया रकम की अदायगी के लिए ६,१८,००० रुपये के भुगतान के लिए जनवरी, १९६० में श्री पटनायक के नाम एक डिमान्ड नोटिस जारी की थी, और

(ग) क्या उस पार्टी ने अभी तक रकम भुगतान नहीं की है और यदि हाँ, तो उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क). श्री बी० पटनायक ने १९५२ में जिला क्योनझर में ३९०० एकड़ क्षेत्रफल में मैंगनीज खानों से खनिज निकालने के पट्टे के लिए आवेदन किया था। उसने निम्नलिखित दो शर्तें मान ली थी:—

(१) राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करने की सूचना मिलने के तीन साल के अन्दर फेरो-एलाय उद्योग स्थापित करना और

(२) स्वीकृत बाजारों में अयस्क के मूल्य से रायल्टी लगाने के लिए खान द्वार मूल्य का हिसाब लगाया जायै।

---

†मूल अंग्रेजी में

उसके बाद राज्य सरकार ने १–११–५२ से खान कार्य आरंभ करने की अनुमति दी। यह अनुमति प्रारंभ में केवल एक साल की अवधि के लिए थी।

(ख) जुलाई, १९५३ से ३०जून १९५९ तक श्री पटनायक पर ६,१८,९२६ रुपये ६०नये पैसे बकाया थे। २८–२–६० तक अदायगी की मांग करते हुए एक डिमांड नोटिस जारी की गयी थी।

(ग) श्री पटनायक ने रकम की अदायगी नहीं की। इस पर कलक्टर ने १४–१२–६० को उनके नाम नोटिस जारी की और उन्हें हिदायत दी कि खान का काम बंद कर दिया जाये और ९–१–६१ तक वह क्षेत्र छोड़ दिया जाये। श्री पटनायक नें उसके बाद तुरन्त उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक लेखयाचिका पेश की है जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है।

उड़ीसा में मैंगनीज की खानें

†३९०१. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री बिजयानन्द पटनायक १९५५ से, बिना किसी मान्य खनन पट्टे के, उड़ीसा के क्योनझर जिले में १००६ एकड़ जमीन में मैंगनीज खानों से खनिज निकालते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) श्री बी० पटनायक ने १००६ एकड़ जमीन में लौह अयस्क के खनन पट्टे के लिए १–७-५५ को आवेदन पत्र दिया था। राज्य सरकार ने ३०अगस्त, १९५५ को लौह अयस्क खानों से खनिज निकालने की अनुमति दी थी। फिर भी उन्होंने खनन पट्टे को कार्यान्वित नहीं किया।

(ख) कलक्टर ने श्री पटनायक के नाम नोटिस जारी करके खनन बंद करने और ९–१–६१ तक उस क्षेत्र से चले जाने के लिए उन्हें हिदायत दी। श्री पटनायक ने उड़ीसा उच्च न्यायालय में लेख-याचिका पेश की है और अभी उसका निर्णय होना बाकी है।

उड़ीसा में लौह अयस्क

†३९०२. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बिजयानन्द पटनायक ने १९५९ में क्योनझर जिले में कुछ खानों से ५३,००० टन से अधिक लौह अयस्क रवाना किया था और कलक्टर से बार बार नोटिसों के बावजूद उन्होंने न कोई रायल्टी दी और न कोई हिसाब किताब पेश किया; और

(ख) यदि हां, तो इस पार्टी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जी हां।

श्री पटनायक ने ५३,७४० टन लौह अयस्क भेजा और सरकारी बकाया रकम अदा नहीं की।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्लक्टर, जिला, क्योनझर, ने श्री पटनायक के नाम नोटिस जारी की कि वह खान में काम बंद कर दे और ९-१-६१ तक उस क्षेत्र से चले जांयें। श्री पटनायक ने उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक लेख याचिका प्रस्तुत की है और अभी उसका निर्णय नहीं हुआ है ।

कारतूसों की कीमत

†३९०३. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों में १२ बोर कारतूसों का वर्तमान उत्पादन मूल्य और उनका बिक्री मूल्य क्या है ; और

(ख) क्या बिक्री मूल्य कम करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) बढ़ती हुई मांग और उत्पादन के कारण उत्पादन मूल्य लगभग ४५ रुपये प्रति सैकड़ा कारतूस तक कम कर दिया गया है । इस में पैकिंग का खर्च शामिल नहीं है । वर्तमान बिक्री मूल्य, पैकिंग खर्च छोड़ कर, ६५ रुपये प्रति सैंकड़ा कारतूस है ।

(ख) जी हां, बिक्री मूल्य की ओर बराबर ध्यान दिया जाता है और उसे कम करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

उड़ीसा में देशी शराब की दुकानें

†३९०४. **श्री कुम्भार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत समय पूर्व यह सुझाव दिया गया था कि उड़ीसा सरकार द्वारा ठेके की प्रणाली पर चलाई जाने वाली देशी शराब की दुकानों को अनुसूचित जातियों की बस्तियों से हटा दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) अभी तक ऐसी कितनी दुकाने राज्य में, जिलेवार, हटाई जा चुकी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). जी नहीं । परन्तु दो शिकायतें अवश्य प्राप्त हुई थीं---एक १९५६ में और दूसरी १९६० में । इन में से पहली कालाहांडी जिले में भवानीपटना की बस्ती और दूसरी बोलनगीर जिले में सोनपुर की बस्ती में स्थित देशी शराब की दुकानों को हटाने के संबंध में थी । दोनों दुकाने आपत्ति रहित स्थानों में हटा दी गई हैं।

उड़ीसा में मेसर्स स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स लिमिटेड को ऋण

†३९०५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स लिमिटेड को उड़ीसा में कागज मिल की स्थापना के लिये १५ लाख रुपया का ऋण उसे किस तारीख को भुगतान किया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उड़ीसा राज्य उद्योग सहायता अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार पर यह प्रतिबन्ध है कि वह राज्य उद्योग सहायता बोर्ड के अनुमोदन के पूर्व उस रुपए का भुगतान न करे ; और

(ग) उड़ीसा राज्य उद्योग सहायता बोर्ड ने कथित ऋण का भुगतान अनुमोदन किस तारीख को किया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रोलय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) उड़ीसा सरकार ने मेसर्स स्ट्रा प्रोडक्टस लिमिटेड को राज्य में कागज की मिल की स्थापना के लिए अभी तक किसी ऋण का भुगतान नहीं किया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) १५ मार्च, १९६१ को ।

मद्रास में विद्यार्थियों की यात्राओं के लिए सहायता

†३९०६. **श्री इलयापेरूमाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में वर्ष १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में कौन कौन सी संस्थाओं को विद्यार्थियों की यात्राओं के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) दी गई सहायता से की गई यात्राओं (स्थानों के नाम) का ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । **देखिये संख्या एल० टी० २९०० ।६१**] ।

मद्रास राज्य में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

†३९०७. **श्री इलयापेरूमाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास राज्य में १९६०-६१ और १९६१-६२ में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को वजीफे और छात्र वृत्तियां प्रदान करने की योजना को क्रियान्वित करने के लिए मद्रास राज्य को कोई राशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) भारत सरकार द्वारा मद्रास सरकार को उसकी राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को वर्ष १९६०-६१ में शिक्षा संबंधी रियायतें देने की योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासकीय मंजूरी दी जा चुकी है उस व्यय में भारत सरकार का अंश तब दिया जायेगा जब कि राज्य सरकार १९६०-६१ में किए गए सही व्यय की सूचना भेज देगी । इसी प्रकार भारत सरकार का १९६१-६२ का अंश तब मंजूर किया जाएगा जब कि राज्य सरकार से किए गए व्यय के आंकड़े १९६२-६३ के दौरान प्राप्त होंगे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर का प्रविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण

†३९०८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक गवेषणा परिषद ने अपने मनीपुर के प्रविधिक आर्थिक सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में २०.५ करोड़ रुपये की लागत की १९६२-७१ के बीच एक दस वर्षीय विकास योजना का सुझाव दिया है;

(ख) क्या प्रस्तावित अधिक व्यय से प्रति व्यक्ति आय के लगभग ३ प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ जाने की आशा है ; और

(ग) यदि हां, तो शेष भारत की आय में वृद्धि की हर दर की तुलना में वह कैसी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां, ।

(ख) यह परिषद का मत है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मनीपुर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

†३९०९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल का एक अधिकारी मनीपुर प्रशासन और प्रादेशिक परिषद के अधिकारियों को कार्यालय प्रक्रिया में प्रशिक्षण देने के लिए मनीपुर भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ा दी गई है ; और

(ग) क्या प्रशिक्षण का कोई नियमित कोर्स अंगीकृत किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां; उसे प्रारंभ में मनीपुर प्रशासन के सचिवालय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से छै महीने की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था ।

(ख) जी, हां । छै महीने के लिए बढ़ायी गयी थी । उसे छे महीने और बढ़ा देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) जी हां, प्रशिक्षण के नौ नियमित कोर्स आयोजित किए गए हैं।

मनीपुर में न्यायालय के कार्य का इकट्ठा होना

†३९१०. **श्री ले० अचौ सिंह** :क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में जिला और सेशन्स जज, सबजजों और मुसिफों के न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या वर्ष १९६०–६१ में बढ़ गई है; और

(ख) इन न्यायालयों में १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में फाइल किये गए तथा उन के द्वारा निपटाए गए मुकदमों की संख्या कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) तात्थिक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४**] ।

५०५ आर्मी वर्कशाप, दिल्ली केन्ट

†३६११. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५०५ आर्मी वर्कशाप, दिल्ली केन्ट के चार कर्मचारियों को जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा से हटा दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस वर्कशाप में कोई हड़ताई हुई ही नहीं थी;

(ग) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या आरोप है;

(घ) क्या इन कर्मचारियों द्वारा अपीलें की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उन अपीलों पर विचार किया जा चुका है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** :(क) ५०५ आर्मी वर्कशाप, दिल्ली केन्ट के केवल ३ कर्मचारी जुलाई, १९६० की हड़ताल के सम्बन्ध में घोर कदाचार के आरोप पर सेवा से हटाये गये हैं ।

(ख) जी नहीं इस वर्कशाप में जूलाई १९६० में आंशिक हड़ताल हुई थी।

(ग) घोर कदाचार ।

(घ) हां, श्रीमान ।

(ङ) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों पर विचार किया गया था तथा वे नामंजूर कर दी गई हैं ।

चंडीगढ़ में विमान क्षेत्र

†३६१२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ के विमान क्षेत्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो वह विस्तार किस प्रकार का होगा, योजना का ब्यौरा क्या है और वह कब तक पूर्ण होगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). चण्डीगढ़ विमान क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन की मंजूरी दी गई है। अग्रेतर आवश्यकताओं की जांच की जा रही है। ब्यौरे के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिये जाने पर उन कार्यों को मंजूरी दी जायेगी और उन्हें यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ लोक सेवा आयोग की स्टेनोग्राफरों की परीक्षा

†३९१३. **श्री इलयापेरूमाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग की स्टेनोग्राफरों की परीक्षा में वर्ष १९५९ और १९६० में अनुसूचित जातियों के कितने अभ्यर्थी बैठे थे;

(ख) उनमें से कितने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वरण किये गये थे; और

(ग) उनमें से कितनों को १९५९ और १९६० में (अलग-अलग) काम दिया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क)

	१९५९ . . .	५२
	१९६०	१२२
(ख)	१९५९	७
	१९६०	१०

(ग) १९५९ की परीक्षा के समस्त सात अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर नियुक्त किये जा चुके हैं। १९६० की परीक्षा का परिणाम १३ मार्च, १९६१ को घोषित किया गया था। दस अभ्यर्थियों में से ६ को नियुक्ति प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और शेष चार को नियुक्तियां देने के लिए कदम उठाये गये हैं।

मद्रास में भूतपूर्व सैनिक

†३९१४. **श्री इलयापेरूमाल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६० को मद्रास राज्य में जिले-वार कितने भूतपूर्व सैनिक थे;

(ख) उनमें से कितनों ने १९५२ के पूर्व पेंशन प्राप्त की थी तथा कितनों को १९५२ के पश्चात पेंशन दी गई थी; और

(ग) उनमें से कितनों को ३१ दिसम्बर, १९६० तक रोजगार दिया गया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) मद्रास राज्य में १ मई, १९५१ से ३१ दिसम्बर, १९६० तक १२,६१४ भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी सेवा में लिया गया था। गैर सरकारी नौकरियों में लिये गये भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

लेख याचिकाएं

†३९१५. **श्री इलयापेरूमाल:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास. उच्च न्यायालय में १ जनवरी, १९६१ से ३१ मार्च, १९६१ तक कितनी और किस प्रकार की लेख-याचिकाओं का निपटारा किया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** सूचना प्राप्त की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास के लिये लोहे की चादरें

†३९१६. **श्री इलयापेरूमाल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास ने १९६१ के लिए लोहे की चादरों की कितनी मांग की है;

(ख) उस मांग की कहां तक पूर्ति की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा मद्रास के लोहे की चादरों का अधिक संभरण करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). इस्पात का आवण्टन वित्तीय वर्ष-वार किया जाता है । मद्रास की वर्ष १९६०–६१ की मांग और आवण्टन निम्न प्रकार है :

(१) मांग	२१,१४९ टन ।
(२) आवण्टन	१०,९६७ टन ।
(३) प्रेषण	५,१५१ टन । (जनवरी, १९६१ तक जिसमें केन्द्रीय कोटे पर किये गये प्रेषण भी सम्मिलित हैं ।)

(ग) रूरकेला की फिनिशिंग मिलों में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने पर मद्रास तथा अन्य राज्यों को भी चादरों के संभरण की स्थिति धीरे धीरे सुधर जायेगी ।

त्रिपुरा में धूली लोग

†३९१७. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के कैलाशहर सब-डिवीजन में लगभग दो हज़ार धूली लोग हैं;

(ख) क्या वे अस्पृश्यों की श्रेणी में आते हैं परन्तु उन्हें अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-ककार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) १९५१ की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा के कैलाशहर सब-डिवीजन में धूलियों की संख्या ११२० है ।

(ख) और (ग). वे अस्पृश्य नहीं समझे जाते हैं अतः उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में नहीं रखा गया है ।

त्रिपुरा में निराश्रित विस्थापित महिलाओं के लिए नरसिंहगढ़ शिविर

†३९१८. **श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में निराश्रित विस्थापित महिलाओं के लिए नरसिंहगढ़ शिविर में कुल कितना स्थान है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वहां पर कितनी महिलाअयें इस समय रह रही हैं; और

(ग) क्या सरकार को विस्थापित व्यक्तियों से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें उन्होंने वहां जाने से अनिच्छा प्रकट की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) त्रिपुरा में असंबद्ध शरणार्थी महिलाओं के लिए कोई शिविर नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

त्रिपुरा में अनसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए सरकारी बोर्डिंग हाउस

†३९१९. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में सरकारी बोर्डिंग हाउसों में कितने अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं;

(ख) इनमें से कितने विद्यार्थियों को सरकारी बोर्डिंग छात्रवृत्ति मिलती है; और

(ग) क्या अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त आवास की व्यवस्था की जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) (१) प्रादेशिक परिषद के अधीन बोर्डिंग हाउसों में २४ ।

(२) प्रशासन के अधीन बोर्डिंग हाउसों में १२ ।

(ख) प्रादेशिक परिषद के अधीन बोर्डिंग हाउसों में रहने वाले विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी २५ रुपये मासिक मिलता है । प्रशासन के अधीन बोर्डिंग हाउसों में रहने वाले १२ विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलती है जिसमें बोर्डिंग के व्यय भी शामिल हैं ।

(ग) जी हां ।

त्रिपुरा में अध्यापकों के लिए क्वार्टर

†३९२०. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूल अध्यापकों को क्वार्टर्स की बड़ी कठिनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उनको क्वार्टर देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां, कुछ सीमा तक ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में अध्यापकों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए उपयुक्त उपबन्ध किये गये हैं ।

त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारी

†३९११. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें यह थीं कि त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारियों को पश्चिमी बंगाल की दरों के अनुसार पारिश्रमिक दिये जायं । उन पर यह निर्णय किया गया कि :—

(१) त्रिपुरा में वेतन क्रम वही होने चाहिए जो पश्चिम बंगाल में उन्हीं पदों के लिए हैं ; और

(२) २५० रुपये से कम वेतन पाने वाले त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के अतिरिक्त, समस्त महंगाई भत्ता उनके वेतन का अंग माना जायेगा तथा २५० रुपये अथवा उससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को १ जुलाई, १९५९ से पहले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता वेतन में शामिल कर दिया जायेगा तथा शेष महंगाई भत्ता मान लिया जायेगा ।

क्योंकि पश्चिमी बंगाल में १९५० के वेतन क्रमों की तुलना में वेतन क्रम बहुत कम थे इसलिए हाल में ही आदेश दिए गए हैं कि १ जुलाई, १९५९ के भूतलक्षी प्रभाव से अधिकांश पदों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण कर दिया जाये । शेष पदों के वेतन क्रमों के पुनरीक्षण पर विचार किया जा रहा है ।

स्थानीय निधि लेखा विभाग, केरल में सेवाओं का एकीकरण

†३९२२. **श्री वें० ईयाचरण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय निधि लेखा विभाग में सेवाओं के एकीकरण के बारे में द्वितीय एकीकरण समिति के निर्णयों को केरल राज्य सरकार को बता दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा क्या यह प्रकाशित कर दी गई है ;

(ग) क्या २ नवम्बर, १९५६ के भूतलक्षी प्रभाव से सेवाओं के एकीकरण का निर्णय करने के बाद वेतन बढ़ जाने से वेतन के बकाया देने की कोई व्यवस्था कर दी गई है ; और

(घ) क्या भारत सरकार द्वारा बनाई गई समिति के निर्णयों को राज्य सरकार बदल सकती है ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) सेवाओं के एकीकरण की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए केरल सरकार ने भारत सरकार के एक पदाधिकारी के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की थी जो उनकी इस काम में सहायता करे । क्योंकि समिति ने राज्य सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत की हैं इसलिए राज्य सरकार को उन्हें देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ख) राज्य सरकार ने बताया है कि विभाग में पदों का समानीकरण करते समय उन्होंने उक्त समिति की सिफारिशों पर ध्यान रखा है ।

(ग) पुनर्गठन से प्रभावित कर्मचारियों को विकल्प होगा कि वह पुराने राज्य के वेतन क्रम स्वीकार करे अथवा नवीन राज्य के वेतन क्रमों को स्वीकार करे । उनको वेतन विकल्प करने की तिथि से दिये जायेंगे ।

(घ) राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा ११५ की उपधारा (५) के अधीन केन्द्रीय सरकार सेवाओं के एकीकरण तथा विभाजन में सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार एक अथवा

---

†मूल अंग्रेजी में

कोई सलाहकार समितियां बना सकती है । समिति केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ सिफारिशें देती है । इसलिये राज्य सरकार द्वारा समिति के निर्णयों को बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

उड़ीसा के लिए कोयला

†३९२३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६१ से मार्च, १९६१ तक उड़ीसा को कितना कोयला लादा गया ;

(ख) क्या उड़ीसा के लिए आवंटित समस्त कोटा इसी अवधि में लाद दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो रेलवे से पूरा कोटा लादने में क्या कठिनाइयां थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जनवरी, १९६१ से मार्च, १९६१ तक उड़ीसा को ११,५५२ वैगन कोयला लादा गया ।

(ख) और (ग). परिवहन कठिनाइयों के कारण पूरा कोटा नहीं लादा जा सका ।

भूतपूर्व सैनिक

†३९२४. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक विभागों में नियुक्ति करते समय भूतपूर्व सैनिकों के राशन भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता आदि का ध्यान नहीं किया जाता है ! और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा में ऐसे व्यक्ति कितने हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) सेना में नौकरी की विशेष स्थिति होने के कारण पदों को राशन भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता आदि विशेष रियायतें दी जाती हैं । इसलिए भूतपूर्व सैनिकों के असैनिक नियुक्ति में आने पर उनके वेतनों के निर्धारण में इनका ध्यान नहीं रखा जाता है । ऐसे व्यक्तियों की असैनिक पदों पर संबद्ध मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि दिया जाता है ।

परन्तु इस बात पर विचार किया जा रहा है कि असैनिक पदों पर वेतन निश्चित करने में प्रतिरक्षा के भत्तों का कितना ध्यान रखा जाना चाहिए ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में प्रभावी व्यक्तियों की संख्या इस समय मालूम नहीं है । जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नई-दिल्ली के रोशनारा बाग में झील

†३९२५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के रोशनारा बाग में झील को जापानी ढंग की बनाने की कोई योजना है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या परिवर्तन किये जायेंगे ;

(ग) योजना का व्यय क्या होगा ; और

(घ) योजना की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान झील को $1^1/_2$ गुना बड़ा बनाया जा रहा है । झील के चारों ओर पेड़ लगाये जायेंगे । उपयुक्त स्थानों पर पत्थरों के टीले बनाये जायेंगे । झील के एक कोने पर एक जलपान गृह बनाने का प्रस्ताव है तथा खुला नाट्यघर तथा बाल नाट्यघर बनाया जायेगा । बारादरी के चारों ओर चार नहरें बनाई जायेंगी जिससे मुग़ल काल की याद आये । द्वीप को सुन्दर बनाया जायेगा तथा लकड़ी के पुल से जोड़ा जायेगा । जल प्रपात भी बनाया जायेगा ।

(ग) प्राक्कलित व्यय लगभग १० लाख रुपये होगा ।

(घ) झील बड़ी करने का काम आरम्भ हो गया है । जलपान गृह तथा चाय शाला के नक्शे बना लिये गये हैं । उद्यान सम्बन्धी तथा असैनिक इंजीनियरिंग कामों के प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं । भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् खुला नाट्यघर तथा बाल नाट्यघर बनाने का काम कर रहा है ।

अमरीकी युद्ध कालिज दल[1] का दौरा

†३९२६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही अमरीका युद्ध कालिज दल भारत का दौरा करने आया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस दल के साथ कोई बातचीत हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो किन विषयों पर ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) २ से ४ अप्रैल, १९६१ तक अमरीकी राष्ट्रीय युद्ध कालिज के पदाधिकारियों के एक दल ने भारत का दौरा किया था । विदेशों के विद्यार्थियों से परिचय करने के उद्देश्य से अमरीका सरकार प्रत्येक वर्ष अपने देश से बाहर दौरों का प्रबन्ध करती है । भारत में उनका दौरा इसी आधार पर हुआ था ।

(ख) और (ग) उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई । परन्तु हमारी पंचवर्षीय योजना तथा सामुदायिक विकास के बारे में वार्ता में निश्चित की गई ।

विज्ञान मंदिर

†३९२७. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की निर्धारण समिति ने विज्ञान मन्दिरों का कार्य असन्तोषजनक पाया है ; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशें किस प्रकार की हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख).

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]U. S. War College Team.

विज्ञान मन्दिर सम्बन्धी निर्धारण समिति की सिफारिशें उनके प्रतिवेदन (खण्ड १) में हैं, जो २८ मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था ।

इलायची से तेल तथा टिंचर तैयार करना

†३९२८. **श्री नारायणस्वामी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा इलायची के तेल तथा टिंचर बनाने की खोज की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्यमंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास राज्य में सिद्ध वैद्य पद्धति सम्बन्धी दुर्लभ ग्रन्थ

†३९२९. **श्री नारायणस्वामी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मद्रास राज्य में सिद्ध वैद्य पद्धति सम्बन्धी सभी हस्त-लिपियों तथा दुर्लभ ग्रन्थों को इकट्ठा करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्रीहुमायून् कबिर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा के भूतपूर्व मंत्रियों को यात्रा-भत्ता तथा महंगाई भत्ता

†३९३०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २९ फरवरी, १९६० से २५ फरवरी, १९६१ तक उड़ीसा के सभी मंत्रियों ने अलग अलग कितना धन यात्रा भत्ता तथा महंगाई व भत्ता के रूप में लिया ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** एक विवरण संबद्ध है । **[देखिये परि-शिष्ट, अनुबन्ध संख्या १५]**

हिमाचल प्रदेश में हत्याओं की संख्या

३९३१. **श्री पद्म देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९६० में कितनी हत्यायें हुई और १९५७, १९५८ और १९५९ में इन की संख्या कितनी थी;

(ख) कितनी हत्याओं का (वर्षवार) पता नहीं लग सका; और

(ग) कितने लोगों को दण्ड दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग).

	रिपोर्ट की गई हत्याओं की संख्या	जिन मामलों में पता नहीं लग सका	दोषी ठहराये गये व्यक्तियों की संख्या
१९५७ .	१९	..	९
१९५८	१३	१	७
१९५९	१९	१	७
१९६० . . .	१६	१	१३

हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग

३९३२. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग की मोटर गाड़ियों के विरुद्ध गत तीन वर्षों में मोटर गाड़ी एक्ट के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज किये गये; और

(ख) कितने मामलों में दण्ड दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग की मोटर गाड़ियों के चालान किये गये तथा दण्ड दिये गये मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	१९५८	१९५९	१९६०
चालान किये गये . .	२३९	१६०	२७५
दण्ड दिये गये . .	२३४	१५१	२४५ (२० मामले अभी विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं)

हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा चलायी जाने वाली बाल-क्लबें

३९३३. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की पुलिस द्वारा १९६० में कितने बाल क्लब चलाये जा रहे थे;

(ख) इन क्लबों के द्वारा क्या क्या कार्य सम्पादित हुए; और

(ग) इन क्लबों को सरकार ने क्या सहायता दी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) बत्तीस।

(ख) ये क्लब बच्चों को निम्नलिखित सुविधायें देते हैं। :—

(१) आभ्यन्तर तथा गृहबाह्य[1] खेल

(२) मनोरंजनात्मक कक्षायें, जैसे टोकरियां बनाना, कताई बुनाई आदि;

(३) सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गायन आदि; तथा

(४) पुस्तकों, समाचारपत्रों, पत्रिकाओं आदि का पढ़ना।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indoor and Outdoor games

(ग) हिमाचल प्रदेश पुलिस क्लब फैड्रेशन (पंजीकृत) को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड सन् १९६० में ३,००० रुपये का सहायक अनुदान दिया ।

हिमाचल प्रदेश में अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराध

३९३४. **श्री पद्म देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वर्ष १९६० में छुआछूत सम्बन्धी कितने अभियोग चलाये गये;

(ख) जिन के विरुद्ध अभियोग चलाये गये उन में से कितने परिगणित जाति के और कितने स्वर्ण हिन्दू थे; और

(ग) कितने व्यक्ति दण्डित हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सन् १९६० में हिमाचल प्रदेश में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत कोई मामले नहीं चलाये गये ।

हिमाचल प्रदेश में अवैध मद्य-निर्माण

३९३५. **श्री पद्म देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में अवैद्य मद्य निर्माण करने और मद्य रखने के आरोपों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए; और

(ख) गिरफ्तार व्यक्तियों में से कितने दण्डित हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में मद्य-निषेध

३९३६. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में मद्यपान नितान्त निषिद्ध है; और

(ख) इन क्षेत्रों में मद्य निर्माण और दूसरे स्थानों से मद्य के चोरी-छिपे ले जाने को रोकने के लिये क्या क्या साधन अपनाये गये हैं ; ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में नितान्त निषेध लागू किया गया है :—

बिलासपुर जिला सारा कुमारसेन की उप तहसील कोटखई की उप तहसील चौपाल तहसील जुब्बल तहसील अर्की तहसील में कुनिहार क्षेत्र	जिला महासू

मण्डी जिले की चचियाट तहसील चम्बा जिले की भरमौर तहसील में परगना साहो तथा चौरासी क्षेत्र ।

(ख) उक्त क्षेत्र में मद्य निर्माण तथा उस के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये निम्नलिखित साधन अपनाये गये हैं; :—

(१) इन क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादन कर तथा पुलिस स्टाफ नियुक्त किया गया है ।

(२) निषेध नीति के सफल कार्यान्वय के विषय में प्रशासन को सलाह देने के लिये सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों की जिला निषेध समितियां तथा एक राज्य निषेध बोर्ड की स्थापना की गई है ।

(३) इस क्षेत्र में पंजाब उत्पादन कर (संशोधन) अधिनियम, लागू कर दिया गया है, जिस के अधीन अपराधियों को कड़ी सजा दी जा सके ।

(४) लागू किये गये कानूनों की कमियां तथा प्रदेश के निषेध क्षेत्र में निषेध की सफलता पर विचार करने के लिये एक समिति स्थापित की गई है । समिति को आवश्यकतानुसार गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया है ।

(५) मद्य के अवैध निर्माण का पता लगाने तथा ऐसे मद्य को खोज निकालने के लिये कुत्ते प्रशिक्षित किये जा रहे हैं ।

अवैध अफीम का पकड़ा जाना

३६३७. **श्री पद्म देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वर्ष १९६० में कितनी अवैध अफीम पकड़ी गई; और

(ख) कितने व्यक्ति दोषी पाये गये और कितनों को दण्ड दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) २२.५११० किलोग्राम ।

(ख) ३७ आदमी पकड़े गये थे । जिन लोगों को सजा दी गई उन की संख्या के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार की सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

दिल्ली के लिये पृथक अधीनस्थ सेवा

†३६३८. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के लिये एक पृथक अधीनस्थ सेवा स्थापित करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: दिल्ली और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की आवश्यकताओं को संयुक्त रूप से पूरा करने के लिये हाल ही में दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश असैनिक सेवा एवं दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवाओं की स्थापना की गई थी । इन सेवाओं संबंधी नियम क्रमशः १५ और ३० मार्च को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे ।

दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के लिये पृथक अधीनस्थ सेवा का सही स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ है । दिल्ली प्रशासन के प्रत्येक बड़े विभाग अर्थात् पुलिस, राजस्व, उत्पादन कर तथा बिक्री कर विभाग आदि में अधीनस्थ सेवा के विभिन्न वेतन क्रमों की स्वतन्त्र पदालियां हैं, जिन का प्रशासन इस उद्देश्य के लिये बनाये गये संगत भर्ती नियमों द्वारा किया जाता है । पृथक २ विभागों के लिये या कई विभागों के लिये संयुक्त राज्य में इस रूप में एक पृथक अधीनस्थ सेवा बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

उड़ीसा मुख्य मंत्री सहायता निधि

†३६३९. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा मुख्य मंत्री सहायता निधि १९६० के लिये कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २१ फरवरी, १९६० तक जिस दिन राज्य मंत्री मंडल ने अपना त्याग पत्र दिया, इस निधि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया है ;

(ग) क्या राज्य के मंत्री मंडल के भंग होने के पश्चात, खर्च की गई राशि का उपयोग करने के लिये कोई तरीका अपनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वह तरीका क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). फरवरी १९६१ के अन्त तक उड़ीसा मुख्य मंत्री सहायता निधि के लिये ५,१३,७६९ रुपये ३४ नये पैसे की राशि प्राप्त हुई थी। २१ फरवरी १९६१ तक इस निधि में से ४,५०,००० रुपये लिये गये थे। राज्य का मंत्री मंडल भंग होने के पश्चात उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को राज्य के राज्यपाल के आदेश के अनुसार निधि का संचालन करने का अधिकार दे दिया गया है।

दिल्ली में मकानों के किराये

†३९४०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि के निश्चालन के बावजूद दिल्ली में मकानों के किराये अभी तक बढ़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) दिल्ली में मकानों के किराये बढ़ते जा रहे हैं।

(ख) दिल्ली में अधिग्रहीत भूमि के आवंटन के बारे में श्री प्र० गं० देव द्वारा नियम १९७ के अन्तर्गत पूछे गये प्रश्न के उत्तर में २३ मार्च १९६१ को सभा पटल पर रखे गये विवरण की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिस में भूमि की लागतों को स्थिर रखने तथा दिल्ली में भूमि के अधिग्रहण, विकास और आवंटन के लिये भारत सरकार द्वारा किये गये निर्णय दिये गये हैं। आशा है कि इस योजना के कार्यान्वित हो जाने से भूमि की लागत स्थिर हो जाएगी और मकानों के किरायों की वृद्धि रुक जाएगी।

५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी

†३९४१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ के दौरान ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप दिल्ली छावनी से स्थानीय बाजार से कितनी लागत का स्टोर खरीदा; और

(ख) क्या आयुध फैक्टरियों या ई० एम० ई० के वर्कशापों में इन सब चीजों का निर्माण करना संभव नहीं था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १९५९–६० और १९६०–६१ के दौरान ५०५ आर्मी बेस वर्कशापों ने स्थानीय तौर पर क्रमशः ४,४५,९२७ रुपये और ९,४८,४४९ रुपये का स्टोर खरीदा था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जब आयुध आदि संभरण के सामान्य साधनों से स्टोर उपलब्ध नहीं होता, और जब वर्कशाप के काम को पूरा करने के लिये उनकी शीघ्र आवश्यकता होती है और वह स्थानीय बाजार से मिल सकता है,तभी स्थानीय तौर पर खरीद का आश्रय लेना पड़ता है। यदि स्टोर स्थानीय बाजार से उपलब्ध नहीं होता, तो वह आवश्यकता की शीघ्रता की दृष्टि से संभव मात्रा तक ई० एम० ई० की वर्कशापों में बना लिया जाता है।

भारत इलैक्ट्रोनिक्स

†३९४२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रौनिक्स ने १९६० में आकाशवाणी को कुछ ट्रांसमिटर दिये हैं ;

(ख) क्या उनको भारत इलैक्ट्रोनिक्स ने बनाया था, या जापान से पुर्जों का आयात करके उन्हें यहां जोड़ा गया था ; और

(ग) यदि पुर्जे जापान से मंगवाये गये थे तो क्या भारत इलैक्ट्रौनिक्स ने कुछ कमीशन लिया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) भारत इलैक्ट्रौनिक्स सीमित ने १९६० में आकाशवाणी को कोई ट्रांसमिटर नहीं दिया।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विदेश में दिखाये गये भारत के चल-चित्र

†३९४३. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भेजी गई और वहां दिखाई गई भारतीय फिल्मों से होने वाली आय का किस तरीके से अनुमान लगाया जाता है ; और

(ख) क्या यह सच है कि चूंकि आय के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं होते इस लिये बहुत सी विदेशी मुद्रा गंवाई जाती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) या तो सीधी बिक्री या किराये के आधार पर फिल्में भारत से बाहर भेजी जाती हैं। सीधी बिक्री की अवस्था में निर्यातकों को उपयुक्त फार्म में एक घोषणा करनी पड़ती है और यह वचन देना पड़ता है कि बिक्री से होने वाली आय अनुमोदित साधनों द्वारा भारत लाई जाएगी। निर्यातकों को बैंक बिक्री की आय की वसूली की सूचना निश्चित समय के अन्दर रक्षित बैंक को देते हैं। किराये पर भेजी गई फिल्मों के मामले में निर्यातक को उक्त औपचारिकताओं को हटाने के लिये रिज़र्व बैंक से प्रार्थना करनी पड़ती है, किन्तु उन्हें की जाने वाली आय तथा किराये के आधार पर निर्यात की गई फिल्मों को पुनः लाने के लिये उत्पादन बिलों के समर्थन में बैंकों के प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज पेश करने पड़ते हैं। इस तरीके से रक्षित बैंक विदेश भेजी भारतीय फिल्मों की कमाई से होने वाली आय के आंकड़े संकलन करने में समर्थ हो जाता है।

(ख) नहीं श्रीमान।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रविधिक शिक्षा के लिये दिल्ली की संस्थायें

†३९४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकरी या गैर सरकारी संस्थाएं कितनी हैं जिनमें प्रविधिक शिक्षा दी जाती है ; और

(ख) प्रविधिक शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) दिल्ली में इस समय दो प्रविधिक संस्थाएं हैं ।

(ख) दिल्ली प्रशासन की तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत, दो पोलीटैक्निक स्थापित करने का विचार है। केन्द्रीय सरकार के अधीन इंजीनियरिंग और टैक्नालोजी का एक नया कालेज भी स्थापित किया जा रहा है ।

छंटनी किये गये कर्मचारियों का बकाया वेतन

†३९४५. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६० में छंटनी किये गये भारत सरकार के कर्मचारी जिन्हें बाद में पुनः नौकरी पर रख लिया गया था, उन्हें १ जुलाई १९५९ से छंटनी की तिथि तक बकाया वेतन पाने का हक है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) हां श्रीमान् । १ जुलाई १९५९ को जो सब कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की सेवा में थे और जिन्हें बाद में छटनी कर दिया गया था, वे शोधित वेतन नियमों के सब लाभों के लिये हकदार हैं जिनमें बकाया वेतन भी शामिल है, चाहें वे बाद में काम पर लगाया गया था या नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागाओं द्वारा पकड़े गये भारतीय विमान बल के एयरमैन

†३९४६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागाओं ने भारतीय विमान बल के जिन चार एयरमैनों को पकड़ा था, वे अभी तक नागाओं के कब्जे में हैं;

(ख) यदि हां, तो उन को रिहा कराने के लिये अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) और (ग) किये गये प्रयत्नों और उनके परिणामों को बताना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रशासनिक कर्मचारी कालेज, हैदराबाद

†३९४७. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासनिक कर्मचारी कालेज हैदराबाद में १९६१–६२ के दौरान कितना ऋण और अनुदान दिया जाएगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : १९६१–६२ में कालेजों को अनुदान के रूप में २.५ लाख रुपये की राशि दिये जाने का विचार है ।

ढलाई और गढ़ाई की केन्द्रीय संस्था

†३९४८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढलाई और गढ़ाई की एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ; और

(ख) क्या यह संस्था उपाधि के लिये विद्यार्थी तैयार करेगी या अपने प्रमाण पत्र देगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) ढलाई और गढ़ाई प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की एक विस्तृत योजना इस काम के लिये नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की जा रही है ।

(ख) यह संस्था इंजनियरी की उपाधि और डिप्लोमा वालों को ढलाई तथा गढ़ाई औद्योगिकी के विशेषीकृत पहलुओं में प्रशिक्षण देगी तथा सफल अभ्यर्थियों को उपयुक्त प्रमाण पत्र देगी ।

प्रविधिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद्

†३९४९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की आगामी बैठक कब होगी; और

(ख) किन विषयों पर चर्चा किये जाने की संभावना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) ७ जुलाई १९६१ को परिषद् की अगली बैठक किये जाने का फैसला किया गया है ।

(ख) देश में प्रविधिक शिक्षा के विस्तार और उन्नति के कार्यक्रम ।

खनन विद्यार्थियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण का निदेशालय

†३९५०. **श्री कुन्हन् :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन विद्यार्थियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण का आयोजन, निरीक्षण एवं समन्वय करने के लिये एक व्यवहारिक प्रशिक्षण निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव किस प्रकम पर है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि उक्त निदेशालय के न होने के कारण अवधि और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के बाल विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई होती है; और

(ग) क्या सरकार व्यवहारिक प्रशिक्षण की अवधि में विद्यार्थियों को वृत्तियां देने का विचार कर रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) विभिन्न संगठन संबंधी और वित्तीय ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) नहीं श्रीमान् पूर्ण रूपेण निदेशालय की स्थापना होने तक एक व्यवहारिक प्रशिक्षण हवाई इकाई धनबाद में स्थापित की जा चुकी है, जो स्नातकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रही है ।

(ग) स्नातक प्रशिक्षणार्थियों को १५० रुपये मासिक की वृत्ति दी जा रही है । डिप्लोमा वालों को ऐसी ही वृत्तियां देने के प्रश्न पर तब विचार किया जाएगा जब उनके व्यवहारिक प्रशिक्षण के क्षेत्र एवं अवधि के बारे में फैसला हो चुकगा ।

जनगणना

†३६५१. **श्री कुन्हन्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना करने वालों को कोई भत्ता दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). प्रत्येक व्यक्ति को २० रुपये का मानदेय दिया जायगा जिसमें मकानों के नम्बर लगाना, मकानों की सूची बनाना और जनगणना करने का शुल्क शामिल है ।

खान प्रबंधक प्रमाणपत्र परीक्षाएं

†३६५२. **श्री मुहम्मद इलियास** :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षण संस्थाओं के खनन स्नातकों और डिप्लोमाधारियों के प्रशिक्षण एवं शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, खान प्रबंधक प्रमाणपत्र परीक्षाओं में बैठने की अर्हता के लिये, व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता की पूर्ति में उन को कुछ रियायत देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). इस मामले के बारे में भारतीय खान अधिनियम १९५२ के प्रशासन से संबंद्ध अधिकारियों को कहा गया है । उनके फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंचायत के निर्वाचनों में गुरुजंग गांव के निवासियों का असहयोग

†३९५३. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४ से पंचायत के निर्वाचनों मे उड़ीसा के तेल-घर सब डिवीजन के गुरु जंग गांव के लोग भाग नहीं ले रहे हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने उन की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्रवाई की है ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). सूचना उड़ीसा की सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा की पंचायत जांच समिति

†३९५४. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की पंचायत जांच समिति १९५८ में प्रतिवेदन को, जिसमें १५०० और ३००० के बीच कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करने का सुझाव दिया गया ह, इस वर्ष सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) सरकार ने उन फैसलों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). उड़ीसा की पंचायत जांच समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार ने, पंचायतों का पुनर्गठन करने का फैसला किया है कि जहां तक सम्भव हो वित्तीय दृष्टि से स्वयं शीधिता का समुचित ध्यान रखते हुए ३००० के आसपास की जनसंख्या में पंचायत हो । फैसले को कार्यान्वित करने के लिये, पंचायतों के पुनर्गठन के लिये जिलों के कलक्टरों से अस्थायी प्रस्ताव मांगे गये हैं और जनता द्वारा एतराजों के लिये घोषित कर दिये गये हैं । प्राप्त होने वाले आपत्तियों पर ग्राम पंचायत निदेशक तथा सम्बद्ध कलक्टर सामूहिक रूप से जांच करेंगे । सरकार का संयुक्त जांच प्रतिवेदनों के आधार पर अन्तिम आदेश जारी करने का विचार है । आठ जिलों के बारे में जांच पूरी हो चुकी है और शेष पांच जिलों में अभी करनी हैं । यह भी फैसला किया गया है कि पंचायतों का पुनर्गठन कार्य उड़ीसा में होने वाले मध्यकालीन निर्वाचनों के बाद किया जायगा ?

हीराकुड के विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि

†३९५५. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुड के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिये कुचिंदा सब डिवीज़न के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ के दोनों ओर रक्षित वन, उस क्षेत्र के भूमिहीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृष्यकरण के लिये दे दिये हैं :

(ख) इसके लिये अब तक कितने प्रार्थनापत्र आए हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). सूचना उड़ीसा सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विमान बल मुख्यालय के असैनिक कर्मचारियों को अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि

†३९५६. **श्री मो० ब० ठाकुर**: क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मन्त्रालय (मुख्य प्रशासन अधिकारी) ने मार्च, १९५८ में ये आदेश जारी किये थे कि विमान बल और डी जी ओ एफ में काम करने वाले उन लोवर डिवीजन क्लर्कों को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां दी जाएं, जो या तो लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में स्थायी हैं या जिन्होंने उस वेतन क्रम में तीस साल की लगातार नौकरी पूरी कर ली है;

(ख) क्या बाद में उन लोगों के लिये अधिक कार्मिक वेतन वृद्धियां की ग्राह्यता के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिन्होंने निर्धारित वेतन क्रमों के लिये अपनी इच्छा प्रकट नहीं की थी ;

(ग) ऐसे कितने लोगों को वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, जिन्होंने निर्धारित वेतन क्रम स्वीकार नहीं किये थे ;

(घ) क्या यह तथ्य है कि (ग) में उल्लिखित लोगों को पहले ही दी गई वेतन वृद्धियां अब वापिस ले ली गई हैं । और जो धन उन को दिया जा चुका है उसे वसूल करने के आदेश दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वेतन वृद्धियां वापिस लेने और दी गई राशि वसूल करने से पहले विधि सम्बन्धी राय ले ली गई हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां श्रीमान ।

(ख) नहीं श्रीमान ।

(ग) आठ ।

(घ) हां, श्रीमान् ।

(ङ) नहीं श्रीमान ।

लोअर डिवीजन क्लर्क

†३९५७. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मन्त्रालय ने अक्तूबर १९५४ में असैनिक दफ्तरों के उन लोअर डिवीजन क्लर्कों को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां दी जाएं जो या तो लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में स्थायी थे या जिन्होंने उस वेतन क्रम में तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली थी ।

(ख) क्या बाद में उन लोगों के लिये अधिक वार्षिक वेतन वृद्धियों की ग्राह्यता के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया गया था;

(ग) असैनिक दफ्तरों में ऐसे कितने कर्मचारी थे जिन्होंने निर्धारित वेतन क्रम स्वीकार नहीं किये थे और जिन्हें वेतन वृद्धि दी गई थी; और

(घ) क्या उपरोक्त (ग) में उल्लिखित लोगों से वेतन वृद्धियां वापिस लेने का अब विचार किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) अक्तूबर १९५४ में इस मन्त्रालय ने आदेश दिये थे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रारम्भिक स्थापना के समय जो लोग लोअर डिवी-

†मूल अंग्रेज़ी में

जन क्लर्क स्थायी थे उन को तथा उन अस्थायी क्लर्कों में को जो स्थायी नहीं थे, किन्तु जिन्होंने उस वेतन क्रम में तीस साल की लगातार नौकरी पूरी कर ली थी और जो स्थायीकरण के लिये उपयुक्त समझे गये थे, २ अधिक वार्षिक वेतन वृद्धियां दी जाएं।

(ख) जी नहीं, ऐसे आदेश की जरूरत नहीं थी।

(ग) इस मन्त्रालय को केन्द्रीय सचिवालय क्लर्की सेवा के किसी सदस्य के ऐसे मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(घ) उपरोक्त 'ग' में वार्षिक स्थिति को दृष्टि से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी के कर्मचारी

†३९५८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, फरवरी और मार्च १९६१ के महीनों में ५०५ आर्मीबेस वर्कशाप दिल्ली छावनी के कर्मचारियों को अधिक समय तक काम करने के लिये कितनी राशि दी गई; और

(ख) ऐसी क्या आकस्मिकता थी जिस कारण अधिक समय तक काम करवाने की जरूरत पड़ी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) इन तीनों महीनों में दी गई अधिक समय की मंजूरी इस प्रकार है :

जनवरी १९६१	. २६७.९७ रुपये
फरवरी १९६१	. ३१४३.६९ रुपये
मार्च, १९६१	. ७१२०.२४ रुपये

(ख) आकस्मिकता के निम्न कारण थे :

(१) मार्च १९६१ में पूरे किये जाने वाली गाड़ियों के कुछ विशेष नमूने तैयार करने थे;

(२) कुछ विशिष्ट गाड़ियों को ओवर हाल करने की तात्कालिक आवश्यकता पड़ी जिसे मार्च १९६१ तक पूरा करना था; और

(३) फरवरी मार्च १९६१ में 'ख' गाड़ी लाइन का पुनर्गठन।

आर्मर्ड कारों के लिये पैट्रोल की टंकियां

†३९५९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५०५ आर्मीबेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी द्वारा लगभग दो वर्ष पहले १४० रुपये प्रति टंकी की दर से डैम्लर आर्मर्ड कारों (बक्तरबन्द गाड़ियों) के लिये कुछ पैट्रोल की टंकियां खरीदी गई थीं, परन्तु कुछ समय बाद उन्हें काम के अयोग्य समझ कर साल्वेज डिपो को भेज दिया गया था;

(ख) क्या ई० एम० ई० वर्कशाप में उनका निर्माण सम्भव नहीं था; और

(ग) कुल कितनी राशि बेकार गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ग). यह सच है कि ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप द्वारा १९५९ के प्रारम्भ में १५० रुपये प्रति टंकी के हिसाब से स्थानीय मार्केट से डैम्लर

†मूल अंग्रेजी में

आर्मर्ड कारों के लिये १५ पैट्रोल की टंकियां खरीदी गई थीं। वे टंकियां खरीदी इस लिए गई थीं कि वे आयुध कारखाने में उपलब्ध नहीं थीं और गाड़ियों की मरम्मत के लिये उनकी तत्काल आवश्यकता थी। वर्कशाप में मरम्मत की जाने वाली डैक्लर आर्मर्ड कारों के लिये इन्हें इस्तैमाल किया गया था। यह कहना ठीक नहीं है कि इन्हीं टंकियों को बेकार समझ कर साइवेज डिपो में भेज दिया गया था। उन टंकियों का इतनी जल्दी खराब होना सम्भव ही नहीं है। जब इन नई टंकियों का इस्तैमाल किया गया था उस समय पुरानी टंकियों को वहां से हटा कर साइवेज डिपो में भेज दिया गया था। अतः इसके परिणामस्वरूप अपव्यय होने का तो कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(ख) वर्कशापों में ऐसी टंकियां बनाना सम्भव नहीं है क्योंकि उसके लिये उपयुक्त सामग्री और क्षमता उपलब्ध नहीं थी। उन टंकियों की तत्काल जरूरत थी।

५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी में कर्म समितियां

†३९६०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी की वर्तमान कर्म समिति की २ वर्ष की सामान्य कार्य अवधि को समाप्त हुए १८ मास बीत चुके हैं जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के नियम सम्बन्ध ५२ के अधीन समिति की अवधि केवल २ वर्ष की होनी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक देर तक चुनाव न करने के क्या कारण हैं।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां।

(ख) ६ अप्रैल, १९६१ को नये चुनाव के लिये प्रबन्ध किये गये थे, परन्तु दो कार्मिक संघों द्वारा दायर किये गये एक मुकदमे में न्यायालय ने एक अन्तरिम रोध आदेश पास किया गया जिसके अधीन चुनाव करने के सम्बन्ध में कमाण्डेण्ट पर रोक लगा दी गई। क्योंकि वह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिये जानकारी नहीं दी जा सकती।

आचार नियमों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशें

†३९६१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आचार नियमों के सम्बन्ध में वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार वर्तमान नियमों में संशोधन करने का कोई विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों का संस्था बनाने का अधिकार

†३९६२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संस्था बनाने को अधिकार के सम्बन्ध में वेतन आयोग द्वारा दी गयी सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस सिफारिश को सिद्धान्ततः मान लिया गया है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (घ). अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

उड़ीसा के सार्वजनिक शिक्षा निदेशक की वार्षिक रिपोर्ट

†३९६३. **श्री कुम्भार** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के सार्वजनिक शिक्षा निदेशक की १९४८–४९ की वार्षिक रिपोर्ट अब लगभग १२ वर्षों के बाद छपी है ;

(ख) क्या शेष वर्षों की रिपोर्टें प्रकाशित हो गयी हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अमझेरा ग्राम (मध्य प्रदेश) में बख्तारा सिंह का महल

३९६४. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा ग्राम के भूतपूर्व शासक राजा बख्तारा सिंह जी, जो कि १८५७ में अंग्रेजों द्वारा मारे गये थे, उनके महल को क्या राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : जी, नहीं ।

सी० ओ० डी०, दिल्ली छावनी में चोरी

†३९६५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० ओ० डी० दिल्ली छावनी से लगभग १०,००० रुपयों की कीमत के बाल बीयरिंग की चोरी हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या वह मामला पुलिस के हवाले कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं;

(ङ) क्या कोई विभागीय जांच की गयी है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**:(क) जी, हां । सी० ओ० डी०, दिल्ली कैंट में लगभग १०,८७७·५० रुपयों की कीमत के बाल बीयरिंग की कमी के बारे में पता लगा है ।

(ख) मई, १९६० में ।

---

† हिन्दी में

(ग) मामला विशेष पुलिस संस्थापन को सौंप दिया गया था।

(घ) किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया।

(ङ) जी, हां। विभागीय जांच न्यायालय स्थापित किया गया था।

(च) न्यायालय सम्बन्धित स्टोर मेन को जिम्मेवार ठहराया। उसी सन्देह के आधार पर मामला विशेष पुलिस संस्थापन को सौंप दिया गया।

५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी

†३९६६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप दिल्ली छावनी की यूनिट उत्पादन समिति गत चार वर्षों से कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों से उक्त समिति की कितनी बैठकें हुई थीं; और

(ग) कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा कितने सुझाव दिये गये थे और उनमें से कितनों को स्वीकार किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप दिल्ली छावनी की उत्पादन समिति फरवरी, १९५५ से अच्छी प्रकार से कार्य कर रही है। केवल जनवरी, १९५७ से जुलाई, १९५८ तक की अवधि में कार्य रुका रहा।

(ख) ३८।

(ग) ९८ सुझाव दिये गये थे जिनमें से ९३ कार्यान्वित किये गये हैं। शेष सुझावों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

मनीपुर अपराध

†३९६८. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वित्तीय वर्षों में मनीपुर में बलात्कार, अपहरण, डाका, हत्या, लूट, छूरे बाजी, चोरी, अग्नि काण्ड और दंगों के कितने मामले हुए थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : १९५९ और १९६० सम्बन्धी आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	१९५९	१९६०
बलात्कार	४	३
अपहरण . . .	७७	९२
डाके	४२	७७
हत्या	१४	३१
लूट	५	२३
छुरे बाजी . . .	१	२
चोरी	४१८	५०२
अग्निकाण्ड . . .	१६	६१
दंगे	३७	१४४

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर प्रशासन द्वारा निर्धारित राशियों का उपयोग

†३९६९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन के अधीन कुछ विभाग १९६०–६१ के वित्तीय वर्ष तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल के लिये आवंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं कर सके हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन द्वारा १९६०–६१ और द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में कितनी राशि वापस की गयी थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभा-पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं जिनमें १९६०–६१ और द्वितीय पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी आंकड़े सम्मिलित हैं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६]**

मनीपुर के बड़े पदाधिकारियों द्वारा दौरे

†३९७०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के बड़े पदाधिकारियों ने पहाड़ी सब-डिवीजन के किसी ऐसे हेड क्वार्टर का दौरा किया है जहां जीप नहीं जा सकती; और

(ख) गत दो वित्तीय वर्षों में चीफ कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस के अतिरिक्त सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा कितने दौरे किये गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जबलपुर और बस्तर कॉपर कारबोनेट के निक्षेप

†३९७१. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जबलपुर और बस्तर के क्षेत्रों में कॉपर कार्बोनेट के निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां पर अनुमानतः कितनी मात्रा होगी;

(ग) क्या तृतीय योजना काल में उसे निकालने के सम्बन्ध में कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)** :(क) जी, नहीं । परन्तु बस्तर जिले के मुंडरीकरा क्षेत्र में भू-छेदन कार्य हो रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). जी, नहीं । जब तक पहले ज्ञात न हो जाये कि वहां पर पर्याप्त और लाभप्रद निक्षेप हैं तब तक उस सम्बन्ध में कोई भी योजना बनाना सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

१९६१–६२ के लिये विदेशी मुद्रा

†३९७३. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ के लिये विदेशी मुद्रा निर्धारित कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके आंकड़े क्या हैं; और

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा निर्यात द्वारा पूरी की जायेगी ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). लोक हित की दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा ली जाने वाली हिन्दी परीक्षायें

३९७४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित हिन्दी कक्षाओं में जो विद्यार्थी हिन्दी सीख रहे हैं क्या उनको हिन्दी परीक्षाओं में सफल होने पर प्रमाण-पत्र हिन्दी में दिये जाते हैं; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो ये प्रमाण-पत्र हिन्दी में देने की व्यवस्था कब की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज

†३९७५. श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठलराव :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज के स्थान के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थापित किया जा रहा है; और

(ग) कालेज में दाखला कब से शुरू होगा ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) और (ख). राज्य सरकार ने काजिकोडे में स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय किया है ।

(ग) ब्यौरे वार योजना मंजूर हो जाने के बाद ही कालेज शुरू किया जा सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर कुम्बी गोलीकांड

†३९७६. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस द्वारा गोली चलाने के परिणामस्वरूप मनीपुर में कुम्बी के एक वन में एक व्यक्ति मारा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं और पुलिस को किन परिस्थितियों में गोली चलानी पड़ी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). जी, हां । १ अप्रैल, १९६१ को एक पुलिस दल, जिसमें एक असिस्टेण्ट सब इन्स्पेक्टर भी था, इस शिकायत की जांच करने के लिये वहां आया कि बिशनपुर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में कुप्बी टेरा महाल में कुछ लोग अवैध रूप से वृक्ष काट रहे हैं । उन्होंने देखा कि १६ व्यक्ति वृक्ष काट रहे थे । जब उन लोगों को वैसा करने से मना किया गया तो उन्होंने कुल्हाड़ों से पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे असिस्टेण्ट सब इन्स्पेक्टर घायल हो गया । आत्म रक्षा के लिये पुलिस ने चार गोलियां चलायीं जिसके परिणाम-स्वरूप एक व्यक्ति मर गया ।

मनीपुर में ग्राम पदाधिकारियों के चुनाव

†३९७७. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर पर्वतीय क्षेत्र प्राधिकार अधिनियम, १९५६ के अधीन वित्तीय ग्राम प्राधिकार चुनाव १० अप्रैल से १५ मई, १९६१ तक किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो मनीपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में गड़बड़ की स्थिति को देखते हुए शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). मनीपुर पर्वतीय क्षेत्र प्राधिकारी चुनाव अधिनियम, १९५६ के अधीन ग्राम प्राधिकारियों के चुनाव, जो कि १० अप्रैल से प्रारम्भ हुए हैं, अच्छी प्रकार से चल रहे हैं उन की शान्तिपूर्ण प्रति के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रबन्ध किया गया है ।

मनीपुर के पर्वतीय क्षत्रों में धारा १४४ का लागू किया जाना

†३९७८. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा मनीपुर के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में दंड संहिता की धारा १४४ लागू कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर वह कितने कितने समय के लिये लागू की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) मनीपुर के जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा तामेन्गांग और उखरूल सब डिवीजनों और माओ-मरम तथा सदर पर्वतीय क्षेत्रों में २८ फरवरी, १९६१ से दो दो महीने की अवधि के लिये धारा १४४ के अधीन एक आदेश लागू कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली, बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतन क्रम

†३९७९. **श्री राम गरीब** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस, दिल्ली और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों के लैक्चरारों, रीडरों और प्रोफैसरों के १ अप्रैल, १९६१ से वेतन क्रम निर्धारित करने का साधन क्या होगा ;

(ख) क्या उनके वेतन पुनरीक्षित वेतन क्रम में 'प्वाइंट टु प्वाइंट' के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) अध्यापकों का वेतन पुनरीक्षित वेतन क्रमों में अगले उच्चतर प्रक्रम पर, उनकी वर्तमान उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित किया जायेगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) अध्यापकों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं किया गया है, इसलिये 'प्वाइंट टु प्वाइंट' आधार पर वेतन निर्धारित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

२८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ के उत्तर में शुद्धि

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: २८ मार्च, १९६१ को श्री मुहम्मद इलियास और श्री स० मो० बनर्जी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ के भाग (ग) के उत्तर में मैंने यह कहा था :—

"वे अपीलें कुछ दृष्टियों से अपूर्ण थीं और इसलिये वे उन व्यक्तियों को वापस भेज दी गयी थीं । पुनरीक्षित अपीलें प्राप्त हो गयी हैं और वे विचाराधीन हैं ।"

उक्त उत्तर में कुछ संशोधन की आवश्यकता है । शुद्ध उत्तर निम्नलिखित है :—

"उन अपीलों पर वायुबल पदाधिकारियों द्वारा यूनिट स्तर पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाना आवश्यक था । तदुपरान्त, वे अपीलें कमाण्ड स्तर पर अपीलीय प्राधिकार के पास भेज दी गयीं हैं और वे विचाराधीन हैं ।"

स्थगन-प्रस्ताव

कुछ डाक तथा तार यूनियनों को शिकायतें पेश करने से रोकना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री राजेन्द्र सिंह ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । उसका विषय यह है कि डाक तथा तार विभाग के महानिदेशक ने जो नवीनतम निदेश जारी किये हैं, उनके फलस्वरुप डाक तथा तार कर्मचारियों और उनकी यूनियनों को अपनी शिकायतें पेश करने के अधिकार से वंचित किया गया है । उससे एक गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गई है, खास तौर से जब कार्मिक संघों और केन्द्रीय सेवाओं के सम्बन्धों को विनियमित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक के पुरःस्थापन में अत्याधिक विलम्ब हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवेयक के पुरःस्थापन में होने वाले विलम्ब को आधार बनाकर कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता ।

इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे निदेश जारी किये गये हैं जिनसे कर्मचारियों को उनके प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित किया गया हो ?

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : इस महीने की २१ तारीख को कर्मचारियों की यूनियनों के दो प्रतिनिधि—श्री अंजनेयालू और श्री राम मूर्त्ति—माननीय श्रम उपमंत्री से मिले थे । बाद में जब उन्होंने माननीय उपमंत्री से कलकत्ता में मिलने की अनुमति चाही तो उनको बताया गया कि डाक तथा तार विभाग के महानिदेशक ने इस सम्बन्ध में एक निदेश जारी कर दिया है । यह क्या तरीका है कि इन दस महीनों में भी ह्विटले परिषदों को गठन की कोई भी व्यवस्था किसी भी स्तर पर नहीं की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो उस स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या वह कम्युनिस्ट यूनियन है ?

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : जी, नहीं ?

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर—मध्य) : इस प्रकार कर्मचारियों को शिकायतें पेश करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है । इतना ही नहीं अब महा निदेशक ने यहां तक निदेश जारी किये हैं कि यदि कोई समाचारपत्र कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में कोई पत्र या समाचार प्रकाशित करे, तो डाक तथा तार विभाग के सम्बन्धित अधिकारी उस समाचारपत्र के सम्पादक के पास जा कर पत्र लिखने वाले का नाम पूछें । यदि सम्पादक नाम बताने में आनाकानी करे तो उस से कहा जाये कि यह स्वस्थ पत्रकारिता के हित के विरुद्ध है । इस प्रकार असन्तोष प्रकट करने पर भी रोक लगाई जा रही है और कर्मचारियों के पीछे खुफियागीरी शुरू हो रही है ।

मेरे पास उस निदेश की एक प्रति मौजूद है । वह महा निदेशक के कार्यालय से नई दिल्ली से १७ अप्रैल १९६१ को जारी किया गया था । उस की संख्या हैं—१०-१/६० एस० आर० अन्य बातों के साथ उसमें यह भी कहा गया है कि अधिकारियों को सम्पादकों के साथ चतुराई से पेश आना चाहिये । हम जानते हैं कि इस का क्या मतलब होता है ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : सच तो यह है कि इन यूनियनों की मान्यता छीन ली गई थी । यह गलत है कि वे यूनियनें कम्युनिस्टों द्वारा नियंत्रित नहीं होतीं । वे पूरी तौर से कम्युनिस्टों के ही नियंत्रण में हैं . . . .

†**श्री श्री० अ० डांगे** : श्री राममूर्ति उस के एक जिम्मेदार अधिकारी हैं । उन का कम्युनिज्म से कोई ताल्लुक ही नहीं ।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं इसे स्वीकार नहीं करता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस से बहस नहीं । मुख्य बात यह है कि कर्मचारियों को शिकायतें पेश करने के अधिकार से वंचित किया गया है, या नहीं ।

†**डा० प० सुब्बरायन** : अधिकार से वंचित बिल्कुल नहीं किया गया है । सिर्फ इतना किया गया है कि वे फैडरेशन के प्रतिनिधियों की हैसियत से नहीं आ सकते । वे अपनी व्यक्तिगत शिकातों को पेश कर सकते हैं । हमारे अधिकारी तब उन की बात सुनेंगे और उस पर कार्यवाही भी करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : एक तरफ तो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि यूनियनों के मान्यता प्राप्त नेताओं के साथ इस प्रस्तावित विधान के बारे में बातचीत की जायेगी। बातचीत शुरू भी हो गई थी। दूसरी ओर महानिदेशक ने उस के बिल्कुल विपरीत यह निदेश जारी किया है। समझ में नहीं आता कि सरकार की नीति वास्तव में है क्या ? यह बड़ी गम्भीर चीज है। सरकार बातचीत करना भी चाहती है, या नहीं।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता समझता हूं। लेकिन इस सम्बन्ध में हम ने केवल इतना किया है कि लोग किस यूनियन के प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं, अपनी व्यक्तिगत शिकायतें लेकर आ सकते हैं। हम मान्यता-हीन यूनियनों के प्रतिनिधियों के रूप में उन को मान्यता नहीं देंगे।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मेरा अपना अनुभव तो यह है कि हड़ताल के बाद बनी एक नई यूनियन के प्रतिनिधियों को भी अधिकारियों से मुलाकात करने की अनुमति नहीं दी गई है।

†**डा० प० सुब्बरायन** : अभी हम नई यूनियनों और गैर-मान्यता प्राप्त पुरानी यूनियनों—दोनों ही के साथ समान बर्ताव कर रहे हैं। अभी केवल व्यक्तिगत तौर पर शिकायतें पेश की जा सकती हैं।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : ऐसी कोई व्यवस्था संविधि में नहीं है कि हड़ताल होने पर किसी यूनियन की मान्यता अपने आप छिन जायेगी। फिर भी पिछले दस महीनों से मान्यता छिन जाने के कारण, कर्मचारी अपनी शिकायतें आम तरीके से भी पेश नहीं कर पाते। क्या यही लोकतांत्रिकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस तरह इस विषय पर मनमानी चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इस में दो प्रश्न हैं। पहला तो यह कि उचित शिकायतें पेश करने से रोकना। दूसरा यह कि यूनियनों को शिकायतें पेश करने से रोकना।

पहले के बारे में माननीय मंत्री बता चुके हैं कि वह निदेश उचित शिकायतों को पेश करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता। इसके बारे में स्थिति यह है कि जिस यूनियन की मान्यता छीन ली गई थी, उसके प्रतिनिधियों के साथ कोई बात नहीं की जायेगी।

कोई भी कर्मचारी चाहे तो व्यक्तिगत तौर पर अपनी शिकायत पेश कर सकता है। समाचार-पत्रों का हवाला देकर, श्री डांगे ने जो कहा है वह इस स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। इसलिये वह संगत नहीं है।

गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों के विषय में स्थगन-प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

†**श्री नाथ पाई** : आपका विनिर्णय सही है। लेकिन एक ओर तो बातचीत चलाना और दूसरी ओर ऐसे निदेश जारी करना, कहां तक उचित है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं यह भी बता दूं कि श्री डांगे ने जिनसे मेरे न मिलने की बात कही है, मैं उन—श्री अंजनेयालू और श्री राममूर्त्ति—से व्यक्तिगत रूप में मिल चुका हूं।

†**श्री श्री अ० डांगे** : वे उनसे प्रतिनिधियों की हैसियत से नहीं, निजी तौर पर नागरिकों की हैसियत से मिले हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन्** : कोई नागरिक एक कर्मचारी भी तो हो सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्ट है कि कर्मचारी की हैसियत से कोई भी जाकर बात कर सकता है ।

इस पर तो कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । इसलिये मैं इस स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी से निकालना

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** (पुरी) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "उड़ीसा के पुरी ज़िले में प्राथमिक स्कूलों के लगभग ३०० अध्यापकों को नौकरी से निकालना ।"

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : राज्य-सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :—

राज्य सरकार ने द्वितीय योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ में नये प्राथमिक स्कूलों के लिये और वर्तमान स्कूलों में अधिक संख्या बढ़ाने के लिये अध्यापकों के ३,५८० पद मंजूर किये गये थे । उनमें से पुरी जिले के लिये ३५२ पद रखे गये थे । उनमें से ११७ जिला बोर्ड, ११ नये स्कूलों और ८ वर्तमान स्कूलों के लिये आवंटित किये गये थे । ९८ पद पुराने स्कूलों के लिये थे । जिला बोर्ड ने, ११७ के स्थान पर २२४ अध्यापक भर्ती कर लिये थे, बवजूद इसके कि शिक्षा निदेशक ने आवंटित संख्या से अधिक अध्यापक भर्ती न करने की सलाह उसे दी थी । इतना ही नहीं, जिला बोर्ड ने उन अध्यापकों की भर्ती सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के लिये की थी । जिला बोर्ड द्वारा प्रबन्धित स्कूलों के लिये नहीं । इसलिये उसमें अनियमितता थी ।

इसके अतिरिक्त अध्यापकों के चुनाव में भी अनियमितता बरती गई थी । वह चुनाव-समिति द्वारा नहीं किया गया था, जैसी कि प्रक्रिया सरकार की रहती है ।

बाद में जब जिला बोर्ड भंग कर दिये गये, तो जिला बोर्ड द्वारा प्रबन्धित सभी सकूल राज्य के शिक्षा विभाग के अधीन आ गये । तब शिक्षा निदेशक ने उन २२४ अध्यापकों की अनधिकृत नियुक्तियों को रद्द कर दिया । और चुनाव-समिति ने जिन ९८ अध्यापकों की नियुक्ति की सिफारिश की थी, उनकी नियुक्ति के आदेश दे दिये गये ।

फिर भी चुनाव-समित को अधिकार रहेगा कि जिन अध्यापकों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं उनको, उपयुक्त होने पर, वर्ष १९६१–६२ में नियुक्त कर सकेगी ।

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर) : उन अध्यापकों ने जिला बोर्ड की सेवा कितने काल तक की थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : शिक्षा निदेशक ने उनको आश्वासन दिया है कि उनको पुनः नियुक्त कर दिया जायेगा । मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इस मामले पर विचार करें ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : बताया जा चुका है कि चुनाव समिति उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी । यदि वे उपयुक्त पाये जायेंगे, तो अवश्य ही पुनः नियुक्त किये जा सकेंगे, क्योंकि उड़ीसा में शिक्षा का काफी प्रसार हो रहा है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पाकिस्तानी विमान द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र में घुस आने के बारे में वक्तव्य

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री फतहसिंह राव गायकवाड़)** : मैं श्री कृष्ण मेनन की ओर से १३ अप्रैल १९६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४८२ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संबंध में दिये गये आश्वासन के अनुसार पाकिस्तानी विमान द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र में घुस आने के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--२८९१/६१]

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं उड़ीसा राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक २५ फरवरी १९६१ की उद्घोषणा के खंड (ग) (४) के साथ पारित उड़ीसा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ की धारा ५७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार द्वारा निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(क) दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १७०६६ जिसमें उड़ीसा जिला परिषद् (निर्वाचन का संचालन, निर्वाचन संबंधी विवादो को निबटाना और सदस्यों की अनर्हता के बारे में निश्चय) नियम, १९६० दिये हुये हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--२८९२/६१]

(ख) उड़ीसा जिला परिषद (निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन संबंधी विवादों को निबटाना और सदस्यों की अनर्हता के बारे में निश्चय) नियम, १९६० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ जनवरी, १९६१ के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ४३-जेड० पी ०

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--२८९३/६१]

(ग) उड़ीसा जिला परिषद (निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन संबंधी विवादों को निबटाना और सदस्यों की अनर्हता के बारे में निश्चय) नियम, १९६० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २८ जनवरी, १९६१ के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ४८० जेड० पी०

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--२८९४/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) दिनांक १८ जनवरी, १९६१ के उडीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या २४३–१–एस० पी० एल०–८४-६०–जेड०पी० जिसमें उड़ीसा जिला परिषद् (कार्य - संचालन) नियम, १९६० दिये हुये हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—२८९५/६१]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४१८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—२८९६/६१]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ और बैंकिंग समवाय अधिनियम १९५९ के अधीन अधिसूचनायें

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५२०

(ख) दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५२१

(ग) दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५२२

(घ) दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५२३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—२८९७/६१]

बैंकिंग कम्पनीज अधिसूचना, १९४९ की धारा ४५ की उप धारा (११) के अन्तर्गत दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८५८ में प्रकाशित बैंक आफ केरल लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसके कनड़ बैंक लिमिटेड के साथ मिलाये जाने की योजना की एक प्रति ।

(पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—२८९८/६१)

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति

चौरासीवां प्रतिवेदन

सरदार हुक्म सिंह (भटिंडा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौरासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

समिति के लिये निर्वाचन

भारतीय खान स्कूल की प्रशासन परिषद्

अनुसंधान और वैज्ञानिक सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित दिनांक ४ मई, १९५७ के संकल्प संख्या ३१५ (१)/५७–३ की कंडिका ४ और ५ के अनुसरण

---

†मूल अंग्रेजी में

में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष निदेश में, इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद की अधिष्ठातृ परिषद के सदस्य के रूप में काम करने के लिये, अपने में से एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों का सलाहकार बोर्ड

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** :

"कि वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के दिनांक २३ मार्च, १९६१ के संकल्प संख्या एफ० १५/२२६/६०-एस २ की कंडिका १(२०) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय ऐटलस और भौगोलिक नामों सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में, सरकारी गजट में अधिसूचित की जाने वाली तिथि से आरम्भ होने वाली अवधि के लिये उक्त संकल्पों के अन्य उपबन्धों के अधीन काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

ड़ीसा की अनुदानों की मांगें, १९६१-६२

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब उड़ीसा राज्य की १९६१-६२ की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी। श्री ब० रा० भगत अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्री पाणिग्रही ने कल ३०० प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के हटाये जाने के सम्बन्ध में एक ध्यान दिलाओ प्रस्ताव भी रखा था। शिक्षा मंत्री उसका उत्तर दे चुके हैं अतः मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं।

श्री माननीय सदस्य की बातों से यह ज्ञात हो रहा था कि योजना के लिये रखी गयी सारी राशि योजनेतर कार्यों में व्यय हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रथम वर्ष के लिये निश्चित कुल २५ करोड़ रुपये की राशि से १७ करोड़ रुपये पुलिस, जेल, जिला प्रशासन इत्यादि में व्यय होंगे। निसंदेह योजनेतर कार्यों में उक्त राशि व्यय की जायेगी; तथापि यह राशि बजट की कुल राशि का अंग है जो कि ९० से ९३ करोड़ के बीच में है। २५ करोड़ रुपये तीसरी योजना के पहिले वर्ष में केवल विकास कार्यों के लिये व्यय होंगे। यह व्यय सिंचाई, विद्युत, कृषि, सहकार उद्योग तथा शिक्षा इत्यादि में किया जायेगा।

असैनिक प्रशासन में जो व्यय किया जायेगा वह कुल व्यय का १३ या १४ प्रतिशत होगा। अन्य राज्यों की तुलना में यह व्यय बहुत अधिक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसमें संदेह नहीं कि राज्यों में डाक्टरों और इंजीनियरों की कमी है । तथापि सभी राज्यों में सामान्यतः यही स्थिति है । हमारी अर्थव्यवस्था को जैसे जैसे गति मिलती जायेगी वैसे वैसे यह कमी और भी अधिक महसूस होती जायेगी । इसमें संदेह नहीं कि उड़ीसा भारत के पिछड़े राज्यों में से एक है । सरकार की यह नीति है कि तीसरी योजना के दौरान इन क्षेत्रों के विकास का प्रयत्न किया जाये ।

जहां तक मैडीकल कालेज का सम्बन्ध है एस० सी० बी० बैडीकल कालेज की क्षमता ५० से बढ़ा कर १५० कर दी गयी है । बरला में एक दूसरा मैडीकल कालेज खोल दिया गया है, जिसकी क्षमता १०० है । यह तीसरी पंच वर्षीय योजना के दूसरे वर्ष तक तैयार हो जायेगा । यह निश्चय किया गया है कि तीसरी योजना में एक अन्य कालेज का उपबंध किया जाये । इस प्रकार तीनों मैडीकल कालेजों की प्रवेश क्षमता ३०० हो जायेगी । तथापि हम डाक्टरों की अस्थायी कमी को पूरा करने के लिये ३०० डाक्टरों को पश्चिम बंगाल से वार्ता कर रहे हैं ।

जहां तक उत्कल विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है विश्व विद्यालय की परीक्षाओं में व्यतिक्रम हुआ है । तथापि सभा को जानना चाहिये कि विश्वविद्यालय एक निगमित संस्था है और सरकार उसके प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । सरकार का ध्यान इस ओर केन्द्रित किया गया है और कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

जहां तक भारत सेवक समाज का सम्बन्ध है मैं विशेष मामलों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता हूं । मैं माननीय सदस्य द्वारा कही गयी बातों की ओर भारत सेवक समाज के केन्द्रीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करूंगा । मैं उनके दिमाग से यह भ्रान्ति दूर कर देना चाहता हूं कि भारत सेवक समाज के लेखाओं का परीक्षण नहीं होता है । भारत सेवक समाज के अपने लेखा-परीक्षक हैं, इसके अतिरिक्त वे जो परियोजनायें या शिविर इत्यादि अपने हाथ में लेते हैं उनके निमित दिये गये धन का विभागीय लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षण किया जाता है । भारत सेवक समाज एक गैर सरकारी संस्था है तथापि मैं इन बातों की ओर भारत सेवक समाज के केन्द्रीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करूंगा ।

पिछले सत्र में गांव की पुलिस के वेतन क्रमों में वृद्धि करने के लिये कोई अनुपूरक मांग नहीं रखी गयी । इस बजट में गांव की पुलिस को १५ रु० माहवार के हिसाब से उनके लिये २७ लाख रुपये का उपबंध किया गया है । इन चौकीदारों को राज्य के विभिन्न भागों में विभिन्न दरों से वेतन मिल रहा था भूतपूर्व रियासतों में इनके पास जागीरें थीं । अब इनके वेतन का विनियमन कर दिया गया है और गांव के चौकीदारों को १५ रु० मासिक के हिसाब से वेतन दिया जाता है । ये पूरे समय कार्य करने वाले कर्मचारी नहीं होते हैं । ये विभागातिरिक्त गांव के डाकियों की तरह होते हैं, जिन्हें सामान्य डाकियों से कम वेतन दिया जाता है, उनकी नौकरी की शर्तें भिन्न होती हैं । वे अपने घर में रह कर ही गांव का काम करते हैं तथा अपना अन्य काम भी कर सकते हैं । यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उनको पूरे समय काम करने वाला कर्मचारी बनाया जाये तथा उनके वेतन में वृद्धि की जाये, तो इस प्रश्न पर पृथक रूप से विचार किया जा सकता है । जब देश की सम्पत्ति में वृद्धि होगी तब उनके वेतन में भी वृद्धि की जा सकती है ।

उन्होंने मुफस्सिल अस्पतालों और डिस्पेंसरियों का प्रश्न उठाया है । उन्होंने कहा है कि यद्यपि अधिकारियों के वेतन और भत्ते इत्यादि के लिये ५६ लाख रुपये का उपबन्ध है तथापि औषधियों इत्यादि के लिये केवल ६९०० रु० का उपबंध किया गया है । सच्चाई यह है कि ५६ लाख रुपये में से केवल २७ लाख रुपये कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के लिये हैं, अवशेष औषधियों तथा डाक्टरी उपकरणों के लिये हैं ।

उन्होंने लोक निधि जांच समिति का भी उल्लेख किया है। यह कहना गलत है कि उसके प्रतिवेदन की उपेक्षा की जा रही है। यह कहना गलत है कि सरकार ने लोक निधि जांच समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित नहीं किया है। समिति ने ८३८ परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दिया है।

जांच हुई और ४०२ मामलों में कार्यवाही की गयी। ५४ गजेटेड और ७५ अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। परन्तु हमें इस दिशा में सब बातों की देख भाल करनी होती है इसलिए समय लगता है। अधिकारियों को अपनी सफाई देने का भी तो अवसर देना होता है। अतः यह कहना गलत है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार इस दिशा में बड़ी कड़ी कार्यवाही कर रही है। इस समय कुछ प्रकाशित करना तो ठीक नहीं परन्तु यह बताया जा सकता है कि किसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई।

एक यह बात भी की जा रही है कि उड़ीसा में राजस्व बोर्ड के अधिकारी बहुत वेतन ले रहे हैं। यह बात नितान्त निराधार है। इस बोर्ड के इससे पूर्व तीन सदस्य थे जब कि अब केवल एक ही है। कटक के मेडीकल कालिज की स्थिति भी लगभग वैसी ही है। यह कहना गलत है कि इस दिशा में कुछ नहीं हो रहा। कालिज के कार्यकलाप की जांच हो रही है। लेखे की जांच करने के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त कर दिये गये हैं। अस्पताल की भी जांच की जा रही है।

एक यह भी बात कही गयी है कि किसानों को जो कर्ज दिया जाता है, वह वसूल नहीं किया जाता। यह भी गलत बात है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसानों से जो ऋण वसूल किये जाते हैं उन्हें भारत सरकार ने बट्टे खाते में नहीं डाला है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के लिये भी राज्य प्राइमरी शिक्षा समिति विचार कर रही है। तीसरी योजना के अन्तर्गत प्राइमरी शिक्षक नियुक्त होने वालों को लाभ प्राप्त होगा। यह मैंने बता ही दिया था कि ग्राम के पहरेदार का वेतन १५ रुपये है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

अध्यक्ष महोदय द्वारा उड़ीसा आय व्ययक सम्बन्धी अनुदान की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	निर्वाचन और गृह विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय .	३३,३९,०७४
२	जेलें . . .	३१,१३,१७१
३	पुलिस	१,९२,३५,३९१
४	योजना और सामान्वय तथा राजनीतिक और सेवा विभागों सम्बन्धी व्यय	४०,०१,८६७
५	सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि . .	३,६७,०५,६०४

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६	नदी घाटी विकास . .	१३,९०,८०७
७	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . . .	४,२५,०००
८	स्टाम्प	१,५०,२५६
९	मंत्रियों, असैनिक सचिवालय और वित्त विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	६०,३३,८७३
१०	निवृत्ति-वेतन .	३४,५३,६७४
११	शिक्षा विभाग सम्बन्धी व्यय	४,५५,७६,७३७
१२	करारोपण . . .	१२,४८,१०३
१३	भूमि-राजस्व	१,५४,२०,१७३
१४	उत्पादन-शुल्क	१७,९१,०७६
१५	पंजीयन	५,०८,०३३
१६	जिला प्रशासन और राजस्व विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय .	२,११,३४,७७०
१७	उद्योग विभाग सम्बन्धी व्यय	१,७०,०६,३०१
१८	व्यवहार तथा सत्र न्यायालय और विधि विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	२३,३२,६९९
१९	लेखन-सामग्री और छपाई तथा वाणिज्य विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	३५,२९,८३०
२०	श्रम और उत्प्रवास और नियोजन संगठन . .	१६,९०,३११
२१	आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग . .	१,९९,०५,४५७
२२	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय .	१,४८,९०,५७३
२३	लोक स्वास्थ्य	६६,१०,३८२
२४	सिंचाई	५,६३,१८,१४५
२५	असैनिक निर्माण-कार्य . . .	५,५५,१९,९६७
२६	राज्य विधान-मण्डल	५,५०,४५५
२७	सार्वजनिक निर्माण, सामूहिक स्थापना और निर्माण विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	५०,५४,७६७
२८	विद्युत योजनायें	२,४८,८२,७८६
२९	गाड़ियों पर कर	११,००,९७२
३०	परिवहन योजनायें	१,००,८२,१०५
३१	वन . . .	१,०६,४४,१९७
३२	मीन-क्षेत्र	२४,२३,२६९

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३३	सहकारिता	३७,८६,०१२
३४	स्थानीय निकायों को अंशदान	१३,७८,१९६
३५	पशु-पालन	७४,६३,९५२
३६	जन-सम्पर्क	१४,५२,२२१
३७	कृषि	१,२८,४०,५१५
३८	संभरण विभाग	१८,१७,४००
३९	हीराकुड बांध परियोजना . . .	६३,५०,०००
४०	सामुदायिक विकास परियोजनायें . . .	२२,००,०००
४१	स्थानीय निधियों, सरकारी नौकरों आदि को ऋण . .	१,४३,७९,९२४
४२	जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये प्रति और राजस्व विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	७४,६०,०००
४३	राजस्व लेखे से बाहर की विद्युत योजनायें और निर्माण विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	१३,१४,८०,१५२
४४	कृषि सम्बन्धी सुधार और अनुसंधान . . .	५८,२३,९३१
४५	सरकार द्वारा व्यापार की राज्य योजनायें . .	२,५४,९८,८७०
४६	सड़क परिवहन योजनायें	१,६७,०००
४७	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी व्यय और स्वास्थ्य (एल० एस० जी०) विभाग सम्बन्धी असैनिक निर्माण-कार्य का पूंजीगत लेखा	२८,३४,०००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजीगत व्यय . . .	२२,६८,४६५
४९	पत्तनों (चान्दबली) पर पूंजीगत व्यय . . .	८४,०००
५०	पत्तनों (परादीप) पर पूंजीगत व्यय . . .	६८,४०,४२०
५१	सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना . .	४,१७,०००
५३	गृह विभाग सम्बन्धी अन्य कार्यों का पूंजीगत लेखा . .	३,०१,१६०
५४	वनों पर पूंजीगत व्यय	११,०४,१२०
५५	विकास (सहकारिता) विभाग सम्बन्धी पूंजीगत व्यय .	१५,६३,०००
५७	विकास (पशु चिकित्सा) विभाग सम्बन्धी पूंजीगत व्यय .	६,३५,०००
५८	योजना और समन्वय (ग्राम पंचायत) विभाग सम्बन्धी अन्य निर्माण-कार्यों का पूंजीगत लेखा . . .	५,८७,०००
६०	असैनिक निर्माण-कार्यों का पंजीगत लेखा . .	३,४३,७९,५१४

†अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

इस मामले में मेरा निवेदन है कि मूल अधिनियम का साधारण उल्लंघन करने पर यदि लाइसेंस धारी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है अथवा उसे लम्बित कर दिया जाता है । इससे उन पर भारी जुर्माने भी होते हैं और उन्हें कई दंड भी दिये जाते हैं । इससे उपभोक्ताओं को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

कुछ वर्षों के अनुभव से पता लगा है कि मूल अधिनियम के दंड सम्बन्धी उपबन्धों में साधारण भूल करने वाले लाइसैन्सधारियों के लिए कोई साधारण से दंड की कोई व्यवस्था नहीं है । विचार यह है कि लाइसैन्स की शर्तों को समुचित ढंग से पालन करवाने के लिए लाइसैन्सधारियों से कुछ नकद जमानत कराई जाय और शर्तों के समुचित रूप से न पालन करने की अवस्था में उस जमानत को जब्त कर लिया जाये ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं इस विधान का स्वागत करता हूं परन्तु इतना ही स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सरकार बताये कि क्या कोई आटा चक्की लगाने के लिए परमिट लेना जरूरी होता है ?

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, ऊपर से देखने में जो संशोधन मन्त्री महोदय चाहते हैं बहुत ही सीधा सा मालूम पड़ता है, किन्तु यदि इसेंशियल कमोडिटीज़ ऐक्ट १९५५ की धारा २ को हम पढ़ें, जिसमें इसेंशियल कमोडिटीज़ की परिभाषा की गयी है, तो उससे पता चलता है कि सम्भवत: यह संशोधन इतना सीधा नहीं है जितना मन्त्री महोदय इसे बताना चाहते हैं ।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसेंशियल कम्पोडिटीज़ एक्ट १९५५ की धारा २ में सिर्फ गेहूं या गेहूं से बनी चीजों का ही सम्बन्ध नहीं है, इनके अलावा और भी बहुत सी चीजें आती हैं जो कि हिन्दुस्तान की वर्तमान अर्थ व्यवस्था की पृष्ठभूमि में काफी महत्वपूर्ण हैं। खास तौर से कोयला, आइरन और स्टील, पैट्रोलियम और पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें सोचना पड़ेगा कि लाइसेंस से अगर इनका वितरण होता है और उस वितरण में हम इस तरीके की शर्तें जोड़ते हैं जो शर्तें कि मन्त्री महोदय इस संशोधन द्वारा जोड़ना चाहते हैं, तो कहीं इन चीजों के वितरण में ढिलाई तो नहीं आ जाएगी । अगर इस संशोधन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस संशोधन के बाद जो वितरक होंगे उनसे अगर टैकनिकल या माइनर अपराध होंगे तो सिर्फ उनके डिपाजिट जब्त करने की व्यवस्था होगी, तब तो मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी बात होगी। लेकिन इस बिल में कहीं ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि जब इस पर अमल होगा तो कौन से मसले ऐसे होंगे जिनमें कि यह डिपाजिट अर्थात् जमानत जब्त कर ली जायगी और कौन से ऐसे मसले होंगे जिनमें कि सरकार को मुकद्दमा चलाने की जरूरत पड़ेगी ? जब हम इस कानून को यहां पास कर रहे हैं तो इसके पास होने से पहले सरकार की तरफ से इस बात का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है कि किस क्षेत्र में डिपाजिट की जब्ती की व्यवस्था होगी और कौन से मामले होंगे जिनमें डिपाजिट जब्त की जायगी और कौन से मामले ऐसे होंगे जिनमें कि मुकद्दमा चलाना आवश्यक होगा ।

मैं यह बात मानता हूं कि अगर बहुत ही हलके प्रकार के अपराध हों तो उनमें डिपाजिट को जब्त करने से काम चल सकता है लेकिन जब हम अमल के दायरे में जाते हैं तब यह देखते हैं कि बहुत से सरकारी कानूनों की भावना काफी अच्छी होती है, उनका लक्ष्य सुन्दर होता है लेकिन उनको अमल

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

में लाने में सरकारी मशीनरी बहुत ही गड़बड़ कर दिया करती है। इसलिये हमें यह स्पष्ट करना होगा कि जहां लाइसेंस और परमिट देने के लिये जमानत ली जाती है वह कौनसे उल्लंघन पर जमानत जब्त होगी और किस प्रकार के उल्लंघन पर कानूनी तरीके से उसमें मुकद्दमा चलाया जायगा ? यदि यह चीज स्पष्ट नहीं की जाती है तो मैं समझता हूं कि इस संशोधन का जो उद्देश्य है वह व्यर्थ हो जायेगा। जो उद्देश्य हम इस संशोधन से हल करना चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा। इसलिये यह स्पष्ट होना चाहिये कि कौन से मामले इस तरह के होंगे जिनमें परमिट की कौन सी शर्तों और लाइसेंस की कौन सी शर्तों के उल्लंघन पर जमानत जब्त होगी और कौन सी शर्तों के उल्लंघन करने पर हम परमिट को ही कैंसिल कर देंगे, लाइसेंस को ही कैंसिल कर देंगे। कौन से ऐसे मामले होंगे जिनमें हमें मुकद्दमा चलाने की जरूरत पड़ेगी। यदि इस तरह का स्पष्टीकरण नहीं किया जाता है तो नतीजा यह हो सकता है कि जो अफसरान इसको अमल में लाते हैं वे अपने विवेक पर चाहें तो परमिट को कैंसिल करें और चाहे तो जुर्माने को जब्त करने की व्यवस्था करें।

एक दूसरी चीज भी है जिस पर कि सरकार का ध्यान जाना आवश्यक है और वह यह है कि किन्हीं छोटे मामलों में जहां परमिट या लाइसेंस देना हो वहां पर कोई ऐसी शर्त न जोड़ दी जाय कि हजार रुपया या दो हजार रुपया डिपाजिट का देना पड़ेगा। अब अगर कोई छोटी सी गल्ले की दुकान करना चाहता है तो उस गल्ले की दुकान के लिए एक शर्त यह रख दें कि हजार रुपया उसे जमा कराना आवश्यक होगा। अब इस तरह की शर्त उन छोटे डीलर्स और जो दुकान करने वाले होंगे, उनके वास्ते बहुत कठिनाई पैदा कर देगी। इसलिये इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिये कि जिन लोगों की सुविधा के लिये इस कानून को बनाया जा रहा है, इसके अमल होने से उनके रास्ते में कोई रुकावटें और कठिनाइयां न आयें। मैं समझता हूं कि चूंकि इस कानून के द्वारा हमारी सरकार इस अधिकार को ले रही है और इस अधिकार का जब वह प्रयोग करेगी तब फिर पार्लियामेंट के बीच में आने की जरूरत नहीं होगी। पार्लियामेंट बीच में नहीं आयेगी। इसलिये अभी सरकार के द्वारा यह स्पष्ट होना चाहिये कि जितने छोटे मामले होंगे वहां पर जमानत की व्यवस्था बहुत कम होगी अलबत्ता बड़े मामलों में अधिक की व्यवस्था हो सकती है। खास तौर से जहां आयरन एण्ड स्टील का प्रश्न उठता है मैं कहना चाहता हूं कि कलकत्ता और कानपुर आदि कुछ ऐसे शहर हैं, सम्भवतः दिल्ली भी उनमें शामिल है जहां पर लोहे और स्टील का कोटा बहुत बड़े पैमाने पर दिया जाता है और उसका दुरुपयोग भी होता है। लाइसेंस जिनके हाथ में होता है वह इस कोटे का दुरुपयोग करते हैं। इसका दुरुपयोग करने पर उन्हें सजा मिलनी ही चाहिये। लेकिन इस संशोधन से एक ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है कि आयरन और स्टील का जिनके पास कोटा है और वह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो कानून में इस तरीके की व्यवस्था हो जाने से अमल करने वाले अफसर को यह अधिकार प्राप्त हो जायगा कि वह उनको सजा दिलाने के बजाय, उन पर मुकदमा चलाने के बजाय, उनका जो रुपया डिपाजिट में है उसको जब्त कर ले। उदाहरण के लिये मान लीजिये कि एक कोटा होल्डर की २ हजार या १ हजार रुपये की जमानत का जमा है और वह लोहे और स्टील के किसी कोटे का दुरुपयोग करता है और एक कोटे के दुरुपयोग में ही वह १० हजार रुपये कमा लेता है तो अगर २००० रुपये की जमानत जब्त भी कर ली जाय तो उसके लिए कोई बड़ी बात न होगी। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह बात तय कर दी जाय। अब कानून में इसका फैसला नहीं किया जा सकता है तो बाद में हम कोई नियम बनायें या कोई सरकारी आदेश द्वारा इस चीज की व्यवस्था करदें कि ऐसे मामलों में जुर्माने की व्यवस्था होगी, जमानत जब्त कर ली जायगी और जहां तक बड़े मामलों का सम्बन्ध है उनको सिर्फ जमानत जब्त करके ही नहीं छोड़

दिया जायगा बल्कि जो महत्वपूर्ण मसले हैं जैसे आयरन एण्ड स्टील, कोयला, बुलियन, कौटेन, टैक्सटाइल और पैट्रोलियम आदि के मामलों में जमानत जब्त करने से ही काम नहीं चलेगा और इसलिये ऐसे मामलों में मुकद्दमा चलाने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

जैसा मैंने आरम्भ में कहा कि यह संशोधन विधेयक जितना सादा समझा जा रहा है वास्तव में उतना सादा नहीं है । मन्त्री जी इसे जितना सादा समझ रहे हैं वास्तव में वह उतना सादा नहीं है । अब यह हो सकता है कि जो गल्ले का विकास उनसे सम्बन्ध रखता है उसको ही लक्ष्य में रख कर उन्होंने इसे बिल्कुल सादा कहा हो । अब जहां तक गल्ले का ताल्लुक है गल्ले की स्थिति सुधर रही है और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है । अब गल्ले का जहां तक ताल्लुक है उसमें इससे कोई विशेष अन्तर या प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि यह इसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट, १९५५ दूसरी ऐसी आवश्यक वस्तुओं पर भी लागू होता है जिनका कि सीधा सम्बन्ध मन्त्री महोदय के विभाग से नहीं है और वहां पर गलत तरीके से और गलत परामट वगैरह से अधिक धन कमाया जा सकता है और खाली खतावार व्यापारी की अथवा फर्म की जमानत भर जब्त कर देने से जो उद्देश्य इस विधेयक का है वह पूरा नहीं होगा । इसलिये इस तरह की व्यवस्था, चाहे आप कानून में संशोधन कर के करें या नियम द्वारा अथवा बाद में सरकारी आदेश द्वारा करें, बहुत आवश्यक है, ताकि लाइसेंस लेने वाले या परमिट प्राप्त करने वाले यह न समझ बैठें कि सरकार लापर्वाह है और वह सतर्क नहीं है और इसलिये हम इस कानून को तोड़ सकते हैं, परमिट और लाइसेंस की शर्तों को तोड़ सकते हैं और हमें सजा नहीं मिलेगी और हमारा परमिट कैंसिल नहीं होगा, लाइसेंस हमारा खत्म नहीं किया जायगा । अब यह ठीक है कि जमानत जब्त करने की व्यवस्था इसमें है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि पूरी जमानत ही जब्त हो और अमल करने वाले अधिकारी चाहें तो कसूरवार की जमानत का कुछ ही हिस्सा जब्त करके छोड़ सकते हैं । इसलिये मेरा कहना है कि यह सब जो अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है कुछ उचित नहीं है और इस विवेक को किसी हद तक सीमित अवश्य कर दिया जाना चाहिये नहीं तो हो सकता है कि कोई अधिकारी खाली जमानत में से १० पये ही जब्त करके छोड़ सकता है। मेरा कहना यह है कि ऐसे मामलों में सजा जरूर होनी चाहिये। जब हम आज इस पर सदन में विचार कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से इस बात का स्पष्टीकरण अवश्य होना चाहिये कि जो गम्भीर मामले हैं उनमें सिर्फ जमानत जब्त करने से ही काम नहीं चलेगा और उनमें मुकद्दमा जरूर चलाया जायेगा ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि यह जमानत दाखिल करने वाली व्यवस्था से उन लोगों की जो कि छोटा काम करते हैं गल्ले वगैरह की छोटी छोटी दुकानें खोलना चाहते हैं अब चूंकि वे बेचारे यह हजार और दो हजार रुपये की जमानत की शर्त को पूरा नहीं कर पायेंगे जमानत जमा नहीं करा पायेंगे तो वह उस हालत में दुकान ही नहीं कर सकेंगे । यह सारी बातें हैं जिन पर कि विचार किया जाना चाहिये और उसके बाद ही सदन को इस कानून को पास करना चाहिये ।

अब अगर खुद मन्त्री महोदय इस कानून में कोई ऐसी व्यवस्था न कर सकें अथवा करने में असमर्थ हों तो इसको नियमों द्वारा कर दें और नियमों द्वारा भी न कर सकें तो सरकारी आदेशों द्वारा इस तरह की व्यवस्था जरूर करें ताकि जो इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य है उसके पूरा होने में कोई रुकावटें न आयें । खास तौर पर ऐसे लोग जो कि बड़ा कारोबार करते हैं, वे ऐसा न सोच लें कि अगर वह लाइसेंस वगैरह की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उनका सिर्फ थोड़ा सा रुपया जब्त होने से ही काम चल जायगा । उनमें ऐसी भावना पैदा न होने देनी चाहिये और इसीलिये यह आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिये । मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इन तमाम बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे ।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : अध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री महोदय ने जो विधेयक उपस्थित किया है उससे मूल बिल जो इसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट, १९५५ है, उसमें कुछ संशोधन हो जाता है ।

मेरा सुझाव यह है कि इसमें कुछ अन्य इसेंशियल चीजें भी ले लेनी चाहिएं जैसे लोहा, फर्टिलाइजर्स और अन्य खेती सम्बन्धी उपयोगी चीजें हैं । इन चीजों को भी इसमें जोड़ लेना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे आदमियों से जैसे डीलर से जमानत लेते हैं । अगर वह कोई गलती करता है तो उसकी जमानत जब्त करने में कोई ऐतराज़ नहीं है । अब अगर डीलर ने गलती की है तो वह सजा पाये लेकिन असल चीज यह ध्यान में रखने की है कि जो स्टाकिस्ट्स और होलसेलर्स होते हैं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिये । होलसेलर्स का, अपराध करने की दशा में, लाइसेंस भी कैंसल होना चाहिए और उनको जुर्माने की भी सजा मिलनी चाहिए । उनके लिए जेल की सजा उठा देना ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर उन्होंने ५० हजार रुपये का मुनाफा किया और आपने उसको हजार रुपये की जो जमानत आपके पास जमा है उसमें से ५०० रुपये जब्त कर लिये तो उस पर इसका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ४९५० रुपये का फायदा उसने कर लिया है । उनको इसके लिये ज्यादा से ज्यादा सजा जो कि दो साल की होगी, देनी चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि वह ६ महीने की सजा देकर छोड़ दिया जाय । इसलिए मेरा सुझाव है कि उनके लिए जेल की सजा कम नहीं करनी चाहिए बल्कि उस सजा को सख्त से सख्त करना चाहिए । इसके साथ ही उनका लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए । इस बिल के स्टेटमेंट आफ़ आबजेक्ट्स एंड

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

रीज़न्ज़ से ऐसा प्रकट होता है कि ऐसे व्यक्ति के लाइसेंस को कैंन्सिल करने का सरकार का विचार नहीं है । मैं समझता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि इस मामले में सरकार को सख्ती से काम लेना चाहिए । हम देखते हैं कि जितने भी कड़े से कड़े नियम बनाए जाते हैं, उनका पालन करने के वक्त कुछ ढील हो जाती है । इसलिए मैं चहाता हूं कि या तो इस विधेयक में संशोधन किया जाये और अगर यह संभव नहीं है, तो ऐसे रूल्ज़ बनाये जायें कि शर्तों का उल्लंघन करने पर होलसेलर्ज़ और स्टाकिस्ट्स की ज़मानत भी ज़ब्त हो, उनका लाइसेंस भी कैंन्सल हो और उन्हें जेल भी जाना पड़े । माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : सभापति महोदय, यह बिल असेंशल कामाडिटीज़ की कमी को दूर करने के लिये लाया गया है, इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं ।

मूल कानून की धारा ७ में यह दिया हुआ है कि धारा ३ के अन्दर दिये गये विषयों के विरुद्ध काम करने वालों को धारा ७ के अन्तर्गत सज़ा दी जायगी । लेकिन जो संशोधन अब किया जा रहा है, वह भी धारा ३ के अन्दर ही है । धारा ३ में परमिट, लाइसेन्स या दूसरे डाक्युमेंटरी जारी करने और उनके सम्बन्ध में ज़मानत जमा करने की व्यवस्था की गई है और साथ ही यह भी दिया जा रहा है कि उनमें दी गई शर्तों का पालन न करने पर ज़मानत, या उसका कुछ भाग, ज़ब्त हो सकता है और उस सम्बन्ध में एडजुडिकेशन करने का इन्तज़ाम भी किया जा रहा है । इससे पता चलता है कि परमिट या लाइसेन्स की अवहेलना के लिये ज़मानत ज़ब्त करने का फ़ैसला वे अधिकारी करेंगे, जिन्हें इस कानून में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अधिकार दिया जायगा । आम तौर पर परमिट और लाइसेंस देने वाले अफ़सर ज़िले के छोटे अधिकारी होते हैं और इस संशोधित कानून के अनुसार जो आर्डर होगा, उस में यह निर्णय करने का अधिकार नीचे के अधिकारियों को दिया जायगा कि परमिट या लाइसेन्स की शर्तों की अवहेलना हुई है या नहीं । आम तौर पर यह देखा जाता है, और प्रायः सभी सदस्यों को इस बात का तजुर्बा होगा कि जहां तक परमिट और लाइसेन्सिज़ के जारी करने का प्रश्न है, यद्यपि आजकल की अर्थ-व्यवस्था में वे आवश्यक हैं, लेकिन जिन अधिकारियों के हाथ में वह अधिकार दिया जाता है, वे बहुमे हद तक उसका दुरुपयोग करते हैं । सरकार के

द्वारा मकट हो गई यह भावना तो अच्छी है कि छोटेमछोटे अपराधों के लिये, परमिट या लाइसेन्स की शर्तों की छोटी और टेक्निकल अवहेहलना के लिये मुकदमा न चलाया जाये, बल्कि जमानत या उसका कोई भाग जब्त कर लिया जाय, लेकिन इसके साथ ही इस बात का आश्वासन मिलना चाहिये कि जमानत जब्त करने का निर्णय किस आधार पर किया जायगा। मैं समझता हूं कि एक तरह से यह एक जुडिशल फैसला होगा। यह ठीक है कि जुडिशल फैसले के सम्बन्ध में कोर्ट में कुछ देरी होती है, लेकिन वहां न्याय की आशा रहती है। इसकी तुलना में अगर परमिट या लाइसेन्स जारी करने वाले अधिकारी ही इस बात का फैसला करें कि सम्बद्ध शर्तों की अवहेलना हुई है या नहीं, तो अन्याय होने की आशंका है।

इसमें जिक्र किया गया है कि किन हालतों में जमानत जब्त की जायगी, इसके लिये सरकार आदेश जारी करेगी और नियम बनायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसी कोर्ट में कोई मामला जाता है, तो वहां हर पक्ष की बात सुनी जाती है और सुबूत देखे जाते हैं और उसके बाद फैसला होता है। यही नहीं, वहां अपील का भी अधिकार होता है और उसके लिये दूसरी कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन यहां पर यह बातें बिल्कुल छिपी हुई हैं कि परमिट या लाइसेंस के देने वाले अधिकारी जमानत जब्त करने का निर्णय किस आधार पर करेंगे, क्या वह इस सम्बन्ध में कानून को ध्यान में रखेंगे, या उनकी मनमानी पर निर्भर होगा कि जो जमानत जब्त की जाये, उसका कितना भाग जब्त किया जाये और कितना छोड़ दिया जाय, और अपील कहां होगी। इस बिल के द्वारा जो अधिकार सरकार को दिये जा रहे हैं, उनका प्रयोग सरकार खुद नहीं करती है। केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधिकारी इस सम्बन्ध में नियुक्त किये जाते हैं और वे ही इन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। उनके द्वारा इस बारे में पूरा न्याय हो सकेगा या नहीं, इसमें सन्देह है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, यह बात सही है कि अभी छोटे छोटे मामलों के सम्बन्ध में दो ही बातें सरकार के समाने रहती हैं--या तो मुकदमा चला कर लाइसेंस या परमिट बिल्कुल बन्द कर दिया जाये, या किसी धारा को अवहेलना करने पर सजा दी जाये, जेल भेजा जाये या जुर्माना किया जाये। जुर्माने की बात तो छोटी है, लेकिन इस आदेश के जारी होने के बाद यह ध्यान में रखना होगा कि जिन अफसरों के हाथ में लाइसेन्स और परमिट देने और उनकी शर्तों का निर्माण करने का अधिकार है, वे न्याय कर सकेंगे या नहीं, इसमें मुझे शक है। जैसा कि मैंने अभी कहा है, जो जमानत जब्त होगी, उसके विरुद्ध अपील कहां हो सकेगी और किसी कोर्ट में अपील हो सकेगी या नहीं, इस बात की सफाई होना जरूरी है।

मूल कानून की धारा ३ (१) में सरकार को बहुत व्यापक अधिकार मिले हुये हैं। इसके बाद धारा ३(२)(जे) में यह कहा गया है कि सरकार को इन्सिडेंटल एंड सप्लीमेंटरी मैटर्ज (जिनमें मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है) के सम्बन्ध में आदेश जारी करने का अधिकार है। मेरा ख्याल था कि बिना इस संशोधन के सरकार को इस बात का अधिकार न था कि परमिट और लाइसेन्स के लिये जमानत ली जाये और उसकी शर्तों की अवहेलना करने पर जमानत को जब्त किया जाये। फिर भी कानून को स्पष्ट करने के लिये यह बिल लाया गया है, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी खुलासा करेंगे कि परमिट और लाइसेन्स की शर्तों की अवहेलना करने के लिये जो जमानत जब्त की जायेगी, वह अधिकार किस अधिकारी के हाथ में होगा और क्या उसके विरुद्ध अपील की जा सकेगी या नहीं। इस बात का भी आश्वासन होना चाहिये कि अगर जमानत जब्त करने का निर्णय हो, तो अपील किसी अदालत में हो, जहां लाइसेन्स-होल्डर या परमिट-होल्डर को पूरी सफाई देने का मौका मिल सके।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : सभापति जी, जो संशोधक विधेयक सदन के सामने उपस्थित है, उस की आवश्यकता के विषय में यह कहा गया है कि जमानत लेने से कुछ सुविधा होगी और यह व्यवस्था अभी तक नहीं थी, इसलिये इस कानून को संशोधित किया जा रहा है। और इसे स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीज़न्ज़ में कहा भी गया है। १९४० का एसेंशल कामोडिटीज एक्ट बहुत पुराना हो गया है। जब से लड़ाई छिड़ी तब से किसी न किसी रूप में चला आता है। जमानत लेने से क्या सुविधा होगी और अब तक क्या असुविधा रही है, इस पर कोई खास प्रकाश इस बिल के आबजेक्ट्स एंड रीज़न्ज़ में नहीं डाला गया है। अभी मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता महोदय ने कहा है कि उनको डर है कि अगर कोई लाइसेन्स की शर्तों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा तो उस की ज़मानत जब्त हो जायेगी और इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद वही उसकी आखिरी सज़ा नहीं होगी, उसके बाद तो पीनल लाहै उसके मुताबिक भी कार्रवाई हो सकेगी।

लेकिन मुझे जो डर है वह यह है कि आज इस देश का व्यवसाय कुछ विशेष वर्गों के हाथ में है, उन वर्गों के हाथ में है जिनके पास पैसा है, जो धनी हैं और जो इसके लिये आवेदन पत्र देंगे अगर उन को मंजूर कर लिया जाएगा तो एक हज़ार या पांच सौ रुपया देना उनके लिये कोई मुश्किल बात नहीं होगी और अगर यह जब्त भी हो जाएगा कि तो भी कोई खास कठिनाई का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज जो देश में बेकारी है, उसके कारण कई नौजवान भटकते फिरते हैं, करने के लिए उनके पास कोई धन्धा नहीं है, तजारत वे नहीं कर सकते है क्योंकि उनके पास रुपये का अभाव है, और वे अगर किसी तरह से तजारत में आना चाहते हैं तो उनके लिये इस तरह की ज़मानत देना कठिन हो जाएगा। वे अगर ईमानदारी से इस तजारत को करना चाहें भी तो नहीं कर सकते हैं और यह जो जमानत की दफा है वह उनके रास्ते में रोड़े अटकायेगी। यह जमानत नक़द ली जाएगी, जायदाद के रूप में ली जाएगी या किसी और तरह से ली जाएगी, इसके बारे में मन्त्री महोदय तशरीह कर, यह मैं चाहता हूं। आज भारत में कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास न घर हैं, न जमीन हैं, न पैसा है और वे सिवाय नौकरी करने के और कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। अगर वे किसी तरह से इस तजारत में आना चाहें तो उनके रास्ते में मेरे ख्याल से यह दफा एक रुकावट डालेगी और उनसे कहा जाएगा कि पहले ज़मानत लाओ, तब परमिट दिया जाएगा। पहले तो उनके पास तजारत करने के लिये पैसा नहीं और अगर वे किसी तरह से थोड़े बहुत पैसे का प्रबन्ध करेंगे भी तो जमानत देना उनके लिये मुश्किल होगा। यह जो दफा ३ है यह कई सालों से चली आ रही है। आप जमानत लेना चाहते हैं लें और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो न लें। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव नहीं है कि जो नए आदमी इस तजारत में आना चाहें, उनके रास्ते में यह जमानत की शर्त बाधक न बन सके, ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए ? अब लोगों के दिलों में यह डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि अगर उन्हों नें शरायत की खिलाफवर्जी की तो उनकी जमानत जब्त हो सकती हैं। इसका मतलब हुआ कि जमानत देना ही काफी मान लिया गया है और अगर अदालत में नहीं जाना पड़ता है तो अब जो एक परसेंट या दो परसेंट चोरियां हो रही हैं, वे कई गुना बढ़ जायेंगी। लोग दस हजार की चोरियां करेंगे और एक हजार की जमानत अगर उनकी जब्त हो जाएगी तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि जिस किसी की भी जमानत जब्त हो उसका मामला अदालत में अवश्य जाना चाहिये और वहां से उसको सज़ा दिलाई जानी चाहिये। कई तरह की जमानतें होती हैं। एक हाजिरी का मुचलका होता है और इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं लेकिन यहां यह दूसरी चीज़ है। यहां पर कहा गया है कि अगर वह शर्तों को पूरा नहीं करता है तो जमानत जब्त हो सकती है। लेकिन दुःख की बात है कि जहां पर भी—परमिट सिस्टम लागू होता है, वहां पर कई गलत रास्तों से उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। अभी कुछ वक्त पहले तक सिमेंट बाजार में काफी था और उसका डिकंट्रोल हो गया। आज

हालत है कि सिमेंट नहीं मिल रहा है और फिर से कण्ट्रोल लागू हो गया है। पहले प्रोडयसर कहते थे कि उनके पास बहुत सिमेंट हो गया है और उसको रखने के लिये उनके पास गोदाम नहीं है, लेकिन आज उसकी यह हालत हो गई है कि वह मार्केट में मिलता नहीं है। यही हालत कोयले की हुई है। कोयले का उत्पादन अधिक हो गया था लेकिन आज उसकी कमी महसूस की जा रही है। कहीं न कहीं वाटलनैक होने की वजह से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। आज जीवन थोड़ा सा दूभर हो रहा है। उसमें यह जो रास्ता आपने इस बिल के जरिये से खोजा है, यह सहूलियत पहुंचाने के बजाय रुकावटें ही अधिक पहुंचायेगा। गवर्नमेंट ने इस बिल को रखा है और यह पास हो ही जायगा। मैं समझता हूं कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे संशोधन बार बार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आने चाहिय मैं चाहता हूं कि एक बार बैठ करके एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को समूल दृष्टिकोण से देखा जाए और पता लगाया जाए कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और फिर एक ही बार में उन सब कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाए।

आज देश में चारों तरफ दामों में बढ़ोतरी हो रही है। दामों को बढ़ने से रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। इस एक्ट में प्राविज़न है कि आप दामों को रोक सकते हैं। मगर कोई कदम इस बारे में नहीं उठाये गये हैं। चारों तरफ हम दामों को बढ़ते ही पाते हैं। हम कानून बनाते जा रहे हैं और उनको बनाने से कोई लाभ विशेष होता हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है। अभी कानपुर में एक दाम बांधो आन्दोलन चला था और एक सभा हुई थी। वहां पर लोगों ने बैठ करके विचार किया था कि दाम कैसे बांधे जा सकते हैं, इसके बारे में क्या किया जा सकता है। अभी तक इसके बारे में आपकी तरफ से कुछ नहीं हुआ है। जहां पर वे बंधे हुए हैं भी, वहां पर भी ढिलाई दिखाई जा रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि लोगों में जो बेचैनी फैल रही है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये और उस बेचैनी को दूर करना हमारा कर्तव्य होना चाहिये। जो भी कानून हम बनावें उसको सक्रिय रूप से लागू करें और देखें कि कोई उसकी अवहेलना न करे और जो अवहेलना करे उसको सख्त दण्ड मिले।

अन्त में दो ही बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वे नौजवान जो धनहीन हैं, उनके तजारत में आने में अगर यह जमानत वाली शर्त बाधक हो सकती है तो इस चीज़ को दूर किया जाए। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल पेश किया जा रहा है, इसके जरिये अगर यह समझा जाता है कि जमानत जब्त करने से ही मामला तय हो जाएगा, तो इससे बजाय फायदा होने के नुकसान ही होने वाला है और इस तरह के मामलों को अगर अदालतों में ले जाया जाएगा, तब कुछ फायदा हो सकता है। आप इस बात पर भी विचार करें, उपाय सोचें कि किस तरह से व्यवसाय में कुछ ईमानदारी का रास्ता लोग अख्तियार कर सकते हैं।

†**श्री स० का० पाटिल** : श्री त्यागी ने कहा कि क्या एक कारखाने की स्थापना के लिये अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है ? सामान्यतः जिस कारखाने में १०० से अधिक व्यक्ति न हों और जिसमें १० लाख से ज्यादा पूंजी न लगी हो उसके लिये अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। किन्तु गेहूं के बारे में अनुमति लेनी पड़ती है। मशीन बदलते समय भी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। किन्तु छोटे एककों के लिये यह आवश्यक नहीं है।

मेरे विचार में श्री ब्रजसिंह, श्री विभूति मिश्र, श्री श्रीनारायणदास तथा श्री सिंहासन सिंह ने इस संशोधन में वह कुछ समझा है जो कुछ है नहीं। वास्तव में आज जो हो रहा है वह वस्तुतः केवल यही तो हो रहा है कि आज सरकार के पास जो अधिकार नहीं हैं उन्हें लेने के प्रयत्न सरकार कर रही है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

आज की व्यवस्था यह है कि अनुज्ञप्ति रद्द हो या फिर मामला न्यायालय में ले जाया जाय। यदि थोड़ी सी त्रुटि रह जाय तो कुछ कार्यवाही नहीं होती। दूसरे अनुज्ञप्ति का रद्द करना जनहित में भी नहीं है। यह दण्ड बड़े अपराध पर ही दिया जाता है। इसलिये होता यह है कि जब छोटे अपराध किये जाते हैं तब उनके परिणामों को देख कर उनकी अवहेलना करनी पड़ती है।

श्री श्रीनारायण दास ने सुझाव दिया कि धारा ७ में दण्डों की व्यवस्था की गयी है किन्तु उन्हें इसे धारा ३ के साथ पढ़ना चाहिये। हम दरअस्ल निक्षेप सम्बन्धी व्यवस्था चाहते हैं। वर्तमान कानून के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था नहीं है। नियम बनाये जायेंगे। मैं श्री ब्रजराज सिंह की बात को समझता हूं। हम नियम बनाते समय शुल्क लेने के बारे में कोई प्रतिमान निश्चित करेंगे। काम करने का अप्रत्यक्ष या इधर उधर का कोई भी तरीका नहीं है।

इस व्यवस्था के बाद मैं समझता हूं कि विधेयक को पारित करने में किसी प्रकार की कठिनाई न होगी।

जहां तक नियमों और आदेशों का सम्बन्ध है नियम तो बनाये जाते हैं और आदेश अफसरों द्वारा जारी होते हैं। आदेश जारी करते समय हम नियम ही का पालन करते हैं। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह उसी चीज के लिये इस्तेमाल हो जिसके लिये विधेयक बनाया जा रहा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १, २, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १, और २, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधि व्यवसायी विधेयक

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधि व्यवसायियों सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने तथा विधि व्यवसायी परिषद (बार काउंसिल) तथा एक अखिल भारतीय विधि व्यवसायी संघ (आल इण्डिया बार) स्थापित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किय जाय।"

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत करने का जो सौभाग्य हमें मिला है उसके फलस्वरूप आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

संयुक्त समिति में विधेयक पर काफी विचार हुआ है। जिन सदस्यों ने काफी काफी समय तक बैठ कर इस विधेयक पर चर्चा की उनका मैं अती आभारी हूं। संयुक्त समिति ने इस विधेयक में काफी सुधार किये हैं।

जब हमने इस विधेयक को सभा में रखा था तब इसका नाम विधि व्यवसायी विधेयक था। संयुक्त समिति में एक सुझाव आया कि चूंकि वकीलों की एक ही श्रेणी होगी इस कारण इसे एडवोकेटस अधिनियम कहा जाय। यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया है।

खंड ३ में मूलतः दिल्ली के लिए कोई बार परिषद की स्थापना नहीं होती थी। यह सुझाव था कि अखिल भारतीय बार कौंसिल में तीन प्रति निधि हों। पर बाद में सोचा गया कि दिल्ली की बार अच्छी है। इस लिए वहां पृथक परिषद होनी चाहिए। अतैव वैसी व्यवस्था कर दी गयी है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या यदि बढ़ा दी गयी है और चुनाव एकल से संक्रमणीय मत के आधार पर होगा जिससे कि सभी को प्र तिनिधित्व प्राप्त हो सके।

खंड ४ की मूल व्यवस्था में दिल्ली की पृथक परिषद की बात के अनुरूप संशोधन कर दिया गया है। वकीलों की परिषदों के कृत्यों को भी बढ़ा दिया गया है। हमने मद्रास वालों की एक बड़ी स्वस्थ बात भी स्वीकार कर ली है कि राज्यों की वकील परिषदें ऐसी निधियां बनायें जो अपंग वकीलों की सहायता करें।

खंड ९ और १० अधिकारों के लिए हैं। समिति ने सोचा था कि शायद सभी शिकायतों को एक समिति दूर न कर पाये इस कारण यदि आवश्यक हुआ तो एक से अधिक समिति भी बनायी जायेगी।

खंड ११ में मूलतः यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्यीय बार कौसिल में एक लेखापाल हो पर बाद में विचार विमर्श करने पर इसे नहीं रखा गया। इस कारण इसे वैकल्पिक बना दिया गया है।

खंड १७ के बारे में भी एक सुझाव मद्रास ही से आया है। यह ठीक ही है कि जब हम वकीलों आदि सभी को एडवोकेट बनाने जा रहे हैं तो उन्हें वरिष्ठता देने का प्रश्न भी उठता है। मूलत यह व्यवस्था थी कि जो लोग जिस तिथि से वकील या आटोरनी बने उसी दिन से उनकी वरिष्ठता निर्धारित की जाय परन्तु एडवोकेटों के बारे में भी तो वही चीज लागू होनी थी इस कारण अब दोनों बातों को एक स्तर पर लाया गया है।

खंड १८ नया खंड है क्योंकि इसके अन्तर्गत हर वकील को यह अधिकार होगा कि किस बार कौसिल में नाम दर्ज कराया जाय। परिवर्तन के लिए उन्हें अखिल भारतीय परिषद की स्वीकृति लेनी होगी।

खंड २४ में यह व्यवस्था की गयी है कि उन व्यक्तियों को एडवोकेट भर्ती किया जायगा जिन्होंने भारत या विदेशों में शिक्षा ग्रहण की हो। संयुक्त समिति ने कहा है कि वकील दर्ज करने के लिए वकालत की डिगरी काफी है। शेष चीजों के बारे में वकीलों की अपनी मर्जी भी चलेगी। भर्ती की फीस ५०० रुपये से घटाकर २५० रुपये कर दी गयी है।

[श्री हजरनवीस]

खंड ३० इस बात को स्पष्ट करता है कि जो निषेध संविधान ने लगाए हैं वे रहेंगे । खंड ३५ भी अच्छा प्रबन्ध है । जब तक बार कौंसिल को की गयी शिकायत प्रत्यक्षतः उचित न हो तब तक इसे ऐसे ही रद्द किया जा सकता है ।

खंड ३७ से ४० तक यह व्यवस्था है कि मामले की अपील उच्चतम न्यायालय को की जा सकेगी । वैसे तो संविधान के अनुच्छेद १३६ के अन्तर्गत भी वैसा किया जा सकता है पर आखिर यह किसी के रोजगार का मसला होता है । इसीलिए ऐसा निर्णय किया गया है ।

खंड ५१ में केवल परिभाषामात्र है इसमें एडवोकेट की परिभाषा आत्म निर्भर बनायी गयी है । संयक्त समिति ने वर्गों के प्रश्न पर जो उच्च न्यायालयों में बन जाते है, भी विचार किया है । इसके बाद स्टाम्प शल्क का प्रश्न है । वकीलों से भी व्यवसाय में प्रवेश पाने से पूर्व काफी पैसे मांगे जाते हैं । यह भी ठीक है कि इंजीनियरों या डाक्टरों को ज्यादा शुल्क नहीं देना पड़ता । वकीलों को कुछ राज्यों में काफी काफी रुपया देना होता है । मुझे खुद १००० रुपया देना पड़ा था । किन्तु यह राज्यों का मामला है । इसके बारे में भी बड़ी परस्पर विरोधी बातें कही गयी हैं । स्टाम्प शुल्क के बारे में यदि न्यायालय इस आपत्ति का समर्थन करें कि राज्यों द्वारा इसका लगाना विचारणीय है मुझ से ज्यादा प्रसन्नता और किसी भी व्यक्ति को न होगी ।

मैं समझता हूं कि संयुक्त समिति ने इस विधेयक पर अच्छा खासा विचार किया है और उन्होंने ठीक काम किया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** । प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री साधन गुप्त** : (कलकत्ता-पूर्व) : वैसे सभा के सभी लोगों को इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये । यह देश के विधि-व्यवसाय के हित में है । आज हमारे देश के विधि-व्यवसायियों में विभिन्न तब के बने हुए हैं, उनमें विभेद है । यह विधेयक उस अनावश्यक विभेद को हटा देगा । दूसरी बड़ी अच्छी चीज़ यह है कि विधि-व्यवसायी अब स्वयं अपने व्यवसाय को नियमित करने का अधिकार पाजायेंगे । इन दोनों ही चीज़ों का स्वागत किया जाना चाहिये ।

संयुक्त समिति ने इस विधेयक की उस व्यवस्था को हटा दिया है, जिसके अन्तर्गत विधि जीवी परिषद में न्यायाधीशों को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य था । इसका विरोध तो स्वयं न्यायाधीशों ने किया था । इसलिये अब इस विधेयक का रूप और भी संतोषप्रद बन गया है ।

लेकिन इसका यह मतलब नहीं लगाया जाना चाहिये कि यह विधेयक अब बिल्कुल त्रुटिहीन हो गया है । इसमें खामियां भी हैं ।

हमारे देश में बैरिस्टरों का एक विशेष स्थान बना हुआ है । उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं । और वे उनको बनाये रखना चाहते हैं । यह विधि-व्यवसाय के लिये हितकारक नहीं हैं । उनके विशेषाधिकार का अन्त किया जाना चाहिये । विधि आयोग ने इसकी जांच की है और इस स्थिति के कारणों का पता लगाने की कोशिश की है । आयोग ने इसको अनुचित बताया है ।

बैरिस्टरों के विशेषाधिकार कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों तक ही सीमित नहीं, अन्य उच्च-न्यायालयों पर उनका ऐसा ही प्रभुत्व है । और यह अकारण है । इसका कोई भी समुचित आधार नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिल्कुल जरूरी है कि यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चलने देनी चाहिये । इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

यह भी तर्क-संगत नहीं होगा कि इसका दायित्व उच्च-न्यायालयों पर छोड़ दिया जाये । वह ग़लत भी होगा, और उससे कोई लाभ भी नहीं होगा । न्यायालयों को इस संबंध में कोई भी कार्यवाही करने में बड़ी अड़चन महसूस होगी और बात भी ठीक है । उसके समुचित कारण मौजूद हैं ।

हमें व्यवस्था करनी चाहिये कि बैरिस्टरों की पृथक संस्थाओं को न्यायालयों में कोई भी विशेष सुविधायें नहीं दी जायेंगी । सरकार को यह चाहिये कि अभी इसी अवस्था पर इस विधेयक में ऐसा संशोधन कर दे ।

विधि आयोग ने उच्च न्यायालयों में सालिस्टर और एडवोकेटस् दोनों ही बनायें रखनें का समर्थन किया है लेकिन इसके लिये आयोगने जो तर्क दिये हैं, वे ठीक नहीं हैं । मुख्य तर्क यह दिया गया है कि व्यवसायी लोग इस पद्धति को पसन्द करते हैं और वे ही ज्यादा मुकदमेबाजी करते हैं । यह तर्क अनुचित है । ग़रीब लोगों के लिये न्याय को इतना महंगा क्यों बनाया जाये ? वे इतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते । व्यवसायी वर्ग के लिये यह प्रणाली अधिक खर्चीली इसलिये नहीं पड़ती कि वे लाखों रुपयों के मुकदमे लड़ते हैं, और उनको कोर्ट फीस की बचत हो जाती है ।

†**श्री नथवानी** (सोरठ) : कोर्ट फीस उनको देनी पड़ती है, १९५४ के बाद से अब बम्बई म देनी पड़ती है ।

†**श्री साधन गुप्त** : यह कलकत्ता पर लागू नहीं होता । कलकत्ता ने कोर्टफीस का क्रम २२ रुपये रखा गया ह ।

सालिसिटर और महान्यायवादी दोनों रखने की प्रणाली का लाभ बड़े बड़े मुकदमे लड़ने वालों, धनियों और व्यवसायियों को ही हो सकता है । और बड़े बड़े मुकदमों में ही इस प्रणाली से कार्यक्षमता बढ़ती है । छोटे-छोटे मुकदमों के लिये यह अनावश्यक है । उनमें मुकदमों के दो पहलूओं के लिये दो वकील रखना अनावश्यक है ।

सरकार को व्यवस्था ऐसी करनी चाहिये कि जिन मुकदमों में एक वकील करने से ही काम चल जाये, वहां दो वकील करने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा । उसे इस प्रकार हर्जाना भरने के लिये बाध्व न किया जाये ।

और यह तर्क भी गलत है कि केवल इसी मार्ग से, इसी तरीके से मुकदमों में कार्यक्षमता पैदा की जा सकती है । सच तो यह है कि इस प्रणाली से जो कार्यक्षमता आई है वह इस कारण नहीं कि सालिसिटर और एडवोकेट्स में कोई बड़ा अन्तर है । कार्यक्षमता का वास्तविक कारण यह है कि सालिसिटरों ने अपनी व्यावसाविक फर्म बना कर काम बांट लिया है । उनको फर्म बनाने की अनुमति मिली हुई है ।

यदि यह द्वैध प्रणाली बनाये रखनी है, तो फिर एडवोकेट्स को भी सम्मिलित होकर अपनी फर्में बनाने की अनुमति दी जानी चाहिये, जिससे कि वे भी अपने काम का बंटवारा कर सकें और कम खर्च में काम कर सकें ।

इसी विधेयक में यह व्यवस्था भी की जानी चाहिये कि एडवोकेट्स विधिजीवी परिषद् की फीस भरकर पैरवी कर सकते हैं । १००० रुपये देकर एडवोकेट बनना बड़ा मुश्किल होता है ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

मैं, इन शब्दों के साथ, इस विधेयक का समर्थन करता हूं । आशा है कि माननीय मंत्री मेरे सुझावों के अनुरूप संशोधन इस विधेयक में करेंगे ।

†**श्री रघुबीर सहाय** (बदायूं) : हमारे देश में वकीलों के अधिकारों, हितों और विशेषाधिकारों की रक्षा का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हैं और संयुक्त समिति ने इसका दायित्व विधि जीवी परिषद् को सौंपा है ।

हमारे देश में अभी तक न्यायाधीशों और वकीलों में बड़ा विरोध रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि न्यायाधीशों की मनमानी रोकने का कोई भी उपाय नहीं था । न्यायाधीश बहुधा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते थे और उसके परिणामस्वरूप वकील उनके प्रति विरोध-भाव रखते थे । अब इसे एक हद तक दूर किया जा सकेगा । इसकी व्यवस्था के लिये संयुक्त समिति को धन्यवाद देना चाहिये ।

इस विधेयक से एक सुधार और भी होगा । अब विधि जीवी परिषदें देश की समूची विधि-व्यवस्था की जांच करेंगी और विधि में सुधार का सुझाव भी देंगी । यह समूचे देश की विधि व्यवस्था के हित में है ।

हमारे देश के न्याय-प्रशासन में विलम्ब तो होता ही है, साथ ही कई और भी खामियां हैं । सभी जानते हैं कि न्यायालयों में झूठी गवाहियां दी जाती हैं । विधि जीवी परिषद् इन सभी खामियों की जांच करेगी और उनके दूर करने के सुझाव देगी । विधि जीवी परिषद् के सुझाव इस सम्बन्ध में बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे ।

विधेयक की यह व्यवस्था भी बड़ी उपयोगी है कि विधि जीवी परिषदें जरूरतमंद विधि जीवियों के लिये समुचित व्यवस्था करेंगी । संयुक्त समिति ने इसकी स्पष्ट व्यवस्था की है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : अन्य स्थानों, जैसे मद्रास, में ऐसी निधियां चालू हैं । दुर्घटना, इत्यादि के समय विधिजीवियों को उसमें से सहायता दी जाती है ।

†**श्री रघुबीर सहाय** : आशा है कि अन्य राज्यों में भी इसका अनुसरण किया जायेगा ।

स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में संयुक्त समिति में ही बड़ी चखमख रही थी । कुछ माननीय सदस्य स्टाम्प ड्यूटी लगाने के बिलकुल विरुद्ध हैं । विधि आयोग ने भी इसका विरोध किया था । अखिल भारतीय विधि जीवी समिति भी अत्यधिक स्टाम्त ड्यूटी के विरुद्ध थी । मूल विधेयक में वकीलों के पंजीयन की फीस ५०० रुपये रखी गई थी । संयुक्त समिति ने उसे घटा कर २५० रुपये कर दिया था । विधि आयोग की राय थी कि उसे १२५ रुपये ही रखा जाये । यह सिफारिश स्वीकार की जानी चाहिये थी ।

जनता को न्याय दिलाने के काम को अधिक महंगा नहीं बनाना चाहिये । हमें अधिक से अधि क लोगों को विधि व्यवसाय अपनाने की प्रेरणा देनी चाहिये । इसलिये पंजीयन फीस कम से कम रखी जानी चाहिये । बाद में, परीक्षा होगी और सुयोग्य वकील ही क्षेत्र में रह जायेंगे ।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : प्रारम्भ में विधि व्यवसाय बहुत पवित्र समझा जाता था। परन्तु धीरे धीरे स्थिति बदलती गई और अब वह जीविकोपार्जन का एक साधन मात्र रह गया है। अब सेवा भावना की परम्परा नष्ट हो गई है और विधि व्यवसाइयों का एकमात्र उद्देश्य धन कमाना रह गया है। यह अच्छी बात है कि अन्य व्यवसायिओं की तरह विधि व्यवसायी भी अपना संगठन बनायें। परन्तु मैं समझता हूं कि इन परिषदों को पूर्ण स्वतंत्रता देना ठीक नहीं होगा। अभी तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के प्रभाव के कारण विधि व्यवसायिओं पर एक प्रकार का नियंत्रण रहता था। अब उनको पूर्ण स्वशासी बना देना विधि व्यवसाय के लिए हानिकर हो सकता है। भारत में दूसरा कोई भी व्यवसाय नहीं है जिसे नियंत्रण के लिए इतनी अधिक शक्ति दी गई हो। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इन परिषदों का विरोध कर रहा हूं। ये परिषदें तो रहनी चाहिये परन्तु उन पर से न्यायालयों का क्षेत्राधिकार समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। विधि व्यवसायी न्यायालयों का सम्मान करते हैं और उन्हीं के भय से वे अनुशासित रहते हैं। न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को हटा देना विधि व्यवसाय में दुराचरण और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देगा। अतः मैं इस उपबन्ध का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसके सम्बन्ध में भली प्रकार विचार करें। विधि व्यवसायी परिषदों को सर्वोच्च बना देने से न्यायालयों का सम्मान खत्म हो जायेगा।

दूसरी बात जिसका संकेत मैं करना चाहता हूं वह वकीलों की फीस से सम्बन्धित है। हम देखते हैं कि सरकार ने विभिन्न व्यवसायिओं की फीसों पर नियंत्रण के लिए नियम बनाये हैं फिर विधि व्यवसायिओं के लिए वैसा क्यों नहीं किया गया है? वकील लोग बहुत अधिक फीसें लेते हैं। सरकार को इस पर कोई नियंत्रण लगाना चाहिए। जब हम समस्त उद्योगों के लाभों पर नियंत्रण कर रहे हैं तो वकीलों के सम्बन्ध में भी वैसा किया जाना चाहिए।

[**श्री जगन्नाथ राव** पीठासीन हुये]

आजकल मुकदमेबाजी इतनी महंगी हो गई है कि वकीलों की फीस पर नियंत्रण लगाना आवश्यक हो गया है।

†**श्री हजरतवीस** : मैं यह बता देना चाहता हूं कि किसी भी अधिनियम में वकीलों की फीस निर्धारित नहीं की गई है इसलिए चाहे वे कितनी भी फीस लें वह अपराध नहीं माना जायेगा। वास्तव में अधिक फीस लिये जाने का कारण वकील की ख्याति एवं लोकप्रियता है। अच्छे वकील के पास सभी लोग जाना चाहते हैं अतः वे अपने बचाव के लिए अधिक फीस लेते हैं।

†**श्री त्यागी** : मैं उनके महत्व को कम नहीं करना चाहता। मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि उनकी फीस इतनी अधिक होती है कि साधारण व्यक्ति उनका भुगतान नहीं कर सकता और इसी कारण बहुत से लोग मुकदमा हार जाते हैं। अतः उनकी फीसें निर्धारित की जानी चाहिए ताकि वे सौदेबाजी न कर सकें। मैं समझता हूं कि यह वकील और व्यवसाय दोनों के लिए गरिमामय होगा।

†**श्री अमजद अली** (ढुबरी) : मैंने श्री त्यागी के भाषण को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने विधि व्यवसायी परिषद से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाये जाने का विरोध किया। मेरा निवेदन है कि हमारे लिए यह गर्व का विषय होना चाहिए कि इतने समय के बाद हमें अपने कार्यों की व्यवस्था स्वयं करने का अवसर दिया जा रहा है। इससे हम अपने कार्य व्यवसाय की प्रतिष्ठा के अनुरूप ढंग से कर सकेंगे। इसके लिए हमें संयुक्त समिति का आभारी होना चाहिए जिसने विधेयक में यह परिवर्तन किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अमजद अली]

जहां तक फीसों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि अधिक फीस एक योग्य वकील ही ले सकता है। प्रत्येक विधि व्यवसायी की यह इच्छा होती है कि वह अधिक फीस ले परन्तु सफल वही होता है जो इतनी योग्यता प्राप्त कर लेता है। अतः फीस अधिक होना व्यवसाय के लिए हितकर है। अतः अधिक फीस लेने के सम्बन्ध में शिकायत नहीं की जानी चाहिए।

इसके बाद मैं द्वैध प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। इसका जन्म ब्रिटिश शासन काल में हुआ था और वह अभी भी कुछ स्थानों में प्रचलित है। इसमें दो प्रकार के वकील होते हैं—एक जो मुकदमे की तैयारी करते हैं और दूसरे जो वास्तविक जिरह करते हैं। वास्तव में इस प्रणाली का जन्म इसलिए हुआ था कि अंग्रेज बैरिस्टर हिन्दी नहीं जानते थे अतः वे मुकदमे वालों से बात नहीं कर सकते थे। बाद में यह एक शान की चीज़ हो गई तथा हिन्दुस्तानी लोग भी विलायत से लौट कर आने पर ऐसा ही करने लगे। इसमें मुवक्किलों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि उन्हें दोहरे वकील करने पड़ते हैं। अतः यह प्रणाली यथाशीघ्र समाप्त की जानी चाहिए।

जहां तक कानून के अध्ययन का प्रश्न है हम देखते हैं कि उसका स्तर बहुत गिर गया है। अभी स्नातक होने के बाद ही कानून पढ़ने की अनुमति है। यदि स्नातक होने के पहले ही कानून पढ़ने की अनुमति दे दी जाएगी, जैसा कि सुझाव दिया गया था, तो यह स्तर और भी गिर जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति वकालत पढ़ने के बाद किसी वकील के साथ रहे तो उस वकील को प्रमाण पत्र देने में कड़ाई बरतनी चाहिए।

मैं चाहता हूं कि गरीबों को कानूनी सहायता देने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जानी चाहिए। अच्छा होता कि इस विधेयक में ही इसके लिए कुछ उपबन्ध कर दिया जाता। जहां तक स्टाम्प शुल्क के हटाये जाने का प्रश्न है, मेरा विचार है कि उसका कायम रहना ही अधिक अच्छा है। उससे न केवल राज्य को आय होती है वरन मुकद्दमेबाजी पर भी नियंत्रण रहता है।

फिर विधेयक के खण्ड ६(२) में यह उपबन्ध है कि राज्य विधिजीवी परिषद असमर्थ वकीलों को वित्तीय सहायता देने के लिए निधि की स्थापना कर सकेगी। मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि यह कार्य कैसे होगा? मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण करेंगे।

अन्त में मैं खण्ड ५२ का निर्देश करना चाहता हूं। इस खण्ड में उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह यह निर्णय करेगा कि उस न्यायाय में कौन वकालत कर सकेगा। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है और प्रत्येक वकील को प्रत्येक न्यायालय में वकालत करने की अनुमति होनी चाहिए।

†**श्री नथवानी** (सोरठ) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं श्री त्यागी की बातों का उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा कि विधिजीवी परिषदों में न्यायाधीशों की उपस्थिति आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि अखिल भारतीय विधिजीवी समिति ने यह सिफारिश की थी कि ऐसी समितियों में न्यायाधीशों का रहना वांछनीय नहीं है। विधि आयोग ने भी सर्वसम्मति से यही सिफारिश की थी और न्यायाधीश स्वयं भी इन निकायों में नहीं रहना चाहते हैं। यही नहीं अखिल भारतीय विधिजीवी समिति ने यह भी कहा ह कि विधिजीवी परिषद अधिनियम की धारा ४(१)(ख)

†मूल अंग्रेजी में

के उपबन्ध के बावजूद कुछ राज्यों के उच्च न्यायालयों ने न्यायाधीशों को विधिजीवी परिषद में नामांकित नहीं किया है। मेरा विचार है कि यदि श्री त्यागी को यह बात मालूम होती कि वह न्यायाधीशों को परिषद में बनाए रखने की वकालत न करते।

दूसरी बात श्री त्यागी ने यह कही कि वकीलों की फीसें नियंत्रित की जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि केवल एक व्यवसाय के सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत से बड़े वकीलों ने स्वयं अपनी आय पर प्रतिबन्ध लगा रखा है तथा वकीलों को अपनी आय पर आयकर भी देना पड़ता हैं। श्री त्यागी को जानना चाहिए कि उन्हें एक लाख रुपये की आय पर ५८,००० रुपये कर के रूप में देने पड़ते हैं। करापवंचन के प्रश्न को मैं यहां नहीं लेना चाहता क्योंकि वह एक व्यापक प्रश्न है। अतः मैं केवल यही कहूंगा कि यदि वकीलों की फीसें नियंत्रित की जायगी तो प्रतिभावान व्यक्ति इस व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं होंगे।

इसके बाद मैं द्वैध प्रणाली कायम रखने के प्रश्न को लूंगा। संयुक्त समिति ने, जिसके अधिकांश सदस्य विधि व्यवसायी थे, उसको जारी रखने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। यह स्वीकार किया गया है कि यह प्रणाली अच्छी है तथा उससे मामलों के शीघ्र निबटारे में सहायता मिलती है। परन्तु उस के विरुद्ध यह आपत्ति की जाती है कि उसमें व्यय बहुत होता है। मैंने बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत की है तथा मुझे भी उसकी कुछ जानकारी है। पिछले वर्षों में सम्बन्धित नियममें काफी सुधार हुए हैं जिनके कारण व्यय काफी कम हो गया है। १९५४ में जब कोर्ट फीस अधिनियम लागू हुआ था तो मुख्य न्यायाधीश श्री छागला ने दो वर्ष के व्यय के बिलों का विश्लेषण कराया था तथा उससे यह सर्वथा स्पष्ट हो गया था कि यह प्रणाली उतनी मंहगी नहीं है जितनी कि बताई जाती है।

श्री साधन गुप्त ने कहा कि बहुत से मामले इतने साधारण होते हैं कि उनमें दो प्रकार के वकीलों की आवश्यकता नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि यदि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश ३२ के अन्दर कोई मुकदमा हो तो दो प्रकार के वकील रखना जरूरी नहीं है। दो प्रकार के वकील केवल ऐसे मुकदमों में जरूरी होते हैं जो जटिल और विवादग्रस्त हों। इसलिये मेरा निवेदन है कि वर्तमान उपबन्धों में कोई नई बात नहीं है।

जहां तक एटर्नी और एडवोकेट के कार्य का सम्बन्ध है उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कोई भी वकील अपनी इच्छा के अनुसार एटर्नी बन सकता है या एडवोकेट। यही नहीं बाद में भी यदि कोई एटर्नी एडवोकेट का कार्य प्रारम्भ करना चाहे तो वह वैसा कर सकता है और उसी प्रकार एडवोकेट एटर्नी का कार्य प्रारम्भ कर सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि प्रसिद्ध एटर्नियों ने एडवोकेट का कार्य प्रारम्भ कर दिया।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि मद्रास में इस प्रणाली का समाप्त किया जाना वहां की जनता ने पसन्द नहीं किया है। मद्रास से प्रकाशित होने वाले 'लायर' पत्र ने यह लिखा था कि मद्रास उच्च न्यायालय से द्वैध प्रणाली का खत्म किया जाना जल्दबाजी का कदम रहा है। अतः इस विधेयक में द्वैध प्रणाली के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है उन में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री मूचन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं इस विधेयक को उपस्थित करने के लिये माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि इस व्यवसाय में प्रवेश पर जो कर लगाया गया है उसका कोई उचित कारण हम नहीं जान सके हैं तथा इंग्लैंड और अमेरिका

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मूलचन्द दुबे]

में भी इस प्रकार का कोई कर नहीं है। अतः इस कर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि विधिजीलियों में समानता लाने के लिये यह आवश्यक है कि मुख्तारों के साथ एडवोकेट बनाये जाने के सम्बन्ध में जो भेदभाव बरता जा रहा है वह समाप्त किया जाना चाहिए। यह हो सकता है कि मुख्तारों के लिए अनुभव की कोई अवधि निर्धारित कर दी जाए—१५ या २० वर्ष। परन्तु उनको एडवोकेट बनने से वंचित रखना ठीक नहीं है। मैंने मुख्तारों के कार्य को देखा है और वे योग्यता में किसी भी प्रकार कम नहीं हैं।

जहां तक स्टाम्प का सम्बन्ध है, संविधान के अनुच्छेद २४६ में किसी भी बात के रहते हुए यह सभा उसके सम्बन्ध में कानून बना सकती है और यह कह सकती है कि अमुक कर नहीं लगाया जा सकता है। सूची संख्या २ में किये गये उपबन्ध के अनुसार राज्य सरकारें केवल उसकी दरें निर्धारित कर सकती है परन्तु वह कर किन दस्तावेजों पर लगाया जायेगा। उनका निर्धारण केन्द्र द्वारा ही किया जाएगा। माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो महाधिवक्ता अथवा किसी अन्य समर्थ अधिकारी की राय लेकर यह निर्णय करना चाहिए कि कोई कर लगाया जाये या नहीं।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि यदि हम विधि व्यवसाय में समानता स्थापित करना चाहते हैं तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को यह शक्ति नहीं दी जानी चाहिए कि वह किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय में पैरवी करने से इन्कार कर सके। यह मामला विधि व्यवसायी परिषद पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तथा उसे एडवोकेट दर्ज करने की शक्ति दी जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम) : सभापति महोदय, जब यह विधेयक पेश किया ग था तो विधि व्यवसाय के विरुद्ध अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए थे। मेरा निवेदन है कि वे सर्वथा निराधार हैं और मुझे विधि व्यवसाय का गर्व है। श्री त्यागी जैसे अनुभवी व्यक्ति को इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। इसके अतिरिक्त यदि व्यवसाय में कुछ दोष है भी तो उनकी जिम्मेदारी समाज पर है क्योंकि विधि व्यवसायी समाज के अंग हैं। यदि समाज में कोई दोष होगा तो वह इस व्यवसाय में अवश्य ही प्रतिविम्बित होगा। अतः हमें इस प्रकार की बातें न करके उसके मूल कारणों को जानने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री त्यागी ने पहली बात यह कही कि वकील बहुत अधिक फीसें लेते हैं। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य को पूर्ण जानकारी नहीं है। आज अधिकांश वकील ऐसे हैं जिनकी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी मुश्किल से हो पाती है। ऐसे वकील तो देश में बहुत कम हैं जिनकी आय बहुत अधिक है। विधेयक में इस व्यवसाय के सदस्यों के लिए सहायता का उपबन्ध किया जाना इस बात का प्रमाण है कि अधिकांश विधि व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि जो लोग अधिक फीस लेते हैं वे ठीक करते हैं। हां, इस सम्बन्ध में कानून बनानेसे कोई लाभ नहीं होगा। उन्हें स्वयं नैतिक दृष्टि से अधिक फीसें न लेने का प्रयत्न करना चाहिए।

वास्तव में न्याय के संबंध में जो दयनीय स्थिति हम देखते हैं उसका कारण यह है कि न्याय प्रशासन बहुत मंहगा है। मेरा निवेदन है कि यदि कोई वकील फीस न भी ले तब भी निर्धन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके पास न्यायालय की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिए समस्त दोष वकीलों पर मढ़ देना अत्यन्त अनुचित है। तथ्य यह हैं कि बहुत से वकील तो वास्तव में जनता की सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे वास्तविक तथ्य जानने का प्रयत्न करें।

मेरा निवेदन है कि वकीलों के व्यवसाय के सम्बन्ध में जो बातें कही गयी हैं वह प्रमाणित होने वाली नहीं। यदि वकालत के पेशे में त्रुटियां हैं तो यह हमारे समाज की बुराइयों का ही प्रतिविम्ब है। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि बहुत अधिक फीस लेने वाले वकीलों की संख्या बहुत ही कम है। बहुत से वकील तो ऐसे हैं कि बड़ी कठिनाई से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। मेरा तो यह अनुरोध है कि उनकी आर्थिक उन्नति के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए।

मेरा यह भी निवेदन है कि वकीलों की फीस की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी सम्भव नहीं है। यह समझना भी गलत है कि न्याय इस लिए मंहगा हो रहा है कि वकील बहुत अधिक फीस लेते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्याय के सस्ते होने के मार्ग में वास्तविक बाधा न्यायालयों की उंची फीसें है। यह बात भी सच नहीं है कि वकील मुकदमों को आगे बढ़ाते रहते हैं, इस लिए न्याय में विलम्ब हो जाता है।

यह भी खेदजनक बात है कि देश में कानूनी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे विधि व्यवसाय तथा न्यायालय पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कानूनी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए समुचित कदम उठाना पड़ेगा। यह समझना गलत है कि यदि वकीलों को अपने सम्बन्ध में सब बातें तय करने का अधिकार मिल जायेगा तो इसमें बहुत सी बुराइयां पैदा हो जायेगी। अन्त में मैं यही कहूंगा कि वकीलों को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी सम्भव हो करना चाहिए, इसी से ही उनके व्यवसाय का गौरव होगा।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : यह बात तो सर्वविदित है कि सभ्यता के इतिहास में वकीलों ने सदैव ही एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। जनता के हितों की रक्षा में उन्होंने बड़े से बड़े बलिदान किये हैं। मानवीय प्रगति में वकालत के व्यवसाय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है संयुक्त समिति ने इसमें काफी सुधार किये है। स्टैम्प शुल्क के सम्बन्ध में विधि आयोग ने कहा है कि इसका समर्थन तो किसी भी आधार पर नहीं हो सकता। स्टैम्प शुल्क का उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए और इस मामले में केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकारों के पास निदेश भेजें।

अब मैं परीक्षा लेने के प्रश्न पर आता हूं। जब एक बार कोई व्यक्ति अपने को विधि सम्बन्धी परीक्षायें को पास करके मुक्त कर लेता है, तो बाद में कोई ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति अपने को एक एडवोकेट के रूप में रजिस्टर करवाना चाहता है, तो उसे उसके पूर्व कोई परीक्षा पास करनी होगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वैध प्रणाली तथा समूह प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। इससे भी कठिनाइयां काफी सीमा तक कम होंगी। मुझे पूर्ण आशा है कि इस विधेयक के उपबन्धों से काफी लाभ होगा और विधेयक के कानून बनते ही वकालत के व्यवसाय की स्थिति में भी काफी सुधार हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अरविन्द घोषाल** (अलुबेरिया) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक वकीलों की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर को समाप्त कर देगा। यह बात निश्चित रूप में सामने आ रही है कि देश में कानूनी शिक्षा का स्तर गिर रहा है। परिवीक्षक लोग परिवीक्षा अवधि में काम नहीं करते। मैं इस बात पर जोर देना चाता हूं कि सरकार को इस परिपाटी को रोकना चाहिए। ऐसा देखने में आया है कि इस प्रकार जब वे वकील बनते हैं, तो उन्हें व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हो पाता।

इस दिशा में एक निवेदन यह भी है कि न्यायालय में प्रक्रिया सम्बन्धी जो नियम चालू है, उनमें इस ढंग से संशोधन किया जाना चाहिए कि विलम्ब न होने पाया करे; यदि ऐसा कर दिया गया, तो अनेक भ्रष्ट परिपटियां समाप्त हो जायेगी। न्यायालय के पदाधिकारियों के वेतन में भी वृद्धि कर दी जानी चाहिए। मेरा मत तो यह भी है कि सेवा निवृत न्यायाधीशों तथा विभिन्न विभागों के विधि पदाधिकारियों को सेवा निवृत्ति के बाद वकालत करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सभी लोग न्याय प्राप्त करने के लिए अदालतें में आने से संकोच न करें, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न्यायालय की फीसों को कम किया जाना चाहिए। बम्बई और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों में जो सालीसिटर प्रणाली है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। स्टैप्प शुल्क को भी कम किया जाना चाहिए। छोटा और बड़ा वकील नियुक्त करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। यदि बड़े वकीलों को ही काम मिलता रहा तो छोटे वकील कहीं के न रहेंगे।

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, ला कमीशन ने अपनी १४वीं रिपोर्ट में यह कहा है कि न्यायिक प्रशासन के अच्छे संगठन के लिये अच्छे वकील होने बड़े जरूरी हैं। यह बिल्कुल सही है और इसी बात को देखते हुए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। आज हमें यह देखना है कि ला कमीशन का इस बिल को इंट्रोड्यूस करने में जो मुद्दा था वह इस बिल के पास होने कहां तक पूरा होगा ? ज्वाएंट सेलेक्ट कमेटी ने भी इस बात पर विचार किया और बहुत से इम्प्रूवमेंट पेश किये लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि दो, चार बातें जो कि बहुत जरूरी थीं, रह गई हैं और मझे पूरा भरोसा है कि माननीय मन्त्री मेरी इन दो, चार तजवीजों पर गौर करेंग ताकि इसमें जो कमी है वह भी पूरी हो जाय। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि एक यूनिफाईड बार की हमारे यहां बहुत जरूरत है और जिसके कि बारे में ला कमीशन की रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है :—

देश की एकता को लाने के लिये वकीलों के संगठन से देश को लाभ पहुंच सकता है, खेद है कि सार्वजनिक मामलों में वकीलों का प्रभाव कम हो रहा है।

दूसरी बात मैं स्टाम्प ड्यूटी के बारे में कहना चाहता हूं। इस बिल के क्लाज नम्बर २४ में इस बात का जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि उन्होंने राज्य वकील संघ को २५० रुपये फीस दी है इसका मतलब यह हुआ कि जो भी ला ग्रेजुएट्स एडवोकेट बनना चाहेंगे उन्हें स्टाम्प ड्यूटी के अलावा २५० रुपया भी देना पड़ेगा। अगर मैं आपके सामने तमाम स्टेट्स की फीगर्स रक्खूं तो आप को यह जान कर हैरानी होगी कि बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां ७५० और १००० रुपये के करीब भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं मिल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि १०० रुपय से ज्यादा एडवोकेट बनने के लिये हर महीने पे करना पड़ेगा। अब हमारे देश के अन्दर बहुत से ऐसे वकील हैं जिनकी कि आमदनी १०० रुपये से ज्यादा नहीं है और ऐसी हालत में आप ही मुझे यह बतलायें कि वह इतना वर्डेन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है और इस बात को महसूस किया गया है। यह कहा गया है कि स्टेट्स अपील कर सकेंगी और वह इस बात पर विचार करेंगे लेकिन मुझे इस बात का डर है मुझे यह एप्रीहेंशन है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस बात पर पूरा जोर नहीं दिया गया तो शायद स्टेट्स इसके लिये कोई अमली कदम न उठायें बल्कि मैं तो यह देख रहा हूं कि जो स्टाम्प ड्यूटी है उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। बहुत सी स्टेट्स ने यह तजवीज की है कि इसको और अधिक बढ़ा दिया जाय। इसलिये मेरी यह अपील है कि इस बारे में मजबूत कदम उठाया जाय और इसको एबोलिश कर देना चाहिये क्योंकि जब आप चाहते हैं कि तमाम मुल्क के अन्दर एडवोकेट्स का स्टैण्डर्ड ऊंचा हो तो एक यूनिफार्म बार बने और वह २५० रुपया सालाना पे करें तो मैं महसूस करता हूं कि स्टाम्प ड्यूटी का जो एडीशनल बर्डेन है वह रिमूव कर दिया जाना चाहिए। इसलिये आज हमें यह देखना है कि इस बिल के पास होने से हमारा यह मकसद पूरा हो सकता है या नहीं। मैं यह महसूस करता हू कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है सबसे पहला सवाल हमारे सामने यह है कि इस बिल के सैक्शन ६ और ७ में जो बार बनेगी उसके फंक्शंस का जिक्र किया गया है। मैं यह महसूस करता हूं कि वह बहुत लिमिटेड है। मैंने ज्वाएंट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को खूब गौर से पढ़ा और जो मेम्बर्स ने अपने मिनट्स आफ डिस्सेंट दिये हैं उनको भी पढ़ा है। उनमें भी मेरी इसी बात की ताईद की गई है। मैं यह महसूस करता हूं कि सबसे जरूरी बात यह थी कि उन फंक्शंस को बढ़ाया जाता और ज्यादा पावर्स बार कौंसिल को दी जातीं ताकि बार कौंसिल का जो ऐम और मकसद था उसको वह पूरा कर सकते। इसके लिये मेरी सबसे पहली अपील यह है कि जहां तक सेलेक्शन आफ जजेज का सवाल है मैं यह महसूस करता हूं कि बार कौंसिल का इसमें कोई हाथ नहीं होगा कम से कम बार की इस मामले में राय जरूर ले लेनी चाहिये क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात को तसलीम करेंगे कि किसी भी मल्क के अन्दर जुडिशिएरी का दारोमदार एक अच्छे जज के होने पर डिपेंड करता है। आज भी हाउस में यह क्वैश्चन आया था और ला कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय और कार्यपालिक प्रभाव बहुत काम करते हैं।

मैं यह महसूस करता हूं कि अगर बार कौंसिल को इस मामले में कौनफिडेंस में लिया जाय, उसकी राय ली जाय तो यह ईविल काफी हद तक दूर हो सकती है और जज मैरिट पर चुने जा सकते हैं। इसलिये मेरी यह अपील है कि इस बात पर विचार किया जाय और बार कौंसिल की पावर्स और फंक्शंस को बढ़ाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सालाना नहीं है।

श्री राम कृष्ण गुप्त : इसके बारे में जो ला कमीशन की १४वीं रिपोर्ट है उसमें भी इस बात की ताईद की गई है।

मैं समझता था कि ज्वायंट सिलेक्ट कमेटी इस बात पर विचार करेगी और इस बिल में कोई न कोई ऐसी क्लाज़ ज़रूर होगी, जिससे कि स्टाम्प ड्यूटी को एबालिश कर दिया जाय। जहां तक ज्वायंट सिलैक्ट कमेटी के तमाम मेम्बरान का सवाल है, मिनट्स आफ डिसेन्ट को भी देखने से पता लगता है कि वे इस बात के बहुत ज्यादा हक में थे। जहां तक कांस्टीट्यूशनल डिफीकल्टी का सवाल है, मैंने उसको देखा है और मैं महसूस करता हूं कि इसमें कोई कांस्टीट्यूशनल डिफीकल्टी नहीं है, वर्ना डाउट का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता था। इसलिये मैं इस बात पर खास तौर पर ज़ोर देता हूं कि मेरी इस बात को ज़रूर स्वीकार कर लिया जाय और मुख्तलिफ स्टेट्स में जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई है, उसको टोटली, मुकम्मल तौर पर एबालिश कर दिया जाय।

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

यह बात ठीक है कि आइन्दा जो बार कौंसिल बनेगी, वह इस मामले पर विचार कर सकती हैं और वह इस बारे में जो राय देगी, उस पर विचार हो सकता है, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इसके साथ साथ आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि यह एक्ट तब लागू होगा, जबकि यह बिल पास हो जायेगा। हिन्दुस्तान में काफी से ज्यादा वकील ऐसे हैं, जो यह एक्स्ट्रा बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और अपने आप को विदिन टू यीअर्ज बतौर एडवोकेट एनरोल नहीं करा सकेंगे। इसलिये मैं महसूस करता हूं कि इस बिल के पास होने से पहले.....

†**श्री अमजद अली** : माननीय सदस्य भ्रांति में हैं, २५० रुपये फीस केवल एक ही बार देनी होती है, वार्षिक नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में गलत बात नहीं जानी चाहिये।

पंडित कृ० चं० शर्मा : उनकी जबान से निकल गया है।

श्री राम कृष्ण गुप्त : ला कमीशन की रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि हमारे सामने दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे प्रोफ़ेशन का, एडवोकेट्स का, स्टैण्डर्ड आफ लिविंग कैसे ऊंचा किया जाये। मैं समझता हूं कि इसके लिये बार कौंसिल की राय ली जाये और उसको यह पावर दी जाये कि सिस्टम के रिफार्म के लिये वे जो तजवीज़ पेश करें उन पर विचार हो सके। हम देखते हैं कि हमारा मौजूदा सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम की लिगेसी है और इसमें बहुत से डिफेक्ट्स हैं। इस सिलसिले में मैं खास तौर पर दो बातों का ज़िक्र करना चाहता हूं।

सबसे पहली बात यह है कि फ़ैसलों में इनआर्डिनेट डिले होती है। इस बात का ज़िक्र मुझ से पहले कई माननीय सदस्यों ने भी किया है। इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा ज़रूरत है, ताकि मुकदमाजात के फैसलों में ज्यादा डिले न हो, क्योंकि आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड।

इसके अलावा हमारा मौजूदा सिस्टम बड़ा कास्टली है और गरीब आदमी इससे फायदा नहीं उठा सकते हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिये बहुत ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है। इसलिये मैं समझता हूं कि मौजूदा सिस्टम को चीप और सिम्पल बनाने के लिये भी कोशिश की जाय, ताकि हर आदमी आसानी से इस से फायदा उठा सके और कोर्टस से जस्टिस हासिल कर सके।

ज्वायंट सिलेक्ट कमेटी ने मोड़ आफ इलैक्शन के बारे में जो तजवीज पेश की है, मेरे ख्याल में वह बहुत अच्छी है और पहले सिस्टम पर एक इम्परूवमेंट है। आरिजनल तजवीज़ यह थी कि बार कौंसिल का इलैक्शन होगा, लेकिन ज्वायंट सिलेक्ट कमेटी ने उस को इम्परूव किया है और अब सिस्टम आफ प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन बाई मीन्ज़ आफ दि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मुताबिक इलैक्शन होगा। मैं समझता हूं कि इस तरीके से हर एक सैक्शन के वकील और एडवोकेट्स इलैक्ट हो सकेंगे और बार कौंसिल पर एक ग्रुप या एक सैक्शन की मानोपली नहीं हो सकेगी।

आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो २५० रुपये की फीस रखी गई है, उसके बारे में ज्वायंट सिलेक्ट कमेटी के दो मेम्बरों ने यह जोर दिया है कि वह १२५ रुपये से ज़ादा नहीं होनी चाहिये, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया है, उनको स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर इकट्ठा रुपया देना पड़ेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बर्डन को ज्यादा कम किया जाये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इन शब्दों के साथ मैं यह उम्मीद करता हूं कि इन बातों पर जरूर विचार किया जायेगा और इस बिल में जो दो चार कमियां हैं, उन को दूर करने की कोशिश की जायेगी। खास तौर पर जो स्टाम्प डयूटी का मामला है, उसको मैं बहु त अहम समझता हूं और मुझे उम्मीद है कि उसको एबालिश करने की पूरी कोशिश की जायेगी।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (विल्लौर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस पर मैं कुछ निवेदन करूंगा। मेरा मत यह है कि विधि व्यवसाय में नैतिक मूल्यों का ह्रास के लिये मुख्यतः वकीलों की भीड़भाड़ जिम्मेदार है। मैं तो यह चाहता हूं कि एडवोकेटों की संख्या की सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये। यह व्यवस्था भी होनी चाहिये कि वरिष्ठ और कनिष्ठ एडवोकेटों के परस्पर सम्बन्ध इस प्रकार हों कि वरिष्ठ एडवोकेट कनिष्ठ एडवोकेटों की उपेक्षा न कर पायें।

विधेयक में वकीलों इत्यादि के एडवोकेट के रूप में रजिस्टर होने के बारे में विधिजीवी परिषदों द्वारा नियम बनाने का कोई उपबन्ध नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था का होना बड़ा जरूरी है। इसके अतिरिक्त एडवोकेटों के लिये आयु सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। यह व्यवस्था भी होनी चाहिये कि जो लोग १९५५ अथवा १९५६ से पूर्व एडवोकेट बने हैं उन पर खण्ड ५२ के उपबन्ध लागू नहीं किये जाने चाहियें। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री दी० च० शर्मा** (गुरदासपुर) : इस विधेयक की सब से बड़ी खूबी यह है कि इसने उन वकीलों को कुछ संरक्षण प्रदान किय. जिन्हें वकालत के पेशे में पर्याप्त आय नहीं हो रही है। परन्तु यह खेद की बात है कि विधेयक में इन लोगों की सहायता के लिए व्यवस्था करने वाला कोई उपबन्ध नहीं रखा गया। मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार का उपबन्ध किया जाना चाहिए।

विधि जीवी परिषद को इतने अधिक काम सौंप दिये हैं कि उन्हें पूरा करने की कोशिश में परिषद के निर्माण का उद्देश्य पूरा होने से न रह जाये। परिषद को केवल तीन मुख्य काम अर्थात वकीलों के अधिकारों की रक्षा, विधि सुधार को बढ़ावा देना और कानून की शिक्षा, सौंपे जाने चाहिए थे।

मैं इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि अनुशासन सम्बन्धी निकाय के बारे में जो प्रक्रिया है वह जटिल है। इसे सरल बनाया जाना चाहिए। ऐसा न हो कि यह विधेयक भी असफल हो जाये।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरूवार, २७ अप्रैल, १९६१/वैशाख ७, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१
६ वैशाख १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . .	६२२९–५४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७३१	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अखिल भारतीय तालिका .	६२२९–३१
१७३२	हिमाचल प्रदेश में राजनैतिक पीड़ित . .	६२३१–३२
१७३७	लुधियाना के निकट भारतीय वायु सेना के विमान का उतरना	६२३२–३३
१७३८	पंजाब में तेल सवक्षण . . .	६२३३–३४
१७३९	कांगो में मोटरकार दुर्घटना में ग्रस्त भारतीय सैनिक .	६२३४–३५
१७४०	ग्राम्य सेवाओं का डिप्लोमा . . .	६२३५–३६
१७४१	ईस्ट पटेल नगर में धुंआ .	६२३६–३७
१७४२	कटनी में बाक्साइट के निक्षेप . .	६२३७–३८
१७४३	काल्टैक्स (इंडिया) . .	६२३८–४३
१७४५	पंजाब में निर्वाचन व्यवस्था	६२४३–४५
१७५६	राष्ट्रीय विश्वविद्यालय .	६२४५–४७
१७४७	मद्रास में इस्पात कारखाना .	६२४७–५०
१७४८	पंजाब के लिये कोयला और इस्पात	६२५०–५२
१७४९	जिला सैनिक, नौसैनिक और वायु बोर्ड . .	६२५२
१७५०	गैस टर्बाइन इंजन . . .	६२५३–५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. .	६२५४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७३३	इस्पात कारखानों के लिये लौह-अयस्क . . .	६२५४
१७३४	इस्पात उद्योग में कोयले के स्थान पर प्रयोग किये जाने के लिये किसी अन्य पदार्थ की खोज	६२५५
१७३५	विदेशी फिल्म	६२५५–५६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१७३६ दूर पूर्व में राष्ट्रमंडलीय समुद्रीय अभ्यास . ६२५६–५८
१७४४ पलाई बैंक के खातेदारों को अदायगी ६२५८
१७५१ संयुक्त अरब गणराज्य को इंडियन आयल कम्पनी का प्रतिनिधि-मंडल . . . ६२५८
१७५२ कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी ६२५९
१७५३ मौहिन्द्र गढ़ जिले में लौह-अयस्क ६२७९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३८६१ जामा मस्जिद, दिल्ली . ६२६०
३८६२ बम्बई विश्वविद्यालय को अनुदान . ६२६०
३८६३ मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक-संगठनों को सहायता ६२६०
३८६४ पंजाब में टैक्नीकल शिक्षा . ६२६१
३८६५ पंजाब में अनुसूचित जाति के किसान ६२६२
३८६६ इंडियन नैवल कैन्टीन सेवा, बम्बई ६२६२
३८६७ उड़ीसा में आत्म-सहायता आवास योजना . ६२६२–६३
३८६८ भारतीय औद्योगिक संस्था, खड़गपुर ६२६३
३८६९ पंजाब के छावनी बोर्डों को अनुदान ६२६३
३८७० रूस में भारतीय विद्यार्थी ६२६४
३८७१ दिल्ली में साइकिल सवार . . ६२६४–६५
३८७२ तेल की पाइप लाइन के साथ साथ रेडियो फोन पद्धति . ६२६५
३८७३ हरिजन कल्याण बोर्ड . . . ६२६५
३८७४ अनुसूचित जातियों के भंगियों तथा मेहतरों के लिये मकान ६२६६
३८७५ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिये मकान ६२६६
३८७६ विदेशों में गये मंत्रियों के लिये विदेशी मुद्रा ६२६६
३८७७ इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के पद . ६२६६–६७
३८७८ रेलवे बुकिंग ऐजेंसी, दिल्ली, में चौकीदार की हत्या . ६२६७
३८७९ न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करना ६२६७–६८
३८८० औद्योगिक वित्त निगम से ऋण . ६२६८
३८८१ तांबे के अयस्क . . ६२६८–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३८८२	महाराष्ट्र की इस्पात का संभरण	६२६९
३८८३	पंजाब में स्कूल होस्टल	६२६९
३८८४	पंजाब में खुले रंगमंच	६२७०
३८८५	धुला हुआ कोयला	६२७०–७१
३८८६	पुनर्वास वित्त प्रशासन	६२७१
३८८७	अदृश्य आयात	६२७१–७२
३८८८	इंडियन गारंटी एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६२७२
३८८९	जम्मू और काश्मीर में खनिज सम्पत्ति	६२७३
३८९०	विदेशों में उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां	६२७३
३८९१	नागार्जुनसागर परियोजना	६२७३
३८९२	छोटे पैमाने के पुनर्वेलन (री रोलिंग) उद्योग	६२७४
३८९३	पंजाब में बुनियादी शिक्षा	६२७५
३८९४	कैन्टीन स्टोर्स विभाग	६२७५–७६
३८९५	कैन्टीन स्टोर्स विभाग	६२७६
३८९६	केरल में इस्पात, पुनर्वेलन मिल	६२७७
३८९७	त्रिपुरा में आदिम जाति झूमियां	६२७७
३८९८	त्रिपुरा में जमीन सम्बन्धी झगड़े	६२७७–७८
३८९९	जीवन बीमा निगम	६२७८
३९००	उड़ीसा में मैंगनीज की खानें	६२७८–७९
३९०१	उड़ीसा में मैंगनीज की खानें	६२७९
३९०२	उड़ीसा में लौह अयस्क	६२७९–८०
३९०३	कारतूसों की कीमत	६२८०
३९०४	उड़ीसा में देशी शराब की दुकानें	६२८०
३९०५	उड़ीसा में मेसर्स स्ट्रा प्रोडक्टस लिमिटेड को ऋण	६२८०–८१
३९०६	मद्रास में विद्यार्थियों की यात्राओं के लिये सहायता	६२८१
३९०७	मद्रास राज्य में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां	६१८१
३९०८	मनीपुर का प्रविधिक आर्थिक सर्वेक्षण	६२८२
३९०९	मनीपुर के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण	६२८२
३९१०	मनीपुर में न्यायालय के कार्य का इकटठा होना	६२८२–८३
३९११	५०५ आर्मी वर्कशाप, दिल्ली कैन्ट	६२८३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अताराकित प्रश्न संख्या		
३९१२	चण्डीगढ़ में विमान क्षेत्र	६२८३
३९१३	संघ लोक सेवा आयोग की स्टेनोग्राफरों की परीक्षा	६२८४
३९१४	मद्रास में भूतपूर्व सैनिक	६२८४
३९१५	लेखा याचिकायें . .	६२८४
३९१६	मद्रास के लिये लोहे की चादरें	६२८५
३९१७	त्रिपुरा में धूली लोम	६२८५
३९१८	त्रिपुरा में निराश्रित विस्थापित महिलाओं के लिये नरसिंहगढ़ शिविर	६२८५–८६
३९१९	त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए सरकारी बोर्डिंग हाउस . .	६२८६
३९२०	त्रिपुरा में अध्यापकों के लिये क्वार्टर	६२८६
३९२१	त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारी . .	६२८६–८७
३९२२	स्थानीय निधि लेखा विभाग, केरल में सेवाओं का एकीकरण	६२८७–८८
३९२३	उड़ीसा के लिये कोयला	६२८८
३९२४	भूतपूर्व सैनिक . .	६२८८
३९२५	नई दिल्ली के रोशनारा बाग में झील	६२८८–८९
३९२६	अमरीकी युद्ध कालिज दल का दौरा	६२८९
३९२७	विज्ञान मन्दिर . .	६२८९–९०
३९२८	इलायची से तेल तथा टिंचर तैयार करना	६२९०
३९२९	मद्रास राज्य में सिद्ध वैद्य पद्धति सम्बन्धी दुर्लभ ग्रन्थ	६२९०
३९३०	उड़ीसा के भूतपूर्व मंत्रियों को यात्रा-भत्ता तथा मंहगाई भत्ता	६२९०
३९३१	हिमाचल प्रदेश में हत्याओं की संख्या	६२९०–९१
३९३२	हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग . .	६२९१
३९३३	हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा चलाई जाने वाली बाल-क्लबें	६२९१
३९३४	हिमाचल प्रदेश में अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराध	६२९२
३९३५	हिमाचल प्रदेश में अवैध मद्य निर्माण	६२९२
३९३६	हिमाचल प्रदेश में मद्यनिषेध	६२९२–९३
३९३७	अवैध अफीम का पकड़ा जाना	६२९३
३९३८	दिल्ली के लिये पृथक अधीनस्थ सेवा	६२९३
३९३९	उड़ीसा मुख्य मंत्री सहायता निधि	६२९३–९४
३९४०	दिल्ली में मकानों के किराये	६२९४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३९४१	५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी	६२९४–९५
३९४२	भारत इलैक्ट्रानिक्स	६२९५
३९४३	विदेश में दिखाये गये भारत के चलचित्र . . .	६२९५
३९४४	प्रविधिक शिक्षा के लिये दिल्ली की संस्थायें .	६२९६
३९४५	छंटनी किये गये कर्मचारियों के बकाया वेतन .	६२९६
३९४६	नागाओं द्वारा पकड़े गये भारतीय विमान बल के एयरमैन	६२९६
३९४७	प्रशासनिक कर्मचारी कालेज, हैदराबाद	६२९७
३९४८	ढ़लाई और गढ़ाई की केन्द्रीय संस्था .	६२९७
३९४९	प्रविधिक शिक्षा के लिये अखिल भारतीय परिषद	६२९७
३९५०	खनन विद्यार्थियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण का निदेशालय	६२९७–९८
३९५१	जनगणना . .	६२९८
३९५२	खान प्रबन्धक प्रमाण पत्र परीक्षायें . .	६२९८
३९५३	पंचायत के निर्वाचनों में गुरु जंग गांव के वासियों का असहयोग .	६२९९
३९५४	उड़ीसा की पंचायत जांच समिति .	६२९९
३९५५	हीराकुद के विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि .	६२९९
३९५६	विमान बल मुख्यालय के असैनिक कर्मचारियों को अग्रिम वार्षिक वेतन-वृद्धि .	६३००
३९५७	लोअर डिवीजन क्लर्क	६३००–०१
३९५८	बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी के कर्मचारी	६३०१
३९५९	आर्मड कारों के लिये पैट्रोल की टंकियां . .	६३०१–०२
३९६०	५०५ आर्मी वर्कशाप, दिल्ली छावनी में कर्म समितियां	६३०२
३९६१	आचार नियमों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशें .	६३०२
३९६२	सरकारी कर्मचारियों का संस्था बनाने का अधिकार	६३०२–०३
३९६३	सार्वजनिक शिक्षा निदेशक की वार्षिक रिपोर्ट .	६३०३
३९६४	अमझेरा ग्राम (मध्य प्रदेश) में बख्तारा सिंह का महल	६३०३
३९६५	सी० ओ० डी० दिल्ली छावनी में चोरी	६३०३–०४
३९६६	५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी	६३०४
३९६८	मनीपुर में अपराध . .	६३०४
३९६९	मनीपुर प्रशासन द्वारा निर्धारित राशियों का उपयोग	६३०५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
३९७०	मनीपुर के बड़े पदाधिकारियों द्वारा दौरे	६३०५
३९७१	जबलपुर और बस्तर में कापर कारबोनेट के निक्षेप	६३०५
३९७३	१९६१–६२ के लिये विदेशी मुद्रा	६३०६
३९७४	गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा ली जाने वाली हिन्दी परीक्षायें	६३०६
३९७५	केरल में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज	६३०६
३९७६	मनीपुर में कुम्बी में गोलीकांड	६३०७
३९७७	मनीपुर में ग्राम पदाधिकारियों के चुनाव	६३०७
३९७८	मनीपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में धारा १४४ का लागू किया जाना	६३०७
३९७९	दिल्ली, बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन क्रम	६३०८
स्थगन प्रस्ताव		६३०८—११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		६३११–१२
सभा पटल पर रखे गये पत्र		६३१२–१३

अध्यक्ष महोदय ने डाक तथा तार के महानिदेशक द्वारा दी गई कुछ कथित हिदायतों के बारे में जिनका अभिप्राय कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों से अपनी कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन करने से रोकना है, एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्वश्री राजेन्द्र सिंह, अजराज सिंह, इन्द्रजीत गुप्त, तंगामणि और अरविन्द घोषाल ने दी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने उड़ीसा के पुरी जिले में लगभग ३०० प्राथमिक शिक्षकों के नौकरी से अलग किये जाने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया।

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने उस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

(१) पाकिस्तानी विमान के भारतीय राज्य क्षेत्र में घुस आने के बारे में एक वक्तव्य ।

(२) उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक २५ फरवरी, १९६१ की उदघोषणा के खण्ड (ग) (४) के साथ पठित उड़ीसा जिला परिषद अधिनियम १९५९ की धारा ५७ की उपधारा (३) के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार द्वारा निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १७०६६ जिस में उड़ीसा जिला परिषद (निर्वाचन का संचालन, निर्वाचन सबंधी विवादों को निबटाना और सदस्यों की अनर्हता के बारे में निश्चय) नियम, १९६० दिये हुए हैं ।

(ख) उड़ीसा जिला परिषद (निर्वाचनों का संचालन, निर्वाचन संबंधी विवादों को निपटाना और सदस्यों की अनर्हता के बारे में निश्चय) नियम, १९६० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ जनवरी, १९६१ के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ४३-जेड० पी०।

(ग) उड़ीसा जिला परिषद (निर्वाचनों का संचालन, निर्वाचन सबंधी विवादों को निबटाना और सदस्यों की अनर्हता के बारे में निश्चय) नियम, १९६० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २८ जनवरी, १९६१ के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ४८० जेड० पी०।

(घ) दिनांक १८ जनवरी, १९६१ के उड़ीसा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या २४३-१-एस० पी० एल०-८४/६०-जेड० पी० जिस में उड़ीसा जिला परिषद (कार्य संचालन) नियम, १९६० दिये हुए हैं।

(३) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० की एक प्रति।

(४) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति।

(क) दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५२०।

(ख) दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५२१।

(ग) दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ की जी० एस० आर० ५२२।

(घ) दिनांक १५ अप्रल, १९६१ की जी० एस० आर० ५२३।

(५) बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ की उप-धारा (११) के अन्तर्गत, दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८५८ में प्रकाशित बैंक आफ केरल लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उस के कनड़ बैंक लिमिटेड के साथ मिलाये जाने की योजना की एक प्रति।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन ६३१३

चौरासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ।

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन ६३१३–१४

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद की प्रशासक परिषद के सदस्य के रूप में काम करने के लिये, अपने में से एक सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य, राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में, सरकारी गजट में अधिसूचित की जाने वाली तिथि से आरम्भ होने वाली अवधि के लिये उक्त संकल्पों के अन्य उपबन्धों के अधीन काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उड़ीसा की अनुदानों की मांग, १९६१–६२ . . . ६३१४––१९

उड़ीसा के १९६१–६२ के बजट के बारे में अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । श्री चिन्तामणि पाणिग्रही के कटौती प्रस्ताव संख्या २४ पर सभा में मत विभाजन हुआ । कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । उस के विपक्ष में १०७ और पक्ष में १८ मत पड़े । अन्य सारे कटौती प्रस्तव भी अस्वीकृत हुए और मांगे पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

विधेयक पारित ६३१९––२६

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री सु० कु० पाटिल) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के बाद विधेयक स्वीकृत हुआ ।

विधेयक––विचाराधीन ६३२६––३९

विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधि व्यवसायी विधेयक, १९५९ पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाय । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९६१ / ७ वैशाख, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि––

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधि व्यवसायी विधेयक, १९५९ पर अग्रेतर चर्चा और उसे पारित करना । आयकर विधेयक, १९६१ को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा ।

GMFIPND—LSIII—557(Ai)L.S.D.—30-6-61—125.

पृष्ठ

श्री त्यागी . . . ६३१९

श्री ब्रजराज सिंह . . ६३१९—२१

श्री विभूति मिश्र . . ६३२१–२२

श्री श्रीनारायण दास . ६३२२–२३

श्री सिंहासन सिंह ६३२३—२५

खंड १ और २—

पारित करने का प्रस्ताव ६३२५–२६

श्री स० का० पाटिल . . . ६३२५–२६

विधि व्यवसायी विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ६३२६—३९

श्री हजरनवीस . . . ६३२६—२८

श्री साधन गुप्त . . . ६३२८—३०

श्री रघुबीर सहाय . ६३३०

श्री त्यागी ६३३१

श्री अमजद अली ६३३१–३२

श्री नथवानी . . . ६३३२–३३

श्री मूलचन्द दुबे ६३३३–३४

श्री नारायणन कुट्टिमेनन . . . ६३३४–३५

पंडित कृ० चं० शर्मा ६३३५

श्री अरविन्द घोषाल . ६३३६

श्री रामकृष्ण गुप्त . . . . . ६३३६—३९

श्री न० रा० मुनिस्वामी ६३३९

श्री दी० चं० शर्मा ६३३९

श्री खाडिलकर . . . . .

दैनिक संक्षेपिका . . . . ६३४०—४७

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण)
के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत
सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित